जहन्नम की होल नाकियों और अज़ाबात के बयान पर मुश्तमिल तालीफ़

JAHANNAM KE KHATARAT (HINDI)

जहन्नम के ख़तरात

मुअल्लिफ़

हज़रते अ़ल्लामा अ़ब्दुल मुस्तफ़ा आ'ज़मी

इस किताब में :

1. जहन्नम क्या है ? 15
2. जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल 22
3. कौन कौन सी चीज़ें शिर्क नहीं है ? 24
4. मां बाप को तक्लीफ़ देने का वबाल 55
5. जानवरों को सताना कैसा ? 100
6. मम्नूअ़ लिबास पहनना कैसा ? 141

पेशकश : मजलिसे अल मदी-नतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)
शो'बए तख़रीज

सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा अहमदआबाद-1. गुजरात, इन्डिया
Ph:91-79-25391168 E-mail:maktabahind@gmail.com, www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैखे़ त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी रज़वी** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले जे़ल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اَللّٰھُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तर्जमा : ***ऐ अल्लाह*** عَزَّوَجَلَّ ***! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले*** (اَلْمُسْتَطْرَف ج ١ ص ٤٠ دار الفكر بيروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत

13 **शव्वालुल मुकर्रम** 1428 **हि.**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

जहन्नम के ख़तरात

येह किताब **(जहन्नम के ख़तरात)**

मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने ह़ज़रते अ़ल्लामा **अ़ब्दुल मुस्त़फ़ा** आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِى की **उर्दू** ज़बान में तह़रीर कर्दा किताब पर तख़्रीज कर के मक-त-बतुल मदीना से शाएअ़ किया है।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस किताब को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है, इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, ई-मेइल) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना

सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,

तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद, गुजरात।

MO. 09374031409

E-mail : maktabahind@gmail.com

याद दाश्त

दौराने मुता़-लआ़ ज़रूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर सफ़ह़ा नम्बर नोट फ़रमा लीजिये। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ इ़ल्म में तरक़्क़ी होगी।

उ़न्वान	सफ़ह़ा	उ़न्वान	सफ़ह़ा

"जहन्नम के ख़तरात" के 11 हुरूफ़ की निस्बत से इस किताब को पढ़ने की "11 निय्यतें"

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ० मुसल्मान की निय्यत उस के अ़मल से बेहतर है।"

(المعجم الکبیر للطبرانی، الحدیث: ٥٩٤٢، ج٦، ص١٨٥)

दो म-दनी फूल : (1) बिग़ैर अच्छी निय्यत के किसी भी अ़मले ख़ैर का सवाब नहीं मिलता।

(2) जितनी अच्छी निय्यतें ज़ियादा, उतना सवाब भी ज़ियादा।

1..... रिज़ाए इलाही عَزَّوَجَلَّ के लिये इस किताब का अव्वल ता आख़िर मुत़ा-लआ़ करूंगा।

2..... ह़त्तल वस्अ़ इस का बा वुज़ू और

3..... क़िब्ला रू मुत़ा-लआ़ करूंगा।

4..... क़ुरआनी आयात और

5..... अह़ादीसे मुबा-रका की ज़ियारत करूंगा।

6..... जहां जहां "अल्लाह" का नामे पाक आएगा वहां عَزَّوَجَلَّ और

7..... जहां जहां "सरकार" का इस्मे मुबारक आएगा वहां صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पढ़ूंगा।

8...... दूसरों को येह किताब पढ़ने की तरग़ीब दिलाऊंगा।

9..... इस ह़दीसे पाक "تَهَادُوْا تَحَابُّوْا" या'नी एक दूसरे को तोह़फ़ा दो आपस में मह़ब्बत बढ़ेगी।" (مؤطا امام مالک، ج۲،ص۴۰۷،رقم:۱۷۳۱) पर अ़मल की निय्यत से (कम अज़ कम 12 अ़दद या ह़स्बे तौफ़ीक़) येह किताब ख़रीद कर दूसरों को तोह़फ़तन दूंगा।

10..... इस किताब के मुत़ा-लए़ का सारी उम्मत को ईसाले सवाब करूंगा।

11..... किताबत वग़ैरा में शर-ई ग़-लती मिली तो नाशिरीन को तह़रीरी त़ौर पर मुत्त़लअ़ करूंगा। (मुअल्लिफ़ व नाशिरीन वग़ैरा को सिर्फ़ अग़्लात ज़बानी बता देना ख़ास मुफ़ीद नहीं होता।)

जहन्नम की होलनाकियों और अ़ज़ाबात के बयान पर मुश्तमिल तालीफ़

जहन्नम के ख़तरात

मुअल्लिफ़
ह़ज़रते अ़ल्लामा अ़ब्दुल मुस्त़फ़ा आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی

पेशकश
मजलिसे अल मदी-नतुल इ़ल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)
(शो'बए तख़्रीज)

नाशिर
मक-त-बतुल मदीना
सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा
अह़मद आबाद -1 गुजरात इन्डिया
फ़ोन : 91-79 25391168
Email : maktabahind@gmail.com

الصلوۃ والسلام علیک یارسول اللہ وعلی اٰلک واصحابک یاحبیب اللہ

नाम किताब : **जहन्नम के ख़तरात**

मुअल्लिफ़ : हज़रते अ़ल्लामा अ़ब्दुल मुस्तफ़ा आ'ज़मी عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی

पेशकश : **मजलिसे अल मदी-नतुलइल्मिय्या** (शो'बए तख़रीज)

सिने त़बाअ़त : **रबीउ़न्नूर सि.** 1432 **हि.**

नाशिर : मक-त-बतुल मदीना सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा **अह़मद आबाद** -1 गुजरात इन्डिया

फ़ोन : 91-79 25391168

मिलने के पते

मुम्बई : 19,20 मुह़म्मद अ़ली बिल्डिंग, मुह़म्मद अ़ली रोड, फ़ोन : 022-23454429

देहली : मटिया मह़ल, उर्दू मार्केट, जामेअ़ मस्जिद फ़ोन : 011-23284560

कानपूर : मख़्दूम सिम्नानी मस्जिद, दीप्ती पांडव का चौराहा, नज़्द गुर्बत पार्क,यूपी, फ़ोन : 09415982471

नागपुर : (C/0) जामिअ़तुल मदीना,मुह़म्मद अ़ली सराय रोड, कमाल शाहबाबा दरगाह के पास मोमिनपुरा फ़ोन : 0712 -2737290

अजमेर शरीफ : 19 / 216 फलाहे़ दारैन मस्जिद. नल्ला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, फ़ोन : 0145-2629385

तम्बीह : किसी और को येह किताब छापने की इजाज़त नहीं है ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۙ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ

अल मदी-नतुल इल्मिय्या

अज़् : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल ***मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार*** क़ादिरी र-ज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

الحمد لله على إحسانه و بفضل رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم

तब्लीगे़ कुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक ''***दा'वते इस्लामी***'' नेकी की दा'वत, एह़याए सुन्नत और इशाअ़ते इल्मे शरीअ़त को दुन्या भर में आ़म करने का अ़ज़्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्ने ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मु-तअ़द्दद मजालिस का क़ियाम अ़मल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस ''***अल मदी-नतुल इल्मिय्या***'' भी है जो दा'वते इस्लामी के उ़-लमा व मुफ़्तियाने किराम كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस इल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती काम का बीड़ा उठाया है । इस के मुन्दरिजए ज़ैल छ शो'बे हैं :

رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه

(1) शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत (2) शो'बए दर्सी कुतुब
(3) शो'बए इस्लाह़ी कुतुब (4) शो'बए तराजिमे कुतुब
(5) शो'बए तफ़्तीशे कुतुब (6) शो'बए तख़्रीज

''***अल मदी-नतुल इल्मिय्या***'' की अव्वलीन तरजीह़ सरकारे

आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अ़ज़ीमुल ब-र-कत, अ़ज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए़ रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, ह़ामिये सुन्नत, माह़िये बिदअ़त, आ़लिमे शरीअ़त, पीरे त़रीक़त, बाइ़से ख़ैरो ब-र-कत, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अलह़ाज अल ह़ाफ़िज़ अल क़ारी अश्शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की गिरां मायह तसानीफ़ को अ़स्रे ह़ाज़िर के तक़ाज़ों के मुत़ाबिक़ ह़त्तल वुस्अ़ सह्ल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इ़ल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती म-दनी काम में हर मुम्किन तआ़वुन फ़रमाएं और मजलिस की त़रफ़ से शाएअ़ होने वाली कुतुब का ख़ुद भी मुत़ा-लआ़ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरग़ीब दिलाएं।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ***''दा'वते इस्लामी''*** की तमाम मजालिस ब शुमूल ***''अल मदी-नतुल इ़ल्मिय्या''*** को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक़्क़ी अ़त़ा फ़रमाए और हमारे हर अ़-मले ख़ैर को ज़ेवरे इख़्लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें ज़ेरे गुम्बदे ख़ज़रा शहादत, जन्नतुल बक़ीअ़ में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए।

اٰمین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلم

र-मज़ानुल मुबारक 1425 हि.

पेशे लफ़्ज़

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ने इन्सान को अपनी तमाम मख़्लूक़ पर शरफ़ और बरतरी अ़ता फ़रमाई और अश्रफ़ुल मख़्लूक़ात बनाया। इसे तह़क़ीक़ व तफ़क्कुर का ऐसा शुऊ़र अ़ता फ़रमाया कि येह बराहीन व दलाइल की रोशनी में ह़क़ व बात़िल में तमीज़ कर सकता है। उस ने लोगों की हिदायत व रहबरी के लिये पैग़म्बर मब्ऊ़स फ़रमाए, जिन्हों ने अपने फ़राइज़े मन्सबी को कामिलन अदा किया। लोगों को दा'वते तौह़ीद देते हुए सिर्फ़ एक मा'बूद, रब عَزَّوَجَلَّ की इबादत की त़रफ़ बुलाया, ईमान व कुफ़्र का फ़र्क़ वाज़ेह़ किया, ईमान लाने वालों के लिये इन्आ़माते ख़ुदा वन्दी और अ-बदी ने'मतों का मुज़्दा सुनाया और कुफ़्रो शिर्क पर अड़े रहने वालों को अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के अ़ज़ाब से डराया। तो ख़ुश नसीब हैं वोह जिन्हों ने उन की दा'वत पर लब्बैक कहा, ईमान लाए और तौह़ीद व रिसालत का इक़्रार कर के अपने रब عَزَّوَجَلَّ की रिज़ा के ह़ुसूल में कोशां हो गए। और बद नसीबी है उन लोगों की जिन्हों ने येह सब कुछ जानने के बा वुजूद अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की आयतों को झुटलाया, कुफ़्रो शिर्क को इख़्तियार किया, अल्लाह عَزَّوَجَلَّ और उस के रसूलों عَلَيْهِمُ السَّلَام की ना फ़रमानी को अपना शिआ़र बना लिया और अ़ज़ाबे जहन्नम के ह़क़दार हुए। कुरआने मजीद फ़ुरक़ाने ह़मीद में इर्शाद होता है :

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

(پ۲۷،الحدید:۱۹)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और जिन्हों ने कुफ़्र किया और हमारी आयतें झुटलाईं वोह दोज़ख़ी हैं।

जहन्नम ग़-ज़बे ख़ुदा वन्दी और उस के अ़ज़ाब व अ़क़ाब का मज़्हर है। उस के अ़ज़ाबात निहायत ही सख़्त हैं जिन्हें बरदाश्त करना किसी के बस की बात नहीं। इस जहन्नम से ईमान वालों को भी डरना

चाहिये और अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की पनाह मांगना चाहिये क्यूं कि बा'ज़ फ़ासिक़ व फ़ाजिर मुसल्मान ऐसे भी होंगे जिन को उन के गुनाहों के सबब इस में दाख़िल किया जाएगा। क़ुरआने मजीद फ़ुरक़ाने ह़मीद में ईमान वालों को जहन्नम से बचने और बचाने का हुक्म दिया गया, चुनान्चे इर्शादे ख़ुदा वन्दी है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ۝ (پ۲۸،التحریم:٦)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस के ईंधन आदमी और पथ्थर हैं उस पर सख़्त कर्रे फ़िरिश्ते मुक़र्रर हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें हुक्म हो वोही करते हैं।

जहन्नम क्या है, कहां है, इस के त़ब्क़ात, इस के शदाइद क्या हैं, वोह कौन से आ'माल हैं जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं वग़ैरा, इन के बारे में तफ़्सील जानने के लिये ज़ेरे नज़र किताब "***जहन्नम के ख़तरात***" का तवज्जोह के साथ मुत़ा-लआ़ कीजिये नीज़ दूसरे मुसल्मानों को भी इस के पढ़ने की तरग़ीब दिलाइये।

शैख़ुल ह़दीस ह़ज़रते अ़ल्लामा अ़ब्दुल मुस्त़फ़ा आ'ज़मी رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने इस किताब में हमारे मुआ़शरे में पाई जाने वाली आ़म बुराइयों म-सलन झूट, ग़ीबत, ह़सद, चुग़ली, कम नाप तोल, ह़िर्स, तकब्बुर, ज़ुल्म, गाली गलोच और बे पर्दगी वग़ैरा के सबब होने वाले अ़ज़ाबात का तज़्किरा आयात व अह़ादीस की रोशनी में किया है और हर उ़न्वान के आख़िर में मसाइल व फ़वाइद के तह़्त ख़ुलासा

बयान किया है। फ़िक्रे मदीना (या'नी अपना मुह़ा-सबा) करने वालों के लिये इस किताब में इ़ब्रत के मु-तअ़द्दद म-दनी फूल हैं।

अराकीने मजलिसे "**अल मदी-नतुल इ़ल्मिय्या**" (दा'वते इस्लामी) ने इस किताब को मज़ीद तर्ज़ीन के साथ शाएअ़ करने का इरादा किया, लिहाज़ा दर्जे ज़ैल ख़ूबियों के साथ येह बेहतरीन किताब आप के हाथों में है :

(1) जदीद अन्दाज़ पर कम्पोज़िंग जिस में अ़लामाते तरक़ीम का भी ख़याल रखा गया है।

(2) मोह़तात़ प्रूफ़ रीडिंग (3) दीगर नुस्ख़ों से मुक़ाबला

(4) ह़वाला जात की ह़त्तल मक़्दूर तख़्रीज (5) अ़-रबी व फ़ारसी इ़बारात की दुरुस्तगी

(6) पैरा बन्दी (7) आयात का तरजमा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن के शोह़रए आफ़ाक़ तर-ज-मए क़ुरआन कन्ज़ुल ईमान के मुत़ाबिक़ और (8) आख़िर में मआख़ज़ो मराजेअ़ की फ़ेहरिस्त भी शामिल की गई है।

इन तमाम उमूर को मुम्किन बनाने के लिये "***मजलिसे अल मदी-नतुल इ़ल्मिय्या***" के म-दनी उ़-लमा دامت فيوضهم ने बड़ी मेह़नत व लगन से काम किया और ह़त्तल मक़्दूर इस किताब को अह़सन अन्दाज़ में पेश करने की सअ़ूय की। अल्लाह عَزَّوَجَلَّ इन की येह मेह़नत और सअ़ूय क़बूल फ़रमाए, इन्हें जज़ाए जज़ील अ़त़ा फ़रमाए और इख़्लास व इस्तिक़ामत के साथ दीन की ख़िदमत की तौफ़ीक़ मर्ह़मत फ़रमाए। اٰمین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلم

शो'बए तख़्रीज

(मजलिसे अल मदी-नतुल इ़ल्मिय्या)

(दा'वते इस्लामी)

फ़ेहरिस

नम्बर शुमार	उ़न्वान	सफ़ह़ा नम्बर
1	जहन्नम क्या है ?	15
2	जहन्नम कहां है ?	15
3	जहन्नम के त़ब्क़ात	15
4	जहन्नम की ख़ौफ़नाक शक्ल	16
5	अ़ज़ाबे जहन्नम की चन्द सूरतें	16
6	आग का अ़ज़ाब	16
7	ख़ूनीं दरिया का अ़ज़ाब	18
8	गलफड़े चीरने का अ़ज़ाब	18
9	पथराव का अ़ज़ाब	19
10	मुंह नोचने का अ़ज़ाब	19
11	सांप बिच्छू का अ़ज़ाब	19
12	ह़ल्क़ में फंसने वाले खानों का अ़ज़ाब	20
13	गर्म पानी और पीप का अ़ज़ाब	21
14	जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल	22
15	शिर्क	22
16	शिर्क क्या है ?	23
17	कौन कौन सी चीज़ें शिर्क नहीं ?	24

18	कुफ़्र	26
19	कुफ़्र क्या है ?	27
20	मुसल्मान का क़त्ल	28
21	ज़िनाकारी	31
22	लवात़त	34
23	लूत़ी के लिये इमामे आ'ज़म رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ का फ़तवा	38
24	चोरी	38
25	शराब	40
26	जूआ	45
27	सूद (बियाज़)	46
28	जादू	49
29	यतीम का माल खाना	51
30	जिहाद से भाग जाना	52
31	ज़िना की तोहमत लगाना	54
32	मां बाप की ईज़ा रसानी	55
33	झूटी गवाही	58
34	ग़ीबत	62
35	ग़ीबत क्या है ?	63
36	चुग़ली	64

37	चुग़ली किसे कहते हैं ?	65
38	अमानत में ख़ियानत	66
39	कम नाप तोल	69
40	रिश्वत	71
41	माले ह़राम	72
42	नमाज़ का छोड़ देना	76
43	जुमुआ़ छोड़ देना	79
44	जमाअ़त छोड़ देना	81
45	जमाअ़त छोड़ने के आ'ज़ार	85
46	नमाज़ी के आगे से गुज़रना	86
47	नमाज़ में आस्मान की त़रफ़ देखना	87
48	इमाम से पहले सर उठाना	88
49	ज़कात न अदा करना	89
50	रोज़ा छोड़ देना	91
51	ह़ज छोड़ देना	93
52	हुक़ूक़ुल इ़बाद न अदा करना	94
53	रिश्तेदारियों को काट देना	95
54	पड़ोसियों के साथ बद सुलूकी	98
55	जानवरों को सताना	100

56	ज़ुल्म	103
57	दुश्मनाने इस्लाम से दोस्ती	107
58	बोहतान	111
59	वा'दा ख़िलाफ़ी	113
60	अजनबी औ़रतों के साथ तन्हाई	115
61	बे पर्दगी	117
62	पेशाब से न बचना	119
63	हैज़ में हम बिस्तरी	121
64	ग़ुस्ले जनाबत न करना	123
65	ख़ुदकुशी	124
66	एहूतिकार (ज़ख़ीरा अन्दोज़ी)	126
67	तस्वीरें	129
68	कहना कुछ और, करना कुछ और	133
69	गाली गलोच	135
70	झूटा ख़्वाब बयान करना	137
71	दाढ़ी कटाना	138
72	मर्दानी औ़रतें, ज़नाने मर्द	140
73	मम्नूअ़ लिबास पहनना	141
74	क़ब्रों पर पेशाब पाख़ाना करना	146
75	काला ख़िज़ाब	148

76	सोने चांदी के बरतन	151
77	रियाकारी	153
78	तकब्बुर	158
79	बख़ीली	162
80	ह़िर्स व त़म्अ़	165
81	ह़सद	166
82	बुग़्ज़ व कीना	169
83	मक्र व धोका बाज़ी	171
84	किसी का मज़ाक़ उड़ाना	173
85	मस्जिद में दुन्या की बात करना	176
86	क़ुरआने मजीद भुला देना	178
87	किसी दूसरे को अपना बाप बना लेना	179
88	बीवियों के दरमियान अ़द्ल न करना	182
89	बाएं हाथ से खाना पीना	184
90	कुत्ता पालना	185
91	बिला ज़रूरत भीक मांगना	188
92	क़ारिईन व मुरीदीन के लिये ज़रूरी हिदायात	191
93	काश ! कि मैं दुन्या में पैदा न हुवा होता	195
94	मआख़ज़ो मराजेअ़	199
95	अल मदी–नतुल इ़ल्मिय्या की कुतुब	200

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم

जहन्नम क्या है

अल्लाह तआ़ला ने काफ़िरों, मुश्रिकों, मुनाफ़िक़ों और दूसरे मुजरिमों और गुनाहगारों को अ़ज़ाब और सज़ा देने के लिये आख़िरत में जो एक निहायत ही ख़ौफ़नाक और भयानक मक़ाम तय्यार कर रखा है उस का नाम ''जहन्नम'' है और उसी को उर्दू में ''दोज़ख़'' भी कहते हैं।

जहन्नम कहां है

एक क़ौल येह है कि ''दोज़ख़'' सातवीं ज़मीन के नीचे है।

(شرح العقائد النسفية،قوله والجنة حق...الخ،حاشيه٩،ص١٠٥)

जहन्नम के त़बक़ात

क़ुरआने मजीद की आयते मुबा-रका है :

لَهَا سَبۡعَةُ اَبۡوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنۡهُمۡ جُزۡءٌ مَّقۡسُوۡمٌ ۝

(پ١٤،الحجر:٤٤)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : उस के सात दरवाज़े हैं हर दरवाज़े के लिये इन में से एक हि़स्सा बटा हुवा है।

इस आयत की तफ़्सीर में मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि जहन्नम के सात त़ब्क़ात हैं जिन के नाम येह हैं :

﴿1﴾ जहन्नम ﴿2﴾ लज़य ﴿3﴾ हु-त़मह ﴿4﴾ सईर ﴿5﴾ सक़र ﴿6﴾ जहीम ﴿7﴾ हावियह।

पूरी आयत का ख़ुलासए मत़्लब येह है कि शैत़ान की पैरवी करने वाले भी सात ह़िस्सों में मुन्क़सिम हैं इन में से हर एक के लिये जहन्नम का एक त़ब्क़ा मुअ़य्यन है।

(حاشية الصاوی علی الجلالین،ج٣،ص١٠٤٣،پ١٤،الحجر:٤٤)

जहन्नम की ख़ौफ़नाक शक्ल

ह़दीस शरीफ़ में है कि जहन्नम जब क़ियामत के दिन अपनी जगह लाई जाएगी तो उस को सत्तर हज़ार लगामें लगाई जाएंगी और हर लगाम को सत्तर हज़ार फ़िरिश्ते खींचते होंगे।

(صحیح مسلم،کتاب الجنۃوصفۃ...الخ،باب فی شدۃحر جھنم،الحدیث ٢٨٤٢ص١٥٢٣)

जहन्नम का दारोग़ा

जहन्नम के दारोग़ा का नाम ''मालिक'' عَلَیْہِ السَّلَام है। येह एक फ़िरिश्ता हैं इन ही के ज़ेरे एहतिमाम दोज़ख़ियों को हर क़िस्म का अ़ज़ाब दिया जाएगा।

अ़ज़ाबे जहन्नम की चन्द सूरतें

जहन्नम में दोज़ख़ियों को त़रह़ त़रह़ के ख़ौफ़नाक और भयानक अ़ज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। उन अ़ज़ाबों की क़िस्मों और उन की कैफ़िय्यतों को ख़ुदा वन्दे अ़ल्लामुल ग़ुयूब के सिवा कोई नहीं जानता। जहन्नम में दी जाने वाली सज़ाओं को दुन्या में कोई सोच भी नहीं सकता। अ़ज़ाब की चन्द सूरतें हैं जिन का ह़दीसों में तज़्किरा आया है उन में से बा'ज़ येह हैं।

आग का अ़ज़ाब

दोज़ख़ियों को जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा जब वोह जल भुन कर कोएला हो जाएंगे तो फिर दोबारा उन को नए गोश्त और नए चमड़े के साथ ज़िन्दा किया जाएगा

और फिर उन को आग में जलाया जाएगा येह अ़ज़ाब बार बार होता रहेगा। जहन्नम की आग की गरमी का येह आ़लम है कि हुज़ूरे अकरम صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि फ़िरिश्तों ने एक हज़ार बरस तक जहन्नम की आग को भड़काया तो वोह सुर्ख़ हो गई, फिर दोबारा एक हज़ार बरस तक भड़काई गई तो वोह सफ़ेद हो गई, फिर तीसरी बार जब एक हज़ार बरस तक भड़काई गई तो वोह काले रंग की हो गई तो वोह निहायत ही ख़ौफ़नाक सियाह रंग की है।

(سنن الترمذی، کتاب صفة جهنم، باب منه، الحدیث ۲۶۰۰، ج۴، ص۲۶۶)

एक दूसरी ह़दीस में है कि जहन्नम की आग की गरमी दुन्या की आग की गरमी से उन्हत्तर द-रजे ज़ियादा है।

(صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة النار...الخ، الحدیث ۳۲۶۵، ج۲، ص۳۹۶)

एक दूसरी ह़दीस में येह भी है कि जहन्नम में आग का एक पहाड़ है जिस की बुलन्दी सत्तर बरस का रास्ता है, उस पहाड़ का नाम सऊ़द है। दोज़ख़ियों को उस के ऊपर चढ़ाया जाएगा तो सत्तर बरस में वोह उस की बुलन्दी पर पहुंचेंगे फिर उन को ऊपर से गिराया जाएगा तो सत्तर बरस में नीचे पहुचेंगे। इसी त़रह़ हमेशा अ़ज़ाब दिया जाता रहेगा।

(مشکوة المصابیح، کتاب صفة القیامة...الخ، باب صفة النار...الخ، الفصل الثانی، الحدیث: ۵۶۷۷، ج۳، ص۲۳۶ ـ سنن الترمذی، کتاب صفة جهنم، باب فی صفة قعر جهنم، الحدیث ۲۵۸۵، ج۴، ص۲۶۰)

येह भी ह़दीस में आया है कि दोज़ख़ी जहन्नम की आग में झुलस कर ऐसे मस्ख़ हो जाएंगे कि ऊपर का होंट सुकड़ कर आधे सर तक पहुंच जाएगा और इसी त़रह़ निचला होंट लटक कर नाफ़ तक पहुंच जाएगा।

(سنن الترمذی، کتاب صفة جهنم، باب ما جاء فی صفة طعام اهل النار، الحدیث ۲۵۹۶، ج۴ ص۲۶۴)

येह भी रिवायत है कि जहन्नम में एक तन्नूर है जो अन्दर से बहुत चौड़ा और ऊपर से बहुत कम चौड़ा है उस में ज़िनाकार औ़रतों और मर्दों को डाल दिया जाएगा तो आग के शो'लों में वोह सब जलते हुए तन्नूर के मुंह तक ऊपर आ जाएंगे फिर एक दम वोह शो'ले बुझ जाएंगे तो वोह सब ऊपर से नीचे तन्नूर की गहराई में गिर पड़ेंगे।

(صحیح البخاری، کتاب الجنائز،۹۳_باب ،الحدیث۱۳۸٦ ،ج ۱،ص٤٦٧ ملخصاً)

ख़ूनीं दरिया का अ़ज़ाब

कुछ दोज़ख़ियों को ख़ून के दरिया में डाल दिया जाएगा तो वोह तैरते हुए किनारे की त़रफ़ आएंगे तो एक फ़िरिश्ता एक पथ्थर की चट्टान उन के मुंह पर इस ज़ोर से मारेगा कि वोह फिर बीच दरिया में पलट कर चले जाएंगे। बार बार येही अ़ज़ाब उन को दिया जाता रहेगा। येह सूदख़ोरों का गुरौह होगा।

(صحیح البخاری، کتاب الجنائز،۹۳_باب،الحدیث ۱۳۸٦ ،ج ۱،ص٤٦٧)

गलफड़े चीरने का अ़ज़ाब

कुछ लोगों को जहन्नम में इस त़रह़ अ़ज़ाब दिया जाएगा कि एक फ़िरिश्ता उन को लिटा कर एक सन्सी उन के मुंह में डालेगा और एक गलफड़े को इस क़दर फाड़ देगा कि उस का शिगाफ़ उस के सर के पिछले ह़िस्से तक पहुंच जाएगा, फिर इसी त़रह़ दूसरे गलफड़े को फाड़ देगा जब तक पहला गलफड़ा दुरुस्त हो जाएगा फिर इस को फाड़ देगा इसी त़रह़ गलफड़े दुरुस्त होते रहेंगे और वोह फ़िरिश्ता उन को सन्सी की पकड़ से चीरता और फाड़ता रहेगा। येह झूट बोलने वालों का गुरौह होगा।

(المرجع السابق)

पथराव का अ़ज़ाब

कुछ जहन्नमियों को इस त़रह़ का अ़ज़ाब दिया जाएगा कि एक फ़िरिश्ता उन को लिटा कर उन के सरों पर एक पथ्थर इस ज़ोर से मारेगा कि उन का सर कुचल जाएगा और वोह पथ्थर लुढ़क कर कुछ दूर चला जाएगा फिर वोह फ़िरिश्ता जब तक उस पथ्थर को उठा कर लाएगा उस के सर का ज़ख़्म अच्छा हो चुका होगा फिर वोह पथ्थर मारेगा तो सर कुचल जाएगा और पथ्थर फिर लुढ़क कर दूर चला जाएगा फिर फ़िरिश्ता पथ्थर उठा कर लाएगा और फिर वोह पथ्थर मार कर उस का सर कुचल देगा इसी त़रह़ लगातार येही अ़ज़ाब होता रहेगा। (المرجع السابق)

मुंह नोचने का अ़ज़ाब

येह भी ह़दीस में आया है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم शबे मे'राज में एक ऐसी क़ौम के पास से गुज़रे जो (जहन्नम में) तांबे के नाख़ुनों से अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। तो आप صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने पूछा कि ऐ जिब्रईल ! येह कौन लोग हैं ? तो ह़ज़रते जिब्रईल عَلَيْهِ السَّلَام ने कहा कि येह वोह लोग हैं जो आदमियों का गोश्त खाते थे (या'नी लोगों की ग़ीबत करते थे) और लोगों की आबरू रेज़ी करते थे।

(سنن ابی داود، کتاب الادب،باب فی الغیبة، الحدیث٤٨٧٨، ج٤،ص٣٥٣)

सांप बिच्छू का अ़ज़ाब

ह़दीस में है कि अ़-जमी ऊंटों के मिस्ल बड़े बड़े सांप होंगे जो जहन्नमियों को डसते होंगे वोह ऐसे ज़हरीले होंगे कि अगर एक मर्तबा काट लेंगे तो चालीस बरस तक उन के ज़हर का दर्द नहीं जाएगा और लगाम लगाए हुए ख़च्चरों

के बराबर बड़े बड़े बिच्छू दोज़ख़ियों को डंक मारते रहेंगे कि एक मर्तबा उन के डंक मारने की तक्लीफ़ चालीस बरस तक बाक़ी रहेगी।

(مشکوۃ المصابیح، کتاب صفۃ القیامۃ.....الخ،باب صفۃ النار.....الخ،الفصل الثالث، الحدیث:٥٦٩١،ج٣،ص٢٤٠۔ المسند للامام احمدبن حنبل،مسند الشامیین، حدیث عبد اللہ بن الحارث،الحدیث١٧٧٢٩،ج٦،ص٢١٦)

बा'ज़ दोज़ख़ियों के गले में सांपों का तौक़ पहना दिया जाएगा जो निहायत ही ज़हरीले होंगे और वोह लगातार काटते रहेंगे।

ह़ल्क़ में फंसने वाले खानों का अ़ज़ाब

दोज़ख़ियों को ह़ल्क़ में फंसने वाला खाना खिलाया जाएगा जो उन के ह़ल्क़ में फंस जाएगा और उन का दम घुटने लगेगा तो वोह पानी मांगेंगे उस वक़्त उन के सामने इतना गर्म पानी पेश किया जाएगा जिस की गरमी का येह आ़लम होगा कि बरतन मुंह के सामने लाते ही चेहरे की पूरी खाल जल भुन कर और पिघल कर बरतन में गिर जाएगी और जब येह पानी पेट में जाएगा तो पेट के अन्दर के तमाम आ'ज़ा आंतों वग़ैरा को जला कर टुकड़े टुकड़े कर के उन के पैरों पर गिरा देगा।

(سنن الترمذی، کتاب صفۃ جھنم ،باب ماجاء فی صفۃ طعام اھل النار، الحدیث٢٥٩٥،ج٤،ص٢٦٣)

कुरआने मजीद में है कि ज़क़्क़ूम (थोहड़) का दरख़्त जहन्नमियों को खिलाया जाएगा। (پ٢٥،الدخان:٤٣،٤٤) और ह़दीस में है कि अगर ज़क़्क़ूम का एक क़त़रा ज़मीन पर गिर पड़े तो दुन्या वालों के खाने पीने की तमाम चीज़ों को तल्ख़ और बदबूदार बना कर ख़राब कर दे।

(سنن الترمذی، کتاب صفۃجھنم،باب ماجاء فی صفۃشراب اھل النار، الحدیث٢٥٩٤،ج٤،ص٢٦٣)

गर्म पानी और पीप का अ़ज़ाब

दोज़ख़ियों को गर्म पानी जो रोग़ने ज़ैतून के तिलछट की त़रह़ गन्दा होगा पीना पड़ेगा जो मुंह के क़रीब लाते ही चेहरे की पूरी खाल को पिघला कर गिरा देगा और येही गर्म पानी उन के सरों पर डाला जाएगा तो येह पानी पेट में दाख़िल हो कर पेट के अन्दर के तमाम आ'ज़ा को टुकड़े टुकड़े कर के उन के क़दमों पर गिरा देगा।

(سنن الترمذی، کتاب صفة جهنم،باب ما جاء فی صفة شراب اهل النار، الحدیث ۲۵۹۰، ۲۵۹۱ ج٤،ص ۲٦۱)

इसी त़रह़ दोज़ख़ियों को जहन्नमियों के बदन का पीप और पन्छा भी पिलाया जाएगा। जिस को "ग़स्साक़" कहते हैं। उस की बदबू का येह ह़ाल होगा कि अगर एक डोल "ग़स्साक़" दुन्या में गिरा दिया जाए तो तमाम दुन्या बदबू से भर जाए।

(سنن الترمذی، کتاب صفة جهنم،باب ما جاء فی صفة شراب اهل النار، الحدیث۲۵۹۳، ج٤،ص ۲٦۳)

अल ह़ासिल जहन्नम में त़रह़ त़रह़ के अ़ज़ाबों के साथ दोज़ख़ियों को अ़ज़ाब दिया जाएगा और जिस त़रह़ जन्नत की ने'मतों को न किसी आंख ने देखा है न किसी कान ने सुना है न किसी के दिल में उस का ख़याल गुज़रा है इसी त़रह़ जहन्नम के अ़ज़ाबों को भी न किसी आंख ने देखा है न किसी कान ने सुना है न किसी के दिल में उस का ख़याल गुज़रा है। ग़रज़ जहन्नम में क़िस्म क़िस्म के ऐसे ऐसे बे मिस्ल व बे मिसाल अ़ज़ाबों की भरमार होगी कि दुन्या में उस की मिसाल तो कहां, कोई उन को सोच भी नहीं सकता। ऊपर जो कुछ हम ने तह़रीर किया है वोह सिर्फ़ समझाने के लिये चन्द मिसालें लिख दी हैं, वरना जो कुछ लिखा गया है वोह जहन्नम के अ़ज़ाबों का

हज़ारवां हिस्सा भी नहीं। बस उस की मिक्दार और कैफ़िय्यतों और क़िस्मों को तो सिर्फ़ अल्लाह तआला ही जानता है। अल्लाह तआला हर मुसल्मान को जहन्नम के अज़ाबों से बचाए और ऐसे आ'माल से महफ़ूज़ रखे जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं।

अब हम उन चन्द आ'माल की फ़ेहरिस्त तहरीर करते हैं जिन पर कुरआनो हदीस में जहन्नम की वईदें आई हैं। इन आ'माल को ग़ौर से पढ़िये और इन कामों से बचते रहिये, ताकि जहन्नम के अज़ाबों से नजात मिल सके।

जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल

﴾1﴿ शिर्क

शिर्क अक्बरुल कबाइर या'नी तमाम बड़े बड़े गुनाहों में सब से ज़ियादा बड़ा गुनाह है। इस के बारे में खुदा वन्दे कुद्दूस ने कुरआने मजीद में फ़रमाया कि

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهٖ وَیَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ ۚ وَمَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدِافْتَرٰٓی اِثْمًا عَظِیْمًا○ (پ۵،النساء:۴۸)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : बेशक अल्लाह इसे नहीं बख़्शता कि उस के साथ कुफ़्र किया जाए और कुफ़्र से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआफ़ फ़रमा देता है और जिस ने खुदा का शरीक ठहराया उस ने बड़े गुनाह का तूफ़ान बांधा।

इसी तरह दूसरी आयत में इर्शाद फ़रमाया कि

وَمَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِیْدًا (پ۵،النساء:۱۱۶)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और जो अल्लाह का शरीक ठहराए वोह दूर की गुमराही में पड़ा।

शिर्क के बारे में अल्लाह तआ़ला का ए'लान है कि वोह इस गुनाह को कभी भी न बख़्शेगा। बाक़ी शिर्क के सिवा दूसरे तमाम गुनाहों को जिस के लिये वोह चाहेगा बख़्श देगा और मुशरिक हमेशा हमेशा के लिये ज़रूर जहन्नम में जाएगा। मुशरिक की कोई इ़बादत मक़्बूल नहीं। बल्कि उ़म्र भर की इ़बादत शिर्क करने से ग़ारत व बरबाद हो जाती है चुनान्चे कु़रआने मजीद में है कि

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

(پ٢٤،الزمر:٦٥)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : कि ऐ सुनने वाले अगर तूने अल्लाह का शरीक किया तो ज़रूर तेरा सब किया धरा अकारत जाएगा।

ह़दीस : ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि उन्हों ने कहा कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم कौन सा गुनाह अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के नज़्दीक सब से ज़ियादा बड़ा है ? तो आप صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : येह है कि तुम अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के लिये कोई शरीक ठहराओ ह़ालां कि उसी ने तुम को पैदा किया है।

(صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ یایھاالرسول...الخ،الحدیث٧٥٣٢،ج٤،ص٥٨٨)

इन के इ़लावा दूसरी बहुत सी आयात और ह़दीसें भी शिर्क की मुमा-न-अ़त में वारिद हुई हैं। लिहाज़ा जहन्नम के अ़ज़ाब से बचने के लिये शिर्क से बचना इन्तिहाई ज़रूरी है।

शिर्क क्या है ? : शिर्क किसे कहते हैं और शिर्क की ह़क़ीक़त क्या है ? तो इस के बारे में अ़ल्लामा ह़ज़रत सा'दुद्दीन तफ़्ताज़ानी رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ ने अपनी किताब ''शर्हे अ़क़ाइद'' में तह़रीर फ़रमाया कि

الا شتراك هو اثبات الشريك فى الالوهية بمعنى وجوب الوجود كما

للمجوس او بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام

(شرح العقائد النسفية،مبحث الافعال كلهابخلق الله ...الخ،ص٧٨)

शिर्क के मा'ना येह हैं कि ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ की उलूहिय्यत में किसी को शरीक ठहराना या तो इस त़रह़ कि ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ के सिवा किसी को वाजिबुल वुजूद मान लेना जैसा कि मजूसी कहते हैं या इस त़रह़ कि ख़ुदा के सिवा किसी को इ़बादत का ह़क़दार मान लेना जैसा कि बुत परस्तों का अ़क़ीदा है।

ह़ज़रते अ़ल्लामा तफ़्ताज़ानी رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْه ने इस इ़बारत में फ़ैसला कर दिया कि शिर्क की दो ही सूरतें हैं एक येह कि ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ के सिवा किसी को वाजिबुल वुजूद माना जाए। दूसरी येह कि ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ के सिवा किसी को इ़बादत के लाइक़ मान लिया जाए।

कौन कौन सी चीजें शिर्क नहीं हैं

﴾1﴿ अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام, औलिया رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی को मह़ब्बत से पुकारना या'नी या रसूलल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم या ग़ौस رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ कहना।

﴾2﴿ बुज़ुर्गों से मदद त़लब करना।

﴾3﴿ बुज़ुर्गों के मज़ारों पर चादर फूल डालना।

﴾4﴿ फ़ातिह़ा पढ़ना।

﴾5﴿ बुज़ुर्गों को ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ की बारगाह में वसीला बनाना।

﴾6﴿ बुज़ुर्गों के मज़ारों के सामने मुरा-क़बा करना।

﴾7﴿ बुज़ुर्गों के मज़ारों का अदब करना।

﴾8﴿ बुज़ुर्गों के फ़ातिह़ा के खानों और मिठाइयों को तबर्रुक समझ कर खाना, जो न सिर्फ़ हिन्दुस्तान बल्कि दुन्या भर में सुन्नी मुसल्मानों का दस्तूर व त़रीक़ा है येह हरगिज़ हरगिज़ शिर्क नहीं

क्यूं कि कोई मुसल्मान भी अम्बिया, औलिया और दूसरे बुज़ुर्गों या'नी पीरों और इमामों और शहीदों को वाजिबुल वुजूद या लाइक़े इबादत नहीं मानता है, बल्कि तमाम मुसल्मान इन बुज़ुर्गों को अल्लाह عَزَّوَجَلَّ का बन्दा मान कर इन की ता'ज़ीम करते हैं ताकि अल्लाह तआला अपने मह़बूबों की ता'ज़ीम से खुश हो जाए लिहाज़ा सुन्नियों के येह आ'माल हरगिज़ हरगिज़ शिर्क नहीं हो सकते। हां अलबत्ता जो जाहिल लोग क़ब्रों को सज्दा करते हैं अगर वोह लोग इन बुज़ुर्गों को क़ाबिले इबादत समझ कर सज्दा करें तो येह खुला हुवा शिर्क होगा। और अगर इन बुज़ुर्गों की ता'ज़ीम के लिये सज्दा करें तो येह अगर्चे शिर्क नहीं होगा मगर ना जाइज़ व ह़राम और बहुत सख़्त गुनाह होगा। लिहाज़ा मुसल्मान को क़ब्रों के सज्दे से खुद भी बचना चाहिये और दूसरों को भी रोकना चाहिये।

ख़ास कर ख़ानक़ाहों के सज्जादा नशीन और मज़ारों के मुजावरीन ह़ज़रात का फ़र्ज़ है कि वोह क़ब्रों पर सज्दा करने वाले जाहिल ज़ाइरीन को क़ब्रों को सज्दा करने से रोकें और ख़िलाफ़े शर-अ़ ह़-र-कत करने वाले ज़ाइरीन को ख़ानक़ाहों और मज़ारों से बाहर कर दें। वरना वोह भी उन ज़ाइरीन के गुनाहों में शरीक ठहरेंगे और क़ह्‌रे क़ह्हार व ग़-ज़बे जब्बार में गरिफ़्तार हो कर अ़ज़ाबे नार के ह़क़दार ठहरेंगे मगर अफ़्सोस कि सज्जादा नशीन व मुजावरीन ह़ज़रात चन्द पैसों और चन्द बताशों के लालच में गंवार क़िस्म के ज़ाइरीन और उजड औ़रतों को ख़ानक़ाहों और मज़ारों में जानवरों की त़रह़ घुस पड़ने की इजाज़त दे देते हैं और येह गंवार क़ब्रों पर सर पटक पटक कर अ़लानिया सज्दा करते हैं और सज्जादा नशीन व मुजावरीन अपनी आंखों से इन ह़-र-कतों को देखते हैं मगर दम नहीं मार सकते और इस का अन्जाम येह होता है कि वहाबी, सुन्नियों को त़ा'ना देते हैं बल्कि बहुत से मुसल्मान इन क़बीह़ ह़-र-कतों को देख कर सुन्नियत से मु-तनफ़्फ़िर हो कर वहाबी हो जाते हैं। (نعوذ بالله منه)

《 2 》 कुफ़्र

शिर्क की त़रह़ कुफ़्र भी वोह बड़ा गुनाह है जो मुआ़फ़ नहीं हो सकता और मुशरिक की त़रह़ काफ़िर भी हमेशा हमेशा के लिये जहन्नम में दाख़िल किया जाएगा । कुरआने मजीद की सेंकड़ों आयतों और ह़दीसों में काफ़िरों के लिये जहन्नम के अ़ज़ाब की वई़दे शदीद आई है। चुनान्चे कुरआने मजीद में बार बार अल्लाह तआ़ला का येह फ़रमान है कि

وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ٥
(پ١،البقرۃ:١٠٤)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और काफ़िरों के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है ।

इसी त़रह़ दूसरी आयत में इर्शाद फ़रमाया कि

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ٥
(پ٢،البقرۃ:٢١٧)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे फिर काफ़िर हो कर मरे तो उन लोगों का किया अकारत गया दुन्या में और आख़िरत में और वोह दोज़ख़ वाले हैं उन्हें उस में हमेशा रहना ।

और एक आयत में येह फ़रमाया कि

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥
(پ١،البقرۃ:٨١)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : हां क्यूं नहीं जो गुनाह कमाए और उस की ख़त़ा उसे घेर ले वोह दोज़ख़ वालों में है उन्हें हमेशा उस में रहना ।

बहर ह़ाल ख़ुलासा येह है कि काफ़िर हमेशा हमेशा के लिये ज़रूर जहन्नम में जाएगा ।

कुफ़्र क्या है ? : दीने इस्लाम की ज़रूरियात में से किसी एक बात का इन्कार करना या उस में शक करना, या उस से नाराज़ होना या उस को ह़क़ीर समझना या उस की तौहीन करना येह सब कुफ़्र है। म-सलन ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ की ज़ात व सिफ़ात से इन्कार करना या ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ के रसूलों और नबियों عَلَيْهِمُ السَّلَام में से किसी रसूल या नबी का इन्कार करना या ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ की किताबों में से किसी किताब का इन्कार करना या फ़िरिश्तों का इन्कार करना या क़ियामत का इन्कार करना या किसी नबी, या रसूल या फ़िरिश्ते या क़ुरआन या का'बा की तौहीन करना।

इसी त़रह़ बा'ज़ काम भी कुफ़्र हैं जैसे बुत को सज्दा करना या बुत परस्ती की जगहों की ता'ज़ीम करना या शिआ़रे कुफ़्र या'नी कुफ़्फ़ार की दीनी अ़लामतों पर अ़मल करना। म-सलन जनेव पहनना। या सर पर चुटिया रखना या ईसाइयों की सलीब पहनना येह सब कुफ़्र की बाते हैं। ग़रज़ हर वोह अ़क़ीदा व अ़मल कुफ़्र है जिस से इस्लाम की तक्ज़ीब या तौहीन होती हो। अगर कोई कुफ़्र सरज़द हो जाए तो फ़ौरन ही उस से तौबा कर के कलिमा पढ़ कर मुसल्मान होना और बीवी से दोबारा निकाह़ कर लेना ज़रूरी है वरना अगर कुफ़्र से तौबा किये बिग़ैर मर गया तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। (نعوذ باللہ)

मसाइल व फ़वाइद

जो मुसल्मान हो कर कुफ़्र करे उस को शरीअ़त में "मुरतद" कहते हैं और दुन्या में मुरतद की येह सज़ा है कि उस को तीन दिन की मोहलत दी जाएगी और उन तीन दिनों में उ़-लमाए किराम उस को समझाएंगे और तौबा का मुत़ा-लबा करेंगे अगर वोह तौबा कर के मुसल्मान हो गया तो ख़ैर, वरना तीसरे दिन बादशाहे इस्लाम उस को क़त्ल करा देगा।

(بہارشریعت،مرتد کا بیان،ج۲،حصہ۹،ص۱٦٤)

﴾3﴿ मुसल्मान का क़त्ल

मुसल्मान का ख़ूने नाह़क़ करना येह भी जहन्नम में ले जाने वाला गुनाहे कबीरा है। ह़दीस शरीफ़ में है कि दुन्या का हलाक हो जाना अल्लाह के नज़्दीक एक मुसल्मान के क़त्ल होने से हलका है।

(تفسیر خزائن العرفان،پ ۵،النساء:۹۳)

क़ुरआने मजीद में है कि

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَاباً عَظِيْمًا۝ (پ۵،النساء:۹۳)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और जो कोई मुसल्मान को जान बूझ कर क़त्ल करे तो उस का बदला जहन्नम है कि मुद्दतों उस में रहे और अल्लाह ने उस पर ग़ज़ब किया और उस पर ला'नत की और उस के लिये तय्यार रखा बड़ा अ़ज़ाब।

दूसरी आयत में येह इर्शाद फ़रमाया कि

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۝ (پ۸،الانعام:۱۵۱)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और जिस जान की अल्लाह ने ह़ुरमत रखी है उसे नाह़क़ न मारो येह तुम्हें ह़ुक्म फ़रमाया है कि तुम्हें अ़क़्ल हो।

एक दूसरी आयत में यूं इर्शाद फ़रमाया कि

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (پ۵،النساء:۲۹)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और अपनी जानें क़त्ल न करो बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है।

एक दूसरी आयत में है कि

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ج (پ۸،الانعام:۱۵۱)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और अपनी औलाद क़त्ल न करो मुफ़्लिसी के बाइ़स हम तुम्हें और उन्हें सब को रिज़्क़ देंगे।

और एक दूसरी आयत में येह भी फ़रमाया कि

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْۙ(۸) بِاَیِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْۚ(۹) (پ۳۰،التکویر:۸،۹)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और जब ज़िन्दा दबाई हुई से पूछा जाए किस ख़ता पर मारी गई ।

अब इस मज़मून के बारे में चन्द ह़दीसें भी पढ़ लीजिये जो बहुत रिक़्क़त अंगेज़ व इ़ब्रत ख़ैज़ हैं ।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू सईद व ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि "अगर तमाम आस्मान व ज़मीन वाले एक मुसल्मान का ख़ून करने में शरीक हो जाएं तो अल्लाह तआ़ला उन सब को मुंह के बल औंधा कर के जहन्नम में डाल देगा ।"

(سنن الترمذی، کتاب الدیات،باب الحکم فی الدماء،الحدیث۱۴۰۳،ج۳،ص۱۰۰)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि (क़ियामत के दिन) मक़्तूल की रगों से ख़ून बहता होगा और वोह अपने क़ातिल के सर का अगला ह़िस्सा अपने हाथ में पकड़े हुए और येह कहते हुए ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ के ह़ुज़ूर ह़ाज़िर होगा, ऐ मेरे परवर्दगार ! इस ने मुझ को क़त्ल किया है । यहां तक कि वोह अ़र्श तक पहुंच कर ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ के दरबार में अपना मुक़द्दमा पेश करेगा ।

(سنن الترمذی، کتاب التفسیر،باب ومن سورۃ النساء، الحدیث۳۰۴۰،ج۵،ص۲۳)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अबुद्दरदा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि हर गुनाह के बारे में उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला बख़्श देगा। लेकिन जो शिर्क की ह़ालत में मर गया और जिस ने किसी मुसल्मान को जान बूझ कर क़त्ल कर दिया उन दोनों को नहीं बख़्शेगा।

(مشکوۃ المصابیح، کتاب القصاص، الفصل الثانی، الحدیث: ٣٤٦٨، ج٢، ص٢٨٩۔ سنن ابی داود، کتاب الفتن والملاحم، باب فی تعظیم قتل المؤمن، الحدیث ٤٢٧٠، ج٤، ص١٣٩)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो शख़्स एक मुसल्मान के क़त्ल में मदद करे अगर्चे वोह एक लफ़्ज़ बोल कर भी मदद करे तो वोह इस ह़ाल में (क़ियामत के दिन) अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के दरबार में ह़ाज़िर होगा कि उस की दोनों आंखों के दरमियान येह लिखा होगा कि "येह अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की रह़मत से मायूस हो जाने वाला है।"

(سنن ابن ماجہ، کتاب الدیات، باب التغلیظ فی قتل (مسلم) ظلماً، الحدیث ٢٦٢٠، ج٣ص٢٦٢)

मसाइल व फ़वाइद

ख़ुलासए कलाम येह है कि किसी मुसल्मान को क़त्ल करना बहुत ही सख़्त गुनाहे कबीरा है। फिर अगर मुसल्मान का क़त्ल उस के ईमान की अ़दावत से हो या क़ातिल मुसल्मान के क़त्ल को ह़लाल जानता हो तो येह कुफ़्र होगा और क़ातिल काफ़िर हो कर हमेशा हमेशा के लिये जहन्नम में जलता रहेगा। और अगर सिर्फ़ दुन्यवी अ़दावत की बिना पर मुसल्मान को क़त्ल कर दे और इस क़त्ल को ह़लाल न जाने जब भी आख़िरत

में इस की येह सज़ा है कि वोह मुद्दते दराज़ तक जहन्नम में रहेगा।

दुन्या में मक़्तूल के वारिसों को इख़्तियार है कि अगर वोह चाहें तो क़ातिल को क़त्ल कर के क़िसास ले लें। और अगर चाहें तो एक सो ऊंट या इस की क़ीमत क़ातिल से बत़ौरे ख़ूनबहा के ले लें। और अगर चाहें तो क़ातिल को मुआ़फ़ कर दें। (واللہ تعالٰی اعلم)

《4》 ज़िनाकारी

येह वोह जुर्म है कि दुन्या की तमाम क़ौमों के नज़्दीक फ़े'ले क़बीह़ और जुर्म व गुनाह है और इस्लाम में येह कबीरा गुनाह है और दुन्या व आख़िरत में हलाकत का सबब और जहन्नम में ले जाने वाला बद तरीन फ़े'ल है। क़ुरआने मजीद में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا۝ (پ۱۵،بنی اسرائیل:۳۲)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और बदकारी के पास न जाओ बेशक वोह बे ह़याई है और बहुत ही बुरी राह।

अल्लाहु अक्बर ! ज़िना करना बहुत ही बुरी और बड़ी बात है। इर्शादे रब्बानी है कि ज़िना के क़रीब भी मत जाओ। या'नी उन बातों से भी बचते रहो जो तुम्हें ज़िनाकारी की त़रफ़ ले जाएं। चुनान्चे एक दूसरी आयत में येह इर्शाद फ़रमाया है कि

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ۝ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ (پ۱۸،النور:۳۰،۳۱)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : (ऐ रसूल) मुसल्मान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की ह़िफ़ाज़त करें येह उन के लिये बहुत सुथरा है बेशक अल्लाह को उन के कामों की ख़बर है और मुसल्मान औ़रतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की ह़िफ़ाज़त करें।

ज़िनाकारी की मज़म्मत व मुमा–न–अ़त के बारे में मुन्दरिजए ज़ैल चन्द ह़दीसें भी पढ़ लीजिये।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत हे कि उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि ज़िना करने वाला जितनी देर तक ज़िना करता रहता है उस वक़्त वोह मोमिन नहीं रहता।

(صحیح البخاری، کتاب المحاربین،باب اثم الزناۃ...الخ،الحدیث ٦٨١٠،ج٤،ص٣٣٨)

मत़्लब येह है कि ज़िनाकारी करते वक़्त ईमान का नूर उस से जुदा हो जाता है फिर अगर वोह इस के बा'द तौबा कर लेता है तो उस का नूरे ईमान फिर उस को मिल जाता है, वरना नहीं।

ह़दीस : 2

ह़ज़रते सफ़्वान बिन अ़स्साल رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने आयाते बय्यिनात का ज़िक्र करते हुए इर्शाद फ़रमाया कि

﴿1﴾ शिर्क न करो ﴿2﴾ चोरी न करो ﴿3﴾ ज़िना न करो ﴿4﴾ और उस जान को न क़त्ल करो जिस को अल्लाह तआ़ला ने ह़राम फ़रमाया मगर ह़क़ के साथ ﴿5﴾ किसी बे क़ुसूर को बादशाह के सामने क़त्ल के लिये पेश न करो ﴿6﴾ जादू मत करो ﴿7﴾ सूद मत खाओ ﴿8﴾ किसी पाक दामन औ़रत पर ज़िना की तोहमत न लगाओ ﴿9﴾ जिहादे कुफ़्फ़ार के वक़्त मैदाने जंग छोड़ कर न भागो ﴿10﴾ और ख़ास यहूदियों के लिये येह कि सनीचर के दिन का एह़तिराम करें।

(جامع الترمذی، کتاب الاستئذان والآداب،باب ماجاء فی قبلۃ الیدوالرجل، الحدیث٢٧٤٢،ج٤،ص٣٣٥)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है

कि हुज़ूर صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से एक शख़्स ने सुवाल किया कि कौन सा गुनाह अल्लाह तआ़ला के नज़्दीक ज़ियादा बड़ा है ? तो आप صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि तुम अल्लाह के लिये कोई शरीक ठहराओ ह़ालां कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ही ने तुम को पैदा किया। तो उस शख़्स ने कहा कि फिर इस के बा'द कौन सा गुनाह सब से बड़ा है ? तो आप صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया, येह है कि तुम अपनी औलाद को इस ख़ौफ़ से क़त्ल करो कि वोह तुम्हारे साथ खाएगी। इस पर उस शख़्स ने कहा कि फिर इस के बा'द कौन सा गुनाह ज़ियादा बड़ा है ? तो आप صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया, येह है कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करो। चुनान्चे अल्लाह तआ़ला ने इस की तस्दीक़ कुरआने मजीद में नाज़िल फ़रमा दी कि

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ (پ١٩،الفرقان:٦٨)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और वोह जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे मा'बूद को नहीं पूजते और उस जान को जिस की अल्लाह ने हुरमत रखी नाह़क़ नहीं मारते और बदकारी नहीं करते ।

(صحیح البخاری، کتاب الدیات،باب قول الله ومن یقتل مؤمنا...الخ،الحدیث ٦٨٦١،ج٤ص٣٥٦)

मसाइल व फ़वाइद

ज़िना बहुत सख़्त ह़राम और गुनाहे कबीरा है जिस की सज़ा आख़िरत में जहन्नम का अ़ज़ाब, और दुन्या में ज़िनाकार की येह सज़ा है कि ज़िनाकार मर्द व औ़रत अगर कंवारे हों तो बादशाहे इस्लाम इन को मज्मए़ आ़म में एक सो दुर्रे लगवाएगा और कोइ अगर वोह शादी शुदा हों तो इन्हें आ़म मज्मअ़ के सामने संगसार करा देगा या'नी इन पर पथ्थर बरसा कर इन को जान से मार डालेगा। और दुन्या में ख़ुदा वन्दी अ़ज़ाब के बारे में एक ह़दीस में येह आया है कि ''کثر فیهم الموت'' या'नी

ज़िनाकार क़ौम में ब कसरत मौतें होंगी।

(مشکوۃ المصابیح، کتاب الرقاق، باب تغیر الناس، الفصل الثالث، الحدیث: ۵۳۷۰، ج۳، ص۱۴۸۔
الموطا للامام مالك، کتاب الجهاد، باب ما جاء فی الغلول، الحدیث ۱۰۲۰، ج۲، س۱۹)

एक और ह़दीस में येह भी आया है कि "اخذوا بالسنة" या'नी ज़िनाकार क़ौम क़ह़त़ में मुब्तला कर दी जाएगी।

(مشکوۃ المصابیح، کتاب الحدود، الفصل الثالث، الحدیث: ۳۵۸۲، ج۲ص۳۱۴۔
المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث عمرو بن العاص، الحدیث ۱۷۸۳۹، ج۶، ص۲۴۵)

अल ग़रज़ दुन्या व आख़िरत में इस फ़े'ले बद का अन्जाम हलाकत व बरबादी है। लिहाज़ा मुसल्मानों पर लाज़िम है कि अपने मुआ़शरे को इस हलाकत ख़ेज़ बदकारी की नुहूसत से बचाएं ख़ुदा वन्दे करीम عَزَّوَجَلَّ अपने ह़बीब صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के तुफ़ैल में हर मुसल्मान मर्द व औ़रत को इस बलाए अ़ज़ीम से मह़फ़ूज़ रखे। (आमीन)

﴾4﴿ लिवात़त

येह गन्दा और घिनावना काम ज़िनाकारी से भी बढ़ कर शदीद गुनाहे कबीरा है और जहन्नम में ले जाने वाला बद तरीन काम है। अल्लाह तआ़ला ने क़ौमे लूत़ को जिन्हों ने सब से पहले येह फ़े'ले बद किया था क़ुरआने मजीद में बार बार उन लोगों को बद तरीन मुजरिम क़रार दिया। और क़ुरआने मजीद में कहीं उन लोगों को "मुजरिमीन" कहीं "मुस्रिफ़ीन" कहीं "फ़ासिक़ीन" फ़रमा कर उन लोगों के जुर्मों का ए'लान और इस फ़े'ले बद की मज़म्मत का बयान फ़रमाया। और क़ुरआने मजीद की बहुत सी

सूरतों में जा ब जा इस का ज़िक्र फ़रमाया कि क़ौमे लूत़ पर उन की इस बद आ'माली की सज़ा में शदीद पथराव और ज़ल्ज़ले का अ़ज़ाब भेज कर उन की बस्तियों को उलट पलट कर दिया और पूरी आबादी को तहस नहस कर के उस क़ौम को दुन्या से नेस्तो नाबूद कर दिया। चुनान्चे सूरए आ'राफ़ में फ़रमाया :

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ○ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ○ (پ۸،الاعراف:۸۰،۸۱)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और लूत़ को भेजा जब उस ने अपनी क़ौम से कहा क्या वोह बे ह़याई करते हो जो तुम से पहले जहान में किसी ने न की तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औ़रतें छोड़ कर बल्कि तुम लोग ह़द से गुज़र गए।

फिर अल्लाह तआ़ला ने उन लोगों की हलाकत का बयान फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाया कि

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ○ (پ۸،الاعراف:۸٤)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और हम ने उन पर (पथ्थरों का) एक मींह बरसाया तो देखो कैसा अन्जाम हुवा मुजरिमों का।

दूसरी आयत में इर्शाद फ़रमाया कि

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ○ (پ۱۷،الانبیآء:۷٤)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और लूत़ को हम ने हुकूमत और इ़ल्म दिया और उसे उस बस्ती से नजात बख़्शी जो गन्दे काम करती थी बेशक वोह बुरे लोग बे हुक्म थे।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि सब से ज़ियादा जिस चीज़ का मुझे अपनी उम्मत पर ख़ौफ़ है वोह क़ौमे लूत़ का अ़मल है।

(سنن الترمذی، کتاب الحدود،باب ماجاء فی حداللوطی، الحدیث ١٤٦٢،ج٣،ص١٣٨)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते ख़ुज़ैमा बिन साबित رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि बेशक अल्लाह तआ़ला ह़क़ बात कहने से नहीं शरमाता है। तुम लोग औ़रतों से उन के पीछे के मक़ाम में जिमाअ़ न करो।

(سنن ابن ماجه، کتاب النکاح،باب النهی عن اتیان النساء...الخ، الحدیث١٩٢٤،ج٢،ص٤٥٠)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया जो किसी मर्द या औ़रत के पिछले मक़ाम में जिमाअ़ करे अल्लाह तआ़ला उस पर रह़मत नहीं फ़रमाएगा।

(سنن الترمذی، کتاب الرضاع،باب ماجاء فی کراهیة اتیان...الخ،الحدیث١١٦٨،ج٢،ص٣٨٨)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जिस को तुम क़ौमे लूत़ का अ़मल करते हुए पाओ तो फ़ाइल व मफ़ऊ़ल दोनों को क़त्ल कर दो।

(سنن الترمذی، کتاب الحد ود، باب ماجاء فی حد اللوطی،الحدیث ١٤٦١، ج٣،ص١٣٧)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते अ़म्र बिन अबी अ़म्र رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है जो क़ौमे लूत़ का अ़मल करे वोह मल्ऊ़न है।

(سنن الترمذی، کتاب الحدود، باب ماجاء فی حد اللوطی، الحدیث ١٤٦١، ج٣، ص١٣٧)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते अबू सईद ख़ुदरी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि आख़िरी ज़माने में कुछ लोग होंगे जो "लूत़िया" कहलाएंगे और येह तीन क़िस्म के लोग होंगे, एक वोह जो सिर्फ़ लड़कों की सूरतें देखेंगे और उन से बात चीत करेंगे। दूसरे वोह होंगे जो लड़कों से मुसा-फ़ह़ा और मुआ़-नक़ा भी करेंगे। तीसरे वोह लोग होंगे जो उन लड़कों के साथ बद फ़े'ली करेंगे। तो इन सभों पर अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की ला'नत है मगर जो लोग तौबा कर लेंगे अल्लाह तआ़ला उन की तौबा क़बूल कर लेगा और वोह ला'नत से बचे रहेंगे।

(کنزالعمال، کتاب الحدود من قسم الاقوال، الحدیث ١٣١٢٩، ج٣، الجزالخامس، ص١٣٥)

ह़दीस : 7

ह़ज़रते वकीअ़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि जो शख़्स क़ौमे लूत़ का अ़मल करते हुए मरेगा तो उस की क़ब्र उस को क़ौमे लूत़ में पहुंचा देगी और उस का ह़श्र क़ौमे लूत़ के साथ होगा।

(کنزالعمال، کتاب الحدود من قسم الاقوال، الحدیث ١٣١٢٧، ج٣، الجزالخامس، ص١٣٥)

मसाइल व फ़वाइद

दुन्या में भी लूती़ की सज़ा बहुत सख़्त है। चुनान्चे ह़ज़रते इमाम शाफ़ेई व ह़ज़रते इमाम मालिक व ह़ज़रते इमाम अह़मद बिन ह़म्बल رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم का येह मज़्हब है कि लूती़ ख़्वाह कंवारा हो या शादी शुदा संगसार कर के मार डाला जाएगा।

(سنن الترمذی، کتاب الحدود، باب ماجاء فی حداللوطی، ج۳،ص۱۳۷)

लूती़ के लिये इमामे आ'ज़म رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه का फ़तवा

और ह़-नफ़ी मज़्हब येह है कि इस के ऊपर दीवार गिरा दें या ऊंची जगह से इस को औंधा कर के गिराएं और इस पर पथ्थर बरसाएं या इसे क़ैद में रखें यहां तक कि मर जाए या तौबा कर ले या चन्द बार येह फ़े'ले बद किया हो तो बादशाहे इस्लाम इसे क़त्ल कर डाले अल ग़रज़ इग़्लाम बाज़ी या'नी पीछे के मक़ाम में जिमाअ़ करना निहायत ही ख़बीस फ़े'ल है बल्कि येह ज़िना से भी बदतर है। इसी लिये इस में शर-ई ह़द मुक़र्रर नहीं कि बा'ज़ इमामों के नज़्दीक ह़द क़ाइम करने से आदमी इस गुनाह से पाक हो जाता है और येह इतना शदीद और बड़ा गुनाह है कि जब तक तौबए ख़ालिसा न हो इस गुनाह से पाकी न ह़ासिल होगी और इस गुनाह को ह़लाल जानने वाला काफ़िर है। येही मज़्हबे जम्हूर है।

(بہارشریعت، کہاں حد واجب ہے اور کہاں نہیں، ج۲، حصہ۹، ص۹۲)

﴾6﴿ चोरी

चोरी भी गुनाहे कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला ह़राम काम है। कुरआने मजीद और ह़दीसों में इस ह़राम काम की ब कसरत मज़म्मत व मुमा-न-अ़त आई है और दुन्या व आख़िरत में इस की

बड़ी सख़्त सज़ा मुक़र्रर फ़रमाई है कि क़ुरआने मजीद में फ़रमाया :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ (پ٦،المائدة:٣٨)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और जो मर्द या औ़रत चोर हो तो उन का हाथ काटो उन के किये का बदला अल्लाह की त़रफ़ से सज़ा और अल्लाह ग़ालिब हि़क्मत वाला है।

और ह़दीस शरीफ़ में है कि हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने आयते बय्यिनात का बयान फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाया "ولا تسرقوا" या'नी चोरी मत करो।

(سنن الترمذی، کتاب الاستئذان والآداب،باب ماجاء فی قبلة الیدوالرجل، الحدیث ٢٧٤٢،ج٤،ص٣٣٥)

दूसरी ह़दीस में है कि "لا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن" या'नी चोर जिस वक़्त चोरी करता है उस वक़्त मोमिन नहीं रहता।

(صحیح مسلم، کتاب الایمان،باب بیان نقصان الایمان...الخ، الحدیث٥٧، ص٤٨)

मत़्लब येह है कि चोरी करते वक़्त इस गुनाह की नुहूसत से उस का नूरे ईमान उस से अलग हो जाता है और फिर जब वोह इस गुनाह से तौबा कर लेता है तो उस का नूरे ईमान फिर उस को मिल जाता है।

मसाइल व फ़वाइद

चोर ने अगर दस दिरहम या इस से ज़ियादा मालियत की चोरी की है तो उस का दाहिना हाथ गट्टे से काट लिया जाएगा और उस के कटे हुए हाथ को उस की गरदन में लटका कर शहर में गश्त कराया जाएगा ताकि लोगों को इ़ब्रत ह़ासिल हो फिर अगर दोबारा चोरी की तो

उस का बायां पाउं टख़्ने से काटा जाएगा। हाथ काटने के बा'द अगर चोरी का माल चोर के पास मौजूद हो तो मालिक को वोह माल दिला दिया जाएगा और अगर चोर के पास से वोह माल ज़ाएअ़ हो गया हो तो चोर से उस का तावान नहीं लिया जाएगा।

(تفسیر خزائن العرفان، پ٦، المائدة:٣٨)

वाज़ेह़ रहे कि डाका डालना, लूटमार करना, किसी की ज़मीन या माल व जाएदाद को ग़सब कर लेना, किसी से आ़रिय्यत के त़ौर पर कोई सामान ले कर वापस न करना, किसी से क़र्ज़ ले कर उस को अदा न करना, किसी की अमानत में ख़ियानत करना वग़ैरा येह सब चोरी की त़रह़ गुनाहे कबीरा हैं और येह सब क़ह्रे क़ह्हार व ग़-ज़बे जब्बार में गरिफ़्तार होने का सबब और अ़ज़ाबे नार का बाइ़स हैं। (واللہ تعالیٰ اعلم)

﴿7﴾ शराब

शराब को हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उम्मुल ख़बाइस या'नी तमाम गुनाहों की जड़ फ़रमाया है और अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआने मजीद में इस को ह़राम फ़रमाया और ह़दीसों में भी कसरत से इस की ह़ुरमत और मुख़ा-लफ़त का ज़िक्र आया है। क़ुरआने मजीद में है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

(پ٧، المائدة:٩٠، ٩١)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! शराब और जूआ और बुत और पांसे नापाक ही हैं शैत़ानी काम तो इन से बचते रहना कि तुम फ़लाह़ पाओ शैत़ान येही चाहता है कि तुम में बेर और दुश्मनी डलवावे शराब और जूए में और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज़ से रोके तो क्या तुम बाज़ आए।

शराब की बुराई के बारे में चन्द ह़दीसें भी पढ़ लीजिये। चुनान्चे

ह़दीस : 1

ह़ज़रते वाइल ह़ज़रमी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि त़ारिक़ बिन सुवैद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने शराब के बारे में दरयाफ़्त किया तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उन को मन्अ़ फ़रमा दिया तो उन्हों ने कहा कि मैं तो सिर्फ़ दवा ही के लिये शराब बनाता हूं तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि येह दवा नहीं है बल्कि येह एक बहुत बड़ी बीमारी है।

(صحیح مسلم، کتاب الاشربۃ،باب تحریم التداوی بالخمر،الحدیث١٩٨٤،ص١٠٩٧)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो शराब पी लेगा चालीस दिन तक उस की नमाज़ क़बूल नहीं होगी लेकिन अगर उस ने तौबा कर ली तो अल्लाह तआ़ला उस की तौबा क़बूल फ़रमा लेगा। फिर अगर दोबारा उस ने शराब पी ली तो फिर चालीस दिन तक उस की नमाज़ क़बूल नहीं होगी। लेकिन अगर उस ने तौबा कर ली तो अल्लाह तआ़ला उस की तौबा क़बूल फ़रमाएगा। फिर अगर उस ने तीसरी बार शराब पी ली तो फिर चालीस दिनों तक उस की नमाज़ क़बूल नहीं होगी लेकिन अगर उस ने तौबा कर ली तो अल्लाह तआ़ला उस की तौबा क़बूल फ़रमाएगा। फिर अगर चौथी मर्तबा उस ने शराब पी ली तो फिर चालीस दिनों तक उस की नमाज़ क़बूल नहीं होगी लेकिन इस के बा'द अगर उस ने तौबा की तो उस की तौबा क़बूल नहीं होगी और क़ियामत के दिन उस को जहन्नम में दोज़ख़ियों की पीप की नहर में से पिलाया जाएगा।

(سنن الترمذی، کتاب الاشربۃ،باب ما جاء فی شارب الخمر،الحدیث١٨٦٩، ج٣، ص٣٤١)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते जाबिर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो चीज़ ज़ियादा मिक़्दार में नशा लाए तो उस की थोड़ी सी मिक़्दार भी ह़राम है।

(سنن الترمذی، کتاب الاشربۃ،باب ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام،الحدیث۱۸۷۲، ج۳،ص۳۴۳)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अबू सईद ख़ुदरी رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि हमारे यहां एक यतीम लड़के की शराब रखी हुई थी। जब सूरए माइदा नाज़िल हुई (और शराब ह़राम हो गई) तो मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से उस के बारे में पूछा और येह भी कहा कि वोह एक यतीम की है। तो आप صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि उस को बहा दो।

(سنن الترمذی، کتاب البیوع،باب ماجاء فی النھی للمسلم...الخ،الحدیث۱۲۶۷، ج۳، ص۳۳)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ ह़ज़रते अबू त़ल्ह़ा رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से नाक़िल है कि उन्हों ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी ! صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मैं ने चन्द यतीमों के लिये शराब ख़रीदी है जो मेरी परवरिश में हैं। तो आप صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि शराब को बहा दो और मटकों को तोड़ डालो।

(سنن الترمذی، کتاب البیوع،باب ماجاء فی بیع الخمر والنھی عن ذالك،الحدیث۱۲۹۷، ج۳،ص۴۶)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते दैलम हुमैरी رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा

कि मैं ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! हम एक ठन्डी ज़मीन में रहते हैं और हम बहुत सख़्त मेह़नत के काम करते हैं और हम गेहूं की शराब बनाते हैं ताकि हम उस को पी कर अपने कामों की त़ाक़त और अपने शहरों की सरदी पर क़ाबू ह़ासिल करें तो हु़ज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि वोह नशा लाती है ? तो मैं ने कहा कि जी हां ! तो आप صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि फिर उस से बचो । तो मैं ने कहा कि हमारे यहां के लोग उस को नहीं छोड़ सकते । तो इर्शाद फ़रमाया कि अगर लोग उस को न छोड़ें तो तुम उन लोगों से जिहाद करो ।

(سنن ابی داود، کتاب الاشربة،باب النھی عن المسکر،الحدیث۳٦۸۳،ج۳،ص٤٦٠)

ह़दीस : 7

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि हु़ज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने शराब और जूआ और शत़रन्ज और बाजरा की शराब से मन्अ़ फ़रमाया और येह फ़रमाया कि हर नशा लाने वाली चीज़ ह़राम है।

(سنن ابی داود، کتاب الاشربة،باب النھی عن المسکر، الحدیث۳٦۸۵،ج۳،ص٤٦٠)

ह़दीस : 8

ह़ज़रते अबू मूसा अश्अ़री رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि तीन आदमी जन्नत में दाख़िल नहीं होंगे । ﴾1﴿ दाइमी त़ौर पर शराब पीने वाला ﴾2﴿ रिश्तेदारियों को काटने वाला ﴾3﴿ जादू की तस्दीक़ करने वाला ।

(المسندللامام احمد بن حنبل،مسندالکوفیین،حدیث ابی موسی الاشعری، الحدیث ١٩٥٨٦،ج٧،ص١٣٩)

ह़दीस : 9

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْھُمَا से रिवायत है कि दाइमी त़ौर पर शराब पीने वाला अगर इसी ह़ालत में मर गया तो वोह दरबारे ख़ुदा वन्दी में क़ियामत के रोज़ इस त़रह़ आएगा जैसे कि एक बुत परस्त।

(المسند للامام احمد بن حنبل،مسند عبدالله بن العباس،الحديث ٢٤٥٣، ج١، ص٥٨٣)

ह़दीस : 10

ह़ज़रते अबू मूसा رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ फ़रमाया करते थे कि मैं इस की परवाह नहीं करता कि शराब पी लूं या इस सुतून की इ़बादत कर लूं (या'नी येह दोनों ह़राम और गुनाह के काम हैं इन दोनों से यक्सां त़ौर पर बचना चाहिये।)

(سنن النسائی، کتاب الاشربة،باب ذکر الروایات المغلظات فی شرب الخمر،ج٤، ص٣١٤)

ह़दीस : 11

ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने शराब के बारे में दस आदमियों पर ला'नत फ़रमाई।

﴿1﴾ शराब निचोड़ने वाले पर ﴿2﴾ शराब निचुड़वाने वाले पर ﴿3﴾ शराब पीने वाले पर ﴿4﴾ शराब उठाने वाले पर ﴿5﴾ उस पर जिस की त़रफ़ शराब उठा कर ले जाई गई। ﴿6﴾ शराब पिलाने वाले पर ﴿7﴾ शराब की क़ीमत खाने वाले पर ﴿8﴾ शराब बेचने वाले पर ﴿9﴾ शराब ख़रीदने वाले पर ﴿10﴾ उस पर जिस के लिये शराब ख़रीदी गई हो।

(سنن الترمذی، کتاب البیوع،باب النهی ان یتخذ الخمر خلا، الحدیث١٢٩٩، ج٣، ص٤٧۔
سنن ابن ماجه، کتاب الاشربة،باب لعنت الخمر علی عشرة اوجه، الحدیث ٣٣٨١،ج٤،ص٦٥)

मसाइल व फ़वाइद

शराब और ताड़ी का पीना और इस की तिजारत करना और इस को खाने या लगाने की दवाओं में मिलाना सब ह़राम है, और शराब व ताड़ी नापाक हैं। अगर येह बदन और कपड़ों पर लग जाएं तो बदन और कपड़ा नापाक हो जाएगा। और एक क़त़रा शराब या ताड़ी का कूंएं में गिर जाए तो कूंआं नापाक हो जाएगा और कूंएं का कुल पानी निकाल कर कूंएं को पाक करना ज़रूरी है। दुन्या में ताड़ी, शराब पीने वाले की सज़ा येह है कि उस को अस्सी कोड़े मारे जाएंगे और आख़िरत में इन लोगों की सज़ा जहन्नम का दर्दनाक अ़ज़ाब है।

﴾8﴿ जूआ

जूआ खेलना और जूए के ज़रीए़ ह़ासिल होने वाली आमदनी ह़राम, और उस का इस्ति'माल गुनाहे कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। क़ुरआने मजीद की सूरए माइदा में ''اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ (پ۷،المائدۃ:۹۰) फ़रमा कर अल्लाह तआ़ला ने शराब और जूए को ह़राम फ़रमा दिया है और ह़दीस में रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने जूआ खेलने की हुरमत और मुमा-न-अ़त को बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाया कि

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू मूसा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो ''नर्द'' (जूआ खेलने का आला) से खेले उस ने अल्लाह तआ़ला और उस के

रसूल عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ना फ़रमानी की।

(سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب اللعب بالنرد، الحديث ٣٧٦٢، ج٤، ص ٢٣٠۔
سنن ابی داود، كتاب الادب، باب فی النهی عن اللعب بالنرد، الحديث ٤٩٣٨، ج٤، ص ٣٧١)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते बुरैदा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जिस ने नर्द शेर (जूआ खेलने का सामान) से जूआ खेला तो गोया उस ने अपना हाथ ख़िन्ज़ीर के गोश्त और ख़ून में डबोया।

(سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب اللعب بالنرد، الحديث ٣٧٦٣، ج٤، ص ٢٣١۔
سنن ابی داود، كتاب الادب، باب فی النهی عن اللعب بالنرد، الحديث ٤٩٣٩، ج٤، ص ٣٧١)

मसाइल व फ़वाइद

जूआ खेलना ह़राम व गुनाह है और इस से ह़ासिल की हुई कमाई भी ह़राम व ना जाइज़ है और जूआ खेलने के तमाम सामान व आलात को ख़रीदना, बेचना और इस्ति'माल करना ना जाइज़ व गुनाह है बल्कि मस्अला येह है कि जूआ खेलने के आलात को अगर कोई तोड़ फोड़ डाले तो उस से कोई तावान नहीं लिया जाएगा। इस ज़माने में लॉटरी का बहुत रवाज है मगर ख़ूब समझ लो ! कि येह भी एक क़िस्म का जूआ है और इस के ज़रीए इन्आ़म के नाम से जो रक़म मिलती है वोह जूए के ज़रीए कमाई है लिहाज़ा येह भी ना जाइज़ ही है। हर मुसल्मान को इस से बचना शरअ़न लाज़िम व ज़रूरी है।

﴾9﴿ सूद (बियाज)

अल्लाह तआ़ला ने सूद को ह़राम फ़रमाया है और येह बहुत ही

सख़्त गुनाहे कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला अ़-मले बद है। चुनान्चे क़ुरआने मजीद में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝ (پ۳،البقرة:۲۷۵،۲۷۶)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और अल्लाह ने ह़लाल किया बैअ़ और ह़राम किया सूद तो जिसे उस के रब के पास से नसीह़त आई और वोह बाज़ रहा तो उसे ह़लाल है जो पहले ले चुका और उस का काम ख़ुदा के सिपुर्द है और जो अब ऐसी ह़-र-कत करेगा तो वोह दोज़ख़ी है वोह उस में मुद्दतों रहेंगे अल्लाह हलाक करता है सूद को और बढ़ाता है ख़ैरात को और अल्लाह को पसन्द नहीं आता कोई ना शुक्र बड़ा गुनहगार।

इसी त़रह़ दूसरी आयत में इर्शाद फ़रमाया :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰۤوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ (پ۳،البقرة:۲۷۸،۲۷۹)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो बाक़ी रह गया है सूद अगर मुसल्मान हो फिर अगर ऐसा न करो तो यक़ीन कर लो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ाई का।

इसी त़रह़ एक दूसरी आयत में येह भी इर्शाद फ़रमाया कि

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ (پ۳،البقرة:۲۷۵)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो सूद खाते हैं क़ियामत के दिन न खड़े होंगे मगर जैसे खड़ा होता है वोह जिसे आसेब ने छू कर मख़्बूत़ बना दिया हो।

इसी त़रह़ ह़दीसों में सूद की ह़ुरमत और मुमा-न-अ़त

ब कसरत बयान की गई है। चुनान्चे

ह़दीस : 1

हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने मोहलिक कबीरा गुनाहों का बयान फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाया कि सूद खाना भी गुनाहे कबीरा है।

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الکبائر واکبرھا، الحدیث ۸۹، ص ٦۰)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते जाबिर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाले और सूद लिखने वाले और सूद के दोनों गवाहों पर ला'नत फ़रमाई और येह फ़रमाया कि येह सब गुनाह में बराबर हैं।

(صحیح مسلم، کتاب المساقاۃ، باب لعن اکل الربوا...الخ، الحدیث ۱۵۹۸، ص ۸٦۲)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि शबे मे'राज में मुझे एक ऐसी क़ौम के पास सैर कराई गई कि उन के पेट कोठरियों के मिस्ल थे। जिन में सांप भरे थे। जो पेटों के बाहर से नज़र आ रहे थे तो मैं ने पूछा कि ऐ जिब्रईल! येह कौन लोग हैं? तो उन्हों ने कहा कि येह सूद खाने वाले हैं।

(سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب التغلیظ فی الربا، الحدیث ۲۲۷۳، ج۳، ص ۷۱)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन ह़न्ज़ला رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है

कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है : सूद का एक दिरहम जान बूझ कर खाना छत्तीस मर्तबा ज़िना करने से भी ज़ियादा सख़्त और बड़ा गुनाह है।

(المسند للامام احمد بن حنبل،حديث عبدالله بن حنظلة،الحديث٢٢٠١٦،ج٨،ص٢٢٣)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि ज़रूर ज़रूर लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि कोई ऐसा बाक़ी न रहेगा जो सूदख़ोर न हो। और अगर सूद न खाएगा तो सूद का धुवां ही उसे पहुंचेगा।

(سنن ابی داود، کتاب البیوع،باب فی اجتناب الشبهات، الحدیث ۳۳۳۱، ج۳، ص ۳۳۰)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि उन्हों ने कहा कि बेशक सूद अगर्चे कितना ही ज़ियादा हो मगर उस का अन्जाम माल की कमी है।

(مشکوة المصابیح، کتاب البیوع،باب الربا،الفصل الثالث، الحدیث: ۲۸۲۷، ج۲، ص۵۲٤۔
المسند للامام احمد بن حنبل،مسند عبدالله بن مسعود،الحدیث۳۷۵٤،ج۲،ص۵۰)

मसाइल व फ़वाइद

सूद की हुरमत क़त़ई व यक़ीनी है जो सूद को ह़लाल बताए या ह़लाल जाने वोह काफ़िर है। वोह हमेशा जहन्नम में रहेगा क्यूं कि हर ह़रामे क़त़ई का ह़लाल जानने वाला काफ़िर है।

(تفسیرخزائن العرفان،پ۳،البقرة:۲۷۵)

﴾10﴿ जादू

जादू करना ह़राम और गुनाहे कबीरा है और अगर जादू के

मन्तरों से शरीअ़त की तक्ज़ीब या तौहीन होती हो तो ऐसा जादू कुफ़्र है। कुरआने मजीद में है :

وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ق (پ١،البقرة:١٠٢)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : हां शैतान काफ़िर हुए लोगों को जादू सिखाते हैं।

ह़दीस : 1

ह़दीस शरीफ़ में हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने आयाते बय्यिनात और कबीरा गुनाहों का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया "لا تسحروا" या'नी जादू न करो।

(سنن الترمذی، کتاب الاستئذان والآداب،باب ماجاء فی قبلة الیدوالرجل، الحدیث ٢٧٤٢،ج٤،ص٣٣٥)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते इब्नुल मुसय्यब رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ने एक जादूगर को पकड़ा और उस के सीने को कुचल कर छोड़ दिया यहां तक कि वोह मर गया।

(کنزالعمال، کتاب السحر...الخ،من قسم الافعال،الحدیث١٧٦٧٨،ج٣،الجزء السادس،ص٣١٩)

मसाइल व फ़वाइद

अगर जादू कुफ़्र की ह़द को पहुंचा हो तो दुन्या में उस की येह सज़ा है कि बादशाहे इस्लाम उस को क़त्ल करा दे। चुनान्चे ह़दीस शरीफ़ में है कि "حد الساحر ضربة بالسیف" या'नी जादूगर की सज़ा उस को तलवार से क़त्ल कर देना है।

(سنن الترمذی، کتاب الحدود،باب ماجاء فی حد الساحر،الحدیث١٤٦٥، ج٣،ص١٣٩)

और आख़िरत में उस की सज़ा जहन्नम का अ़ज़ाबे अ़ज़ीम है

जिस की होलनाकियों और ख़ौफ़नाकियों का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह तआ़ला हर मुसल्मान को अपने हिफ़्ज़ो अमान में रखे और जहन्नम के दर्दनाक अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रखे। (आमीन)

﴾11﴿ यतीम का माल खाना

यतीम का माल खाना बहुत सख़्त ह़राम और गुनाहे कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। क़ुरआने मजीद में अल्लाह तआ़ला ने इस की क़बाह़त का बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाया कि

اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًاؕ وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا ۝ (پ٤،النسآء:١٠)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो यतीमों का माल नाह़क़ खाते हैं वोह तो अपने पेट में निरी आग भरते हैं और कोई दम जाता है कि भड़कते धड़े (भड़कती आग) में जाएंगे।

और दूसरी आयत में इर्शाद फ़रमाया कि

وَ اٰتُوا الْیَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیْثَ بِالطَّیِّبِ ۪ وَ لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِیْرًا (پ٤،النساء:٢)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और यतीमों को उन के माल दो और सुथरे के बदले गन्दा न लो और उन के माल अपने मालों में मिला कर न खा जाओ बेशक येह बड़ा गुनाह है।

ह़दीस : 1

ह़दीस शरीफ़ में हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उन बड़े बड़े गुनाहों को जो मुसल्मान को हलाक कर डालने वाले हैं बयान करते हुए येह इर्शाद फ़रमाया कि "واكل مال اليتيم" या'नी यतीम

का माल खा डालना वोह गुनाहे कबीरा है जो मोमिन को हलाकत में डाल देने वाला है।

(صحیح البخاری، کتاب المحاربین...الخ،باب رمی المحصنات، الحدیث٦٨٥٧، ج٤، ص٣٥٤)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि मुसल्मानों के घरों में सब से बेहतरीन घर वोह है जिस में कोई यतीम रहता हो और उस के साथ बेहतरीन सुलूक किया जाता हो। और मुसल्मानों के घरों में सब से बद तरीन घर वोह है कि जिस में कोई यतीम रहता हो और उस के साथ बुरा बरताव किया जाता हो।

(سنن ابن ماجه، کتاب الادب،باب حق الیتیم، الحدیث٣٦٧٩، ج٤، ص١٩٣)

मसाइल व फ़वाइद

यतीम के माल को नाह़क़ खाना या उस के किसी माल या सामान या उस की ज़मीन व मकान को नाह़क़ त़रीक़े से ले लेना या उस को झिड़कना या किसी क़िस्म की ईज़ा और तक्लीफ़ देना या बुरा सुलूक करना येह सब ह़राम और गुनाह की बातें हैं जिन की सज़ा आख़िरत में जहन्नम का अ़ज़ाबे अ़ज़ीम है।

﴾12﴿ जिहाद से भाग जाना

कुफ़्फ़ार से जिहाद के वक़्त मैदाने जंग से भाग जाना बड़ा ही शदीद ह़राम और गुनाहे कबीरा है जिस की आख़िरत में सज़ा जहन्नम का अ़ज़ाब है। अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाया कि

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۝ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ (پ۹،الانفال:۱۵،۱۶)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! जब काफ़िरों के लाम (लश्कर) से तुम्हारा मुक़ाबला हो तो उन्हें पीठ न दो और जो उस दिन उन्हें पीठ देगा मगर लड़ाई का हुनर करने या अपनी जमाअ़त में जा मिलने को तो वोह अल्लाह के ग़ज़ब में पलटा और उस का ठिकाना दोज़ख़ है और क्या बुरी जगह है पलटने की ।

और ह़दीस शरीफ़ में है कि हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने कबीरा गुनाहों की फ़ेहरिस्त सुनाते हुए इर्शाद फ़रमाया कि

''والتولی یوم الزحف'' या'नी जिहाद के दिन पीठ फैर देना येह भी गुनाहे कबीरा है ।

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الکبائر واکبرھا، الحدیث ۸۹، ص ۶۰)

और दूसरी जगह यूं फ़रमाया कि

''وتولوا للفرار یوم الزحفو'' या'नी कुफ़्फ़ार से जिहाद के दिन भागने के लिये पीठ न फैरो ।

(سنن الترمذی، کتاب الاستئذان والآداب، باب ماجاء فی قبلة الیدوالرجل، الحدیث ۲۷۴۲، ج ۴، ص ۳۳۵)

मसाइल व फ़वाइद

अगर कुफ़्फ़ार ता'दाद में मुसल्मानों से दो गुना हों जब भी मुसल्मानों को भागना जाइज़ नहीं । हां अगर कुफ़्फ़ार की ता'दाद मुसल्मानों के दो गुना से भी ज़ाइद हो तो उस वक़्त अगर मुसल्मान भागेंगे तो गुनहगार न होंगे ।

﴾6﴿ ज़िना की तोहमत लगाना

किसी पाक दामन मर्द या औ़रत पर ज़िना की तोहमत लगाना बहुत ही सख़्त ह़राम और शदीद गुनाहे कबीरा है । जिस पर अ़ज़ाबे जहन्नम की वईद आई है। चुनान्चे क़ुरआने मजीद में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि

اِنَّ الَّذِیْنَ یَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۝

(پ۱۸،النور:۲۳)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : बेशक वोह जो ऐ़ब लगाते हैं अनजान पारसा ईमान वालियों को उन पर ला'नत है दुन्या और आख़िरत में और उन के लिये बड़ा अ़ज़ाब है।

और ह़दीस शरीफ़ में हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने कबीरा गुनाहों का बयान फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाया कि

''وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات''

या'नी पाक दामन अनजान मुसल्मान औ़रतों को ज़िना की तोहमत लगाना गुनाहे कबीरा या'नी बहुत बड़ा गुनाह है।

(صحیح البخاری، کتاب الوصایا،باب قول اللہ ان الذین یاکلون...الخ، الحدیث۲۷٦٦، ج۲،ص۲٤۲)

और दूसरी ह़दीस में हुज़ूरे अन्वर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने यूं फ़रमाया कि ''ولا تقذفوا محصنة'' या'नी किसी पाक दामन मुसल्मान औ़रत को ज़िना की तोहमत मत लगाओ ।

(سنن الترمذی، کتاب الاستئذان ولآداب،باب ماجاء فی قبلة الیدو الرجل، الحدیث۲۷٤۲، ج٤،ص۳۳٥)

मसाइल व फ़वाइद

अगर किसी ने किसी मुसल्मान मर्द या औ़रत को ज़िना की तोहमत लगाई और वोह उस पर चार गवाह नहीं पेश कर सका तो उस को उस तोहमत लगाने की सज़ा में क़ाज़िये इस्लाम अस्सी दुर्रे लगवाएगा। और उस को मरदूदुश्शहादह क़रार देगा। येह दुन्यवी सज़ा है और आख़िरत में उस को जहन्नम के अ़ज़ाबे अ़ज़ीम की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। (واللہ تعالٰی اعلم)

﴾14﴿ मां बाप की ईज़ा रसानी

मां बाप की ना फ़रमानी ह़राम, सख़्त ह़राम, और गुनाहे कबीरा है। बल्कि हर एक पर फ़र्ज़ है कि अपने मां बाप का फ़रमां बरदार हो कर उन के साथ बेहतरीन सुलूक करे, चुनान्चे अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआने मजीद में फ़रमाया कि

وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ اَحَدُھُمَاۤ اَوْ کِلٰھُمَا فَلَا تَقُلْ لَّھُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْھَرْھُمَا وَقُلْ لَّھُمَا قَوْلًا کَرِیْمًا ○ وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَۃِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْھُمَا کَمَا رَبَّیٰنِیْ صَغِیْرًا○

(پ۱۵،بنی اسراءیل:۲۳،۲٤)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करो अगर तेरे सामने इन में एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन से हूं न कहना और उन्हें न झिड़कना और उन से ता'ज़ीम की बात कहना और उन के लिये आ़जिज़ी का बाज़ू बिछा नर्म दिली से, और अ़र्ज़ कर कि ऐ मेरे रब तू इन दोनों पर रह़्म कर जैसा कि इन दोनों ने मुझे छुटपन में पाला।

ह़दीस : 1

ह़दीस शरीफ़ में हु़ज़ूरे अकरम صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने गुनाहे कबीरा

का बयान फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाया कि ''وعقوق الوالدين'' या'नी मां बाप की ना फ़रमानी व ईज़ा रसानी गुनाहे कबीरा है।

(صحیح البخاری، کتاب الایمان والنذور، باب الیمین الغموس، الحدیث ٦٦٧٥، ج٤، ص٢٩٥)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है। उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने तीन मर्तबा फ़रमाया कि उस शख़्स की नाक मिट्टी में मिल जाए, उस शख़्स की नाक मिट्टी में मिल जाए। इन अल्फ़ाज़ को सुन कर किसी सह़ाबी ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! किस की नाक मिट्टी में मिल जाए ? तो हुज़ूरे अन्वर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया वोह शख़्स जो अपने मां बाप को पाए कि उन में एक या दोनों बुढ़ापे में हों फिर वोह उन की ख़िदमत कर के जन्नत में नहीं दाख़िल हुवा तो उस की नाक मिट्टी में मिल जाए। (या'नी वोह ज़लीलो ख़्वार और ना मुराद हो जाए।)

(صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب رغم من ادرك...الخ، الحدیث ٢٥٥١، ص ١٣٨١)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ की रिज़ा मन्दी बाप की रिज़ा मन्दी में है और ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ की ना राज़गी बाप की ना राज़गी में है।

(سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ماجاء من الفضل فی رضا...الخ، الحدیث ١٩٠٧، ج٣، ص٣٦٠)

हदीस : 4

हज़रते अबू बक्र رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि हर गुनाह को अल्लाह तआला जिस के लिये चाहता है बख़्श देता है मगर मां बाप की ना फ़रमानी व ईज़ा रसानी को नहीं बख़्शता बल्कि ऐसा करने वाले को उस के मरने से पहले दुन्या की ज़िन्दगी ही में जल्द ही सज़ा दे देता है।

(شعب الایمان للبیھقی، باب فی بر الوالدین،فصل فی عقوق الوالدین، الحدیث ۷۸۹۰،ج۶،ص۱۹۷)

हदीस : 5

इब्ने अब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से मरवी है कि उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो शख़्स अपने मां बाप का फ़रमां बरदार होता है उस के लिये जन्नत के दो दरवाज़े खुल जाते हैं और अगर मां बाप में से कोई एक ही मौजूद हो और वोह एक ही का फ़रमां बरदार हो तो उस के लिये जन्नत का एक दरवाज़ा खुल जाता है। और जो शख़्स अपने मां बाप का ना फ़रमान होता है उस के लिये जहन्नम के दो दरवाज़े खुल जाते हैं और अगर मां बाप में से एक ही मौजूद हो और वोह एक ही का ना फ़रमान हो तो जहन्नम का एक ही दरवाज़ा उस के लिये खुलता है। येह सुन कर एक सहाबी ने अ़र्ज़ किया अगर्चे उस के मां बाप उस पर ज़ुल्म करते हों ? तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि अगर्चे उस के मां बाप ने उस पर ज़ुल्म किया हो। अगर्चे उस के मां बाप ने उस पर ज़ुल्म किया हो। अगर्चे उस के मां बाप ने उस पर ज़ुल्म किया हो। (इस जुम्ले को तीन मर्तबा इर्शाद फ़रमाया)

(شعب الایمان للبیھقی، باب فی برالوالدین،فصل فی حفظ حق الوالدین بعد موتھا، الحدیث۷۹۱۶،ج۶،ص۲۰۶)

मसाइल व फ़वाइद

वालिदैन की ना फ़रमानी व ईज़ा रसानी की सज़ा दुन्या व आख़िरत दोनों जगह मिलती है बारहा का तजरिबा है कि वालिदैन को सताने वाले ख़ुद अपने ही बेटों से बड़ी बड़ी ईज़ाएं पाते हैं और तरह तरह की बलाओं में ज़िन्दगी भर गरिफ़्तार रहते हैं और आख़िरत में तो अ़ज़ाबे जहन्नम उन बद नसीबों के लिये मुक़र्रर ही है।

﴿15﴾ झूटी गवाही

झूटी गवाही भी ह़राम व गुनाहे कबीरा है और जहन्नम में ले जाने वाला अ़-मले बद है। क़ुरआने मजीद में अल्लाह तआ़ला ने अपने ख़ास बन्दों की फ़ेहरिस्त बयान फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाया कि

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ لا وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ۝

(پ١٩،الفرقان:٧٢)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और जो झूटी गवाही नहीं देते और जब बेहूदा पर गुज़रते हैं अपनी इ़ज़्ज़त संभाले गुज़र जाते हैं।

ह़दीस : 1

हुज़ूरे अकरम صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने बड़े बड़े गुनाहों का तज़्किरा करते हुए इर्शाद फ़रमाया "وشهادة الزور" या'नी झूटी गवाही भी गुनाहे कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला जुर्म है।

(صحيح البخاری، كتاب الادب،باب عقوق الوالدين من الكبائر، الحديث٥٩٧٦،ج٤،ص٩٥)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि क्या मैं गुनाहे कबीरा में से ज़ियादा बड़े बड़े गुनाहों की ख़बर न दे दूं ? तो लोगों ने अ़र्ज़ किया कि क्यूं नहीं। हम लोगों को ज़रूर बता दीजिये तो आप صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि बड़े बड़े गुनाहों में सब से ज़ियादा बड़े गुनाह येह हैं : ﴿1﴾ ख़ुदा के साथ शिर्क करना और ﴿2﴾ मां बाप की ना फ़रमानी और ईज़ा रसानी करना। येह फ़रमाते वक़्त हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मस्नद लगा कर लैटे हुए थे एक दम बैठ गए और फ़रमाया ﴿3﴾ ''(الا وقول الزور)'' या'नी ख़बरदार और झूटी बात। फिर इसी लफ़्ज़ को इतनी देर तक बार बार दोहराते रहे कि हम लोगों ने अपने दिल में कहा कि काश ! हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم इस बात के फ़रमाने से ख़ामोश हो जाते और इस से आगे कोई दूसरी बात फ़रमाते।

(صحیح البخاری، کتاب الشھادات،باب ماقیل فی شھادۃ الزور، الحدیث ٢٦٥٤، ج٢،ص١٩٤)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते सफ़्वान बिन सुलैम رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से किसी ने कहा कि क्या मोमिन बुज़दिल होता है ? तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि ''हां।'' फिर किसी ने अ़र्ज़ किया कि क्या मोमिन बख़ील होता है ? तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि ''हां।'' फिर किसी ने अ़र्ज़ कहा कि क्या मोमिन झूटा होता है ? तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि

''नहीं ।'' (شعب الایمان للبیهقی،باب فی حفظ اللسان،الحدیث ٤٨١٢،ج٤،ص٢٠٧)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि तुम लोग सच बोलने को लाज़िम पकड़ लो क्यूं कि सच नेकूकारी का रास्ता बताता है और नेकूकारी जन्नत की त़रफ़ राहनुमाई करती है आदमी हमेशा सच बोलता रहता है यहां तक कि वोह अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के नज़्दीक ''सिद्दीक़'' लिख दिया जाता है और तुम लोग झूट बोलने से बचते रहो क्यूं कि झूट बदकारी का रास्ता बताता है और बदकारी जहन्नम की त़रफ़ राहनुमाई करती है । और आदमी हमेशा झूट बोलता रहता है यहां तक कि वोह अल्लाह तआ़ला के नज़्दीक ''कज़्ज़ाब'' लिख दिया जाता है ।

(صحیح مسلم،کتاب البر والصلة...الخ،باب قبح الکذب...الخ، الحدیث٢٦٠٧، ص١٤٠٥)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते बहज़ बिन ह़कीम رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है । उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि उस शख़्स के लिये ख़राबी है जो बात करते हुए लोगों को हंसाने के लिये झूट बोलता है । उस के लिये ख़राबी है । उस के लिये ख़राबी है ।

(مشکوٰة المصابیح،کتاب الآداب باب حفظ اللسان...الخ،الفصل الثانی، الحدیث ٤٨٣٥،ج٣،ص٤١۔
سنن الترمذی،کتاب الزهد،باب ماجاء من تکلم بالکلمة...الخ، الحدیث٢٣٢٢،ج٤،ص١٤٢)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जब बन्दा झूट बोलता है तो फ़िरिश्ता उस से एक मील दूर चला जाता है उस के झूट की बदबू की वजह से।

(سنن الترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی الصدق والکذب...الخ، الحدیث ۱۹۷۹، ج۳، ص۳۹۲)

ह़दीस : 7

ह़ज़रते सुफ़्यान बिन असद ह़ज़्रमी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को कहते सुना है कि येह बहुत बड़ी ख़ियानत है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और तेरा भाई तुझे सच्चा समझता रहे ह़ालां कि तू झूटा है।

(سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی المعاریض، الحدیث ٤٩٧١، ج٤، ص٣٨١)

मसाइल व फ़वाइद

यूं तो हर झूटी बात ह़राम व गुनाह है। मगर झूटी गवाही ख़ास तौ़र से बहुत ही सख़्त गुनाहे कबीरा और जहन्नम में गिरा देने वाला जुर्मे अ़ज़ीम है। क्यूं कि क़ुरआनो ह़दीस में ख़ुसूसिय्यत के साथ झूटी गवाही पर बड़ी सख़्त वईदें आई हैं। इस की वजह येह है कि दूसरी क़िस्मों के झूट से तो सिर्फ़ झूट बोलने वाले ही की दुन्या व आख़िरत ख़राब होती है। मगर झूटी गवाही से तो गवाही देने वाले की दुन्या व आख़िरत ख़राब होने के इ़लावा किसी दूसरे मुसल्मान का ह़क़ मारा जाता है या बिला क़ुसूर कोई मुसल्मान सज़ा पा जाता है। और ज़ाहिर है कि येह दोनों बातें शरअ़न कितने बड़े गुनाह के काम हैं। लिहाज़ा बहुत ही ज़रूरी है कि मुसल्मान झूटी गवाही को जहन्नम की आग समझ कर

हमेशा इस से दूर भागें। (واللہ تعالیٰ اعلم)

﴾16﴿ ग़ीबत

ग़ीबत भी गुनाहे कबीरा और सख़्त ह़राम है और येह दोज़ख़ में ले जाने वाली बद तरीन ख़स्लत है। क़ुरआने मजीद में अल्लाह तआ़ला ने इस बुरी आ़दत की मुमा-न-अ़त फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाया कि

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ○ (پ٢٦،الحجرات:١٢)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और एक दूसरे की ग़ीबत न करो क्या तुम में कोई पसन्द रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए तो येह तुम्हें गवारा न होगा और अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह बहुत तौबा क़बूल करने वाला मेहरबान है।

इसी त़रह़ ह़दीसों में भी ब कसरत इस की मुमा-न-अ़त और मज़म्मत आई है। चुनान्चे एक ह़दीस में है :

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू सईद व जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि ग़ीबत ज़िना से सख़्त गुनाह है। तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! ग़ीबत ज़िना से ज़ियादा सख़्त गुनाह क्यूंकर और कैसे है ? तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया आदमी ज़िना करता है फिर तौबा कर लेता है तो अल्लाह तआ़ला उस की तौबा क़बूल फ़रमा लेता है। और ग़ीबत करने वाले को अल्लाह तआ़ला उस वक़्त तक नहीं बख़्शेगा जब तक कि वोह न मुआ़फ़ कर दे जिस की ग़ीबत की है।

(شعب الایمان للبیھقی،باب فی تحریم اعراض الناس،الحدیث ٦٧٤١،ج٥،ص٣٠٦)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि दो आदमियों ने ज़ोहर व अ़स्र की नमाज़ पढ़ी और येह दोनों रोज़ादार थे। फिर जब नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم अपनी नमाज़ पूरी फ़रमा चुके तो उन दोनों से फ़रमाया कि तुम दोनों फिर से वुज़ू कर के अपनी नमाज़ों को लौटाओ और रोज़ा पूरा करो। लेकिन किसी दूसरे दिन इस की क़ज़ा कर लो। तो उन दोनों आदमियों ने पूछा कि क्यूं हम नमाज़ों को लौटाएं ? और रोज़े की क़ज़ा करें ? हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि इस लिये कि तुम दोनों ने फ़ुलां आदमी की ग़ीबत की है।

(شعب الایمان للبیہقی،باب فی تحریم اعراض الناس،الحدیث٦٧٢٩، ج٥،ص٣٠٣)

ग़ीबत क्या है ? : किसी का कोई ग़ाइबाना ऐब बयान करना या पीठ पीछे उस को बुरा कहना येही ग़ीबत है। चुनान्चे मिश्कात शरीफ़ में एक ह़दीस है कि ख़ुद हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُم से फ़रमाया कि क्या तुम लोग जानते हो कि ग़ीबत क्या चीज़ है ? सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُم ने अ़र्ज़ किया कि अल्लाह और उस का रसूल عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ज़ियादा जानने वाले हैं। तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि तुम्हारा अपने (दीनी) भाई की उन बातों को बयान करना जिन को वोह ना पसन्द समझता है (येही ग़ीबत है)। सह़ाबा ने अ़र्ज़ किया कि येह बताइये अगर मेरे (दीनी) भाई में वाक़ेई वोह बातें मौजूद हों तो क्या उन बातों का कहना भी ग़ीबत होगी ? तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि अगर उस के अन्दर वोह बातें होंगी जभी तो तुम उस की ग़ीबत करने वाले कहलाओगे और अगर उस में वोह बातें न हों जब तो तुम उस पर बोहतान लगाने वाले

कहलाओगे। (जो एक दूसरा गुनाहे कबीरा है)

(مشکوۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب حفظ اللسان ...الخ، الفصل الاول، الحدیث: ۴۸۲۹، ج۳، ص ۴۰۔

صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب تحریم الغیبۃ، الحدیث ۲۵۸۹، ص۱۳۹۷)

मसाइल व फ़वाइद

ग़ीबत उन गुनाहों में से है जो कसीरुल वुक़ूअ़ हैं और बा वुजूदे कि इन्तिहाई सख़्त गुनाहे कबीरा है, यहां तक कि ज़िना से भी बदतर गुनाह है मगर इस ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो इस गुनाह से मह़फ़ूज़ हैं। अ़वाम तो अ़वाम बड़े बड़े उ़-लमाए किराम और मुक़द्दस पीरों का दामन भी इस गुनाह की नुहूसत से आलूदा नज़र आता है। उ़-लमा व मशाइख़ की शायद ही कोई मजलिस होगी जो इस गुनाह की ज़ुल्मत से ख़ाली हो। फिर ग़ज़ब येह है कि लोग इस त़रह़ ग़ीबत के आ़दी बन चुके हैं और येह बला इस क़दर आ़म हो चुकी है कि गोया ग़ीबत लोगों के नज़्दीक कोई गुनाह की बात ही नहीं। मगर ख़ूब समझ लो कि ग़ीबत, ख़्वाह उ़-लमा की मजलिस हो या अ़वाम का मज्मअ़ हर जगह और हर ह़ाल में ह़राम व गुनाह है और गुनाह भी कबीरा या'नी बड़ा गुनाह है लिहाज़ा जब कभी ग़फ़्लत में कोई ग़ीबत ज़बान से निकल जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिये और जिस की ग़ीबत की है (अगर उस को मा'लूम हो गया हो) तो उस से मुआ़फ़ करा ले और क़ुरआनो ह़दीस की मुक़द्दस ता'लीमात पर अ़मल करना चाहिये कि इसी में मोमिन की दीनी व दुन्यवी फ़लाह़ है और येही नजात का रास्ता है। (واللہ تعالٰی اعلم)

﴾17﴿ चुग़ली

"चुग़ली" सख़्त ह़राम और गुनाहे कबीरा है जिस की सज़ा आख़िरत में अ़ज़ाबे जहन्नम है। क्यूं कि येह मुसल्मानों में इख़्तिलाफ़ व शिक़ाक़ और जंग व जिदाल का बहुत बड़ा सबब और ज़रीआ़ है।

चुग़ुल ख़ोर के बारे में हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि

ह़दीस : 1

ह़ज़रते हुज़ैफ़ा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से सुना है कि ''لا یدخل الجنة قتات'' या'नी चुग़ुल ख़ोर जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।

(صحیح البخاری، کتاب الادب، باب مایکرہ من النمیمة، الحدیث ٦٠٥٦، ج٤، ص١١٥)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم दो क़ब्रों के पास से गुज़रे। तो फ़रमाया कि येह दोनों क़ब्र वाले यक़ीनन अ़ज़ाब में मुब्तला हैं और किसी ऐसे गुनाह में इन दोनों को अ़ज़ाब नहीं दिया जा रहा है जिस से बचना बहुत ज़ियादा दुश्वार रहा हो। इन में से एक को तो इस लिये अ़ज़ाब दिया जा रहा है कि वोह छुप कर पेशाब नहीं करता था और दूसरा चुग़ली खाता था। फिर हुज़ूर صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने खजूर की एक हरी शाख़ ली और उस को चीर कर दो टुकड़े किये। फिर दोनों क़ब्रों में एक एक टुकड़ा गाड़ दिया। सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُم ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! आप ने ऐसा क्यूं किया ? तो हुज़ूर صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : इस लिये कि जब तक येह दोनों टहनियां ख़ुश्क न होंगी इन दोनों के अ़ज़ाब में तख़्फ़ीफ़ हो जाएगी।

(صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب من الکبائر أن لایستتر من بولہ، الحدیث:٢١٦، ج١، ص٩٥-٩٦)

चुग़ली किसे कहते हैं ? : ह़दीस में लफ़्ज़ ''نمیمہ'' आया है। जिस

का तरजमा उर्दू में "चुग़ली" है, ह़ज़रते अ़ल्लामा बदरुद्दीन ऐनी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه ने बुख़ारी शरीफ़ की शर्ह़ में फ़रमाया कि किसी की बात को दूसरे आदमी तक पहुंचाने और फ़साद फैलाने के लिये ले जाना येही "चुग़ली" है ।

(عمدة القاری، کتاب الوضوء، باب من الکبائر.....الخ،الحدیث:۲۱۶،قوله "بالنمیمة"، ج۲، ص۵۹٤)

मसाइल व फ़वाइद

चुग़ली खाना बद तरीन और बहुत ज़लील आ़दत है और येह गुनाहे कबीरा है। चुग़ली खाने वाले को उस की क़ब्र में भी अ़ज़ाब होगा और आख़िरत में उस को जहन्नम का अ़ज़ाब भी भुगतना पड़ेगा । इस बुरी और गुनाह की आ़दत से मुसल्मानों में बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाते हैं यहां तक कि क़त्ल व ख़ूं रेज़ी की नौबत आ जाती है इस लिये इस गुनाह से बचते रहना लाज़िम और बहुत ज़रूरी है। ख़ुदा वन्दे करीम हर मुसल्मान को इस बला से मह़फ़ूज़ रखे । (आमीन)

﴾18﴿ अमानत में ख़ियानत

अमानत में ख़ियानत येह बहुत बड़ा गुनाह और ह़राम काम है और चोरी की त़रह़ येह भी जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह तआ़ला ने कुरआने मजीद में फ़रमाया :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (پ۹،الانفال:۲۷)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! अल्लाह व रसूल से दग़ा न करो और न अपनी अमानतों में दानिस्ता ख़ियानत।

दूसरी आयत में इर्शाद फ़रमाया :

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا (پ٥،النساء:٥٨)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिन की हैं उन्हें सिपुर्द करो।

हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ह़दीस में फ़रमाया कि

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि चार बातें जिस शख़्स में पाई जाएंगी वोह ख़ालिस मुनाफ़िक़ होगा और इन में से अगर एक बात पाई गई तो उस शख़्स में निफ़ाक़ की एक बात पाई गई। यहां तक कि इस से तौबा कर ले।

﴿1﴾ जब अमीन बनाया जाए तो ख़ियानत करे।

﴿2﴾ और जब बात करे तो झूट बोले।

﴿3﴾ और जब कोई मुआ़-हदा करे तो अ़हद शिकनी करे।

﴿4﴾ और जब झगड़ा करे तो गाली बके।

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب علامة المنافق، الحدیث:٣٤، ج١، ص٢٥)

मसाइल व फ़वाइद

वाज़ेह़ रहे कि जिस त़रह़ रुपियों, पैसों और माल व सामान की अमानतों में ख़ियानत ह़राम है इसी त़रह़ बातों, कामों और अ़ोहदों की अमानतों में भी ख़ियानत ह़राम है। म-सलन किसी ने आप से अपने राज़ की बात कह दी और आप से येह कह दिया कि येह बात अमानत है

किसी से मत कहियेगा और वोह बात आप ने किसी से कह दी तो येह अमानत में ख़ियानत हो गई। इसी त़रह़ किसी ने आप को मज़दूर रख कर कोई काम सिपुर्द कर दिया मगर आप ने क़स्दन उस काम को बिगाड़ दिया, या कम काम किया तो आप ने अमानत में ख़ियानत की। इसी त़रह़ ह़ाकिम की येह ज़िम्मादारी है कि वोह अपनी रिआ़या की निगरानी रखे और उन की ख़बर गीरी करता रहे और अ़द्लो इन्साफ़ क़ाइम रखे। अगर उस ने अपने ओ़हदे की ज़िम्मादारियों को पूरा नहीं किया तो येह अमानत में ख़ियानत हो गई। इसी त़रह़ रात में मियां बीवी जो कुछ कहते या करते हैं उस में मियां बीवी एक दूसरे के अमीन हैं। अगर उन दोनों में से किसी ने उन बातों को दूसरे लोगों से कह दिया तो येह भी अमानत में ख़ियानत हो गई। ग़रज़ मज़दूर, कारीगर, मुलाज़िम वग़ैरा जो काम उन लोगों को सोंपा गया है वोह उन कामों के अमीन हैं। अगर येह लोग अपने काम और ड्यूटी के पूरी करने में कमी या कोताही करेंगे तो अमानत में ख़ियानत के मुर-तकिब होंगे। याद रखो कि हर क़िस्म की अमानतों में ख़ियानत ह़राम है और हर ख़ियानत जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हर मुसल्मान को हर क़िस्म की ख़ियानतों से बचना ईमान की सलामती, और जहन्नम से नजात पाने के लिये इन्तिहाई ज़रूरी है।

《19》 कम नाप तोल

सामान और सौदा लेते देते वक़्त नाप तोल में कमी करना एक क़िस्म की चोरी और ख़ियानत है जो ह़राम और सख़्त गुनाह है जिस की सज़ा जहन्नम का अ़ज़ाब है। कुरआने मजीद में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि :

وَاَوْفُوا الْكَیْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیْمِ ؕ ذٰلِكَ خَیْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِیْلًا ۝ (پ۱۵،بنی اسرآءیل:۳۵)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और मापो तो पूरा मापो और बराबर तराज़ू से तोलो येह बेहतर है और इस का अन्जाम अच्छा।

दूसरी आयत में फ़रमाया कि :

وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ یُخْسِرُوْنَ ۝ اَلَا یَظُنُّ اُولٰٓىٕكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝ لِیَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝ یَّوْمَ یَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ (پ۳۰،المطففین:۱۔۶)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : कम तोलने वालों की ख़राबी है वोह कि जब औरों से माप लें पूरा लें और जब उन्हें माप या तोल कर दें कम कर दें क्या उन लोगों को गुमान नहीं कि उन्हें उठना है एक अ़-ज़मत वाले दिन के लिये जिस दिन सब लोग रब्बुल आ़-लमीन के हुज़ूर खड़े होंगे।

एक दूसरी आयत में यूं इर्शाद फ़रमाया कि :

اَوْفُوا الْكَیْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ ۝ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیْمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝ (پ۱۹،الشعراء:۱۸۱۔۱۸۳)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : नाप पूरा करो और घटाने वालों में न हो और सीधी तराज़ू से तोलो और लोगों की चीज़ें कम कर के न दो और ज़मीन में फ़साद फैलाते न फिरो।

चाहिये कि येह चोरी और बद तरीन ख़ियानत और धोकाबाज़ी है। जो ह़राम व गुनाह है और तिजारत की ब-र-कत को बरबाद करने वाला काम है। लिहाज़ा हर मुसल्मान को इस से बचना ज़रूरी है ताकि वोह जहन्नम के ख़तरात से महफ़ूज़ रहे। (واللہ تعالیٰ اعلم)

﴾20﴿ रिश्वत

रिश्वत लेना देना, और दोनों के दरमियान दलाली करना ह़राम व गुनाह है क़ुरआन में रिश्वत को "سُحت" या'नी माले ह़राम कहा गया है और ह़दीसों में इस की शदीद मुमा-न-अ़त आई है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते इब्ने अ़म्र رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने रिश्वत देने वाले, और रिश्वत लेने वाले और इन दोनों के दरमियान दलाली करने वाले पर ला'नत फ़रमाई।

(سنن الترمذی، کتاب الاحکام، باب ماجاء فی الراشی...الخ، الحدیث ۱۳٤۲، ج۳، ص٦٦۔ کنز العمال، کتاب الامارۃ، باب الرشوۃ، الحدیث۳۵۰۷٦، ج۲، ص٤٥، عن ثوبان)

ह़दीस : 2

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है ह़राम के दो दरवाज़े ऐसे हैं कि लोग इन दोनों दरवाज़ों से खाते हैं एक रिश्वत, दूसरे ज़ानिया की कमाई।

मसाइल व फ़वाइद

अल ह़ासिल रिश्वत का माल ह़राम है और रिश्वत लेना देना ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हां अलबत्ता अगर किसी मुसल्मान का कोई ह़क़ मारा जाता हो और रिश्वत देने

से वोह ह़क़ मिल जाता हो और रिश्वत देने के बिग़ैर वोह ह़क़ न मिल सकता हो। तो ऐसी सूरत में रिश्वत देना जाइज़ है। मगर रिश्वत लेना किसी ह़ालत में भी जाइज़ नहीं। (واللہ تعالیٰ اعلم)

﴾21﴿ माले ह़राम

ह़दीस शरीफ़ में है कि मुसल्मान के लिये फ़राइज़े ख़ुदा वन्दी या'नी नमाज़, रोज़ा और ह़ज व ज़कात के बा'द रिज़्क़े ह़लाल त़लब करना भी फ़र्ज़ है।

(شعب الایمان للبیہقی،باب فی حقوق الاولاد،الحدیث ۸۷٤۱،ج٦،ص٤۲۰)

और मोमिन के लिये ज़रूरी है कि हमेशा माले ह़लाल ही इस्ति'माल करे और माले ह़राम से बचता रहे चुनान्चे ख़ुदा वन्दे करीम عَزَّوَجَلَّ ने क़ुरआने मजीद में फ़रमाया कि

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ (پ۲،البقرۃ:۱۷۲)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें और अल्लाह का एह़सान मानो अगर तुम उसी को पूजते हो।

इस बारे में मुन्दरिजए ज़ैल चन्द ह़दीसें भी पढ़ लीजिये। और इस की अहम्मिय्यत को समझिये।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी येह परवाह नहीं करेगा कि इस ने जो माल ह़ासिल किया है वोह ह़राम है या ह़लाल।

(صحیح البخاری، کتاب البیوع،باب من لم یبال من حیث...الخ،الحدیث:۲۰۵۹،ج۲،ص۷)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है

इसी त़रह़ अह़ादीस में हु़ज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने कम नाप तोल की मुमा-न-अ़त और मज़म्मत बार बार फ़रमाई है और नाप तोल पूरा पूरा देने की ताकीद फ़रमाई है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْھُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने नाप तोल करने वालों से फ़रमाया कि बेशक तुम लोग ऐसे काम पर लगाए गए हो कि इस काम में तुम से पहले कुछ उम्मतें हलाक हो गईं।

(سنن الترمذی، کتاب البیوع، باب ماجاء فی المکیال والمیزان، الحدیث:۱۲۲۱، ج۳،ص۹)

मत़्लब येह है कि नाप तोल में कमी न करो क्यूं कि तुम से पहले कुछ उम्मतों ने नाप तोल में कमी की थी। तो उन पर ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ का अ़ज़ाब आ गया और उन को अ़ज़ाबे इलाही عَزَّوَجَلَّ ने हलाक कर डाला लिहाज़ा तुम लोग नाप तोल करने में हरगिज़ हरगिज़ कभी कमी न करना वरना तुम्हारे लिये भी अ़ज़ाबे इलाही से हलाकत का ख़त़रा है।

ह़दीस : 2

ह़ज़रते सुवैद बिन क़ैस رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने एक आदमी से जो मज़दूरी ले कर तोलता था। फ़रमाया कि "زن وارجح" या'नी वज़्न करो और कुछ बढ़ा कर तोलो, कम न तोलो।

(سنن الترمذی، کتاب البیوع، باب ماجاء فی الرجحان فی الوزن، الحدیث:۱۳۰۹، ج۳ص۵۲)

मसाइल व फ़वाइद

ख़ुलासा येह है कि नाप तोल में हरगिज़ हरगिज़ कमी नहीं होनी

कि बन्दा जो ह़राम माल कमाएगा। अगर उस को स-दक़ा करेगा तो वोह मक़्बूल नहीं होगा और अगर ख़र्च करेगा तो उस में ब-र-कत न होगी। और अगर उस को अपनी पीठ के पीछे छोड़ कर मर जाएगा तो वोह उस के लिये जहन्नम का तोशा बनेगा।

(شرح السنة للبغوی، کتاب البیوع،باب الکسب وطلب الحلال، الحدیث۲۰۲۳، ج٤،ص۲۰۵)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि वोह गोश्त जन्नत में दाख़िल नहीं होगा जो ह़राम ग़िज़ा से बना होगा। और हर वोह गोश्त जो ह़राम ग़िज़ा से बना हो जहन्नम उस का ज़ियादा ह़क़दार है।

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب البیوع، باب الکسب وطلب الحلال،الفصل الثانی، الحدیث:۲۷۷۲،ج۲،ص۱۳۱)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते आइशा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ने कहा कि मेरे बाप (ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) का एक ग़ुलाम था। वोह अपनी कमाई ला कर मेरे बाप को देता था। और आप उस की कमाई खाते थे। एक दिन वोह ग़ुलाम कोई चीज़ लाया और मेरे वालिद ने उस को खा लिया। फिर उस ग़ुलाम ने ख़ुद ही पूछा कि आप जानते हैं येह क्या चीज़ थी जो आप ने खा ली है ? तो ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने ग़ुलाम से दरयाफ़्त किया कि तुम ही बताओ वोह क्या चीज़ थी ? तो ग़ुलाम ने कहा कि मैं ने ज़मानए जाहिलिय्यत में काहिन बन कर एक शख़्स को ग़ैब की ख़बर बताई थी, ह़ालां कि मैं कहानत के फ़न को नहीं जानता था। मैं ने उस को धोका दे दिया था अब उस ने मुझ से मुलाक़ात की और उसी कहानत के मुआ़वज़े में उस ने मुझे वोह चीज़ दी थी जो

आप ने खा ली है। येह सुन कर ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने ह़ल्क़ में उंगली डाल कर जो कुछ खाया था सब क़ै कर दिया।

(صحیح البخاری، کتاب مناقب الانصار، باب ایام الجاھلیۃ، الحدیث ۳۸۴۲، ج۲، ص ۵۷۱)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि वोह बदन जन्नत में दाख़िल नहीं होगा जिस को ह़राम से ग़िज़ा दी गई हो।

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب البیوع، باب الکسب وطلب الحلال، الفصل الثالث، الحدیث: ۲۷۸۷، ج۲، ص ۱۳۴)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है उन्हों ने फ़रमाया कि जो किसी कपड़े को दस दिरहम में ख़रीदे और उस में एक दिरहम भी ह़राम का हो तो जब तक वोह कपड़ा उस आदमी के बदन पर रहेगा अल्लाह तआ़ला उस की किसी नमाज़ को क़बूल नहीं फ़रमाएगा येह कह कर ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ने अपनी दोनों उंग्लियों को दोनों कानों में डाल कर येह फ़रमाया कि अगर मैं ने इस ह़दीस को हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से न सुना हो तो मेरे येह दोनों कान बहरे हो जाएं।

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب البیوع، باب الکسب ...الخ، الفصل الثالث، الحدیث: ۲۷۸۹، ج۲، ص ۱۳۴)

ह़दीस : 7

ह़ज़रते अबू क़तादा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा

कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि तुम लोग सौदा बेचने में ब कसरत क़सम खाने से बचते रहो, क्यूं कि क़सम खाने से सौदा तो बिक जाता है लेकिन उस की ब-र-कत बरबाद हो जाती है।

(صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب النھی عن الحلف فی البیع، الحدیث:١٦٠٧، ص٨٦٨)

ह़दीस : 8

ह़ज़रते अबू ज़र رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि (शिद्दते ग़ज़ब से) अल्लाह तआ़ला तीन आदमियों से न कलाम फ़रमाएगा न उन की त़रफ़ नज़र फ़रमाएगा। न उन को गुनाहों से पाक करेगा और उन को बहुत ही सख़्त और दर्दनाक अ़ज़ाब देगा।

﴾1﴿ टख़्नों से नीचे तहबन्द या पाजामा लटकाने वाला।

﴾2﴿ एह़सान जताने वाला।

﴾3﴿ झूटी क़सम खा कर सौदा बेचने वाला।

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان غلظ تحریم...الخ، الحدیث:١٠٦،ص٦٨)

मसाइल व फ़वाइद

ह़राम ज़रीओं से कमाए हुए मालों को खाना, पीना, पहनना, या किसी और काम में इस्ति'माल करना ह़राम व गुनाह है और इस की सज़ा दुन्या में माल की क़िल्लत व ज़िल्लत और बे ब-र-कती है और आख़िरत में इस की सज़ा जहन्नम की भड़कती हुई आग का अ़ज़ाबे अ़ज़ीम है। (والعیاذ باللہ تعالٰی منه)

﴾22﴿ नमाज़ का छोड़ देना

नमाज़ों को छोड़ देना बहुत ही शदीद गुनाहे कबीरा, और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। क़ुरआने मजीद में है कि क़ियामत के दिन जब जहन्नमियों से जन्नती लोग पूछेंगे कि तुम लोगों को कौन सा अ़मल जहन्नम में ले गया ? तो जहन्नमी लोग निहायत अफ़्सोस और ह़सरत के साथ येह जवाब देंगे कि

لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ○ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ○ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ○ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○ حَتّٰى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ○

(پ۲۹،المدثر:۴۳۔۴۷)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : हम नमाज़ न पढ़ते थे और मिस्कीन को खाना न देते थे और बेहूदा फ़िक्र वालों के साथ बेहूदा फ़िक्रें करते थे और हम इन्साफ़ के दिन को झुटलाते रहे यहां तक कि हमें मौत आई।

दूसरी आयत में इर्शाद फ़रमाया गया :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ○ (پ۳۰،الماعون:۴،۵)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : तो उन नमाज़ियों की ख़राबी है जो अपनी नमाज़ से भूले बैठे हैं।

इन के इ़लावा क़ुरआने मजीद की बहुत सी आयतों और ह़दीसों में आया है कि नमाज़ छोड़ देना शदीद मा'सिय्यत और गुनाहे कबीरा है। चुनान्चे हुज़ूर सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि

ह़दीस : 1

ह़ज़रते बुरैदा رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है। उन्हों ने कहा कि

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि वोह अ़हद जो हमारे और दूसरे लोगों के दरमियान है वोह नमाज़ है तो जिस ने नमाज़ को छोड़ दिया उस ने कुफ़्र का काम किया।

(سنن الترمذی، کتاب الایمان، باب ماجاء فی ترک الصلاۃ، الحدیث ۲۶۳۰، ج٤، ص ۲۸۱)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا से रिवायत है कि हु़ज़ूर صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने नमाज़ का ज़िक्र करते हुए एक दिन येह इर्शाद फ़रमाया कि जो शख़्स नमाज़ को पाबन्दी के साथ पढ़ेगा, येह नमाज़ उस के लिये नूर और बुरहान और नजात होगी, और जो पाबन्दी के साथ नमाज़ न पढ़ेगा न उस के लिये नूर होगा न बुरहान होगी न नजात होगी और वोह क़ियामत के दिन क़ारून व फ़िरऔ़न व हामान व उबय्य बिन ख़लफ़ (काफ़िरों) के साथ होगा।

(المسندلامام احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن عمرو بن العاص، الحدیث :٦٥٨٧، الجزء الثانی، ص٥٧٤)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ कहते हैं कि अस्ह़ाबे रसूल رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُم किसी अ़मल के छोड़ने को कुफ़्र नहीं समझते थे सिवा नमाज़ के। (कि सहाबए किराम رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُم नमाज़ छोड़ देने को कुफ़्र समझते थे)

(سنن الترمذی، کتاب الایمان، باب ماجاء فی ترک الصلاۃ، الحدیث ۲٦۳۱، ج٤، ص ۲۸۲)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अबुद्दरदा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ने कहा कि मुझ को मेरे ख़लील (नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ने येह वसिय्यत की है कि तुम शिर्क न करना। अगर्चे तुम टुकड़े टुकड़े काट डाले जाओ, अगर्चे तुम जला दिये

जाओ और जान बूझ कर फ़र्ज़ नमाज़ को न छोड़ना क्यूं कि जो नमाज़ को क़स्दन छोड़ देगा उस के लिये अमान ख़त्म हो जाएगी और तुम शराब न पीना इस लिये कि वोह बुराई की कुन्जी है।

(سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، الحديث ٤٠٣٤، ج٤، ص٣٧٦)

मसाइल व फ़वाइद

﴿1﴾ मज़्कूरा बाला ह़दीसों में से ह़दीस नम्बर 2 का येह मत़्लब है कि जिस त़रह़ क़ारून व फ़िरऔ़न व हामान व उबय्य बिन ख़लफ़ वग़ैरा कुफ़्फ़ार जहन्नम में जाएंगे, इसी त़रह़ नमाज़ छोड़ देने वाला मुसल्मान भी जहन्नम में जाएगा येह और बात है कि कुफ़्फ़ार तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे और उन लोगों को बहुत सख़्त अ़ज़ाब दिया जाएगा और बे नमाज़ी मुसल्मान हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा बल्कि अपने गुनाहों के बराबर अ़ज़ाब पा कर फिर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेज दिया जाएगा और बे नमाज़ी को ब निस्बत कुफ़्फ़ार के कुछ हलका अ़ज़ाब दिया जाएगा।

﴿2﴾ बहुत सी ऐसी ह़दीसें आई हैं जिन का ज़ाहिर मत़्लब येह है कि क़स्दन नमाज़ छोड़ देना कुफ़्र है और बा'ज़ सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُم म-सलन अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते फ़ारूक़े आ'ज़म व अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ व अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द व अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास व जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह व मुआ़ज़ बिन जबल व अबू हुरैरा व अबुद्दरदा رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُم का येही मज़्हब था। और बा'ज़ फ़िक़्ह के इमामों म-सलन इमाम अह़मद बिन ह़म्बल, व इस्ह़ाक़ बिन राहविया व अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक व इमाम नख़्ई رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین का भी येही मज़्हब था अगर्चे हमारे इमामे आ'ज़म अबू ह़नीफ़ा رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ और दूसरे अइम्मा नीज़ बहुत से सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُم नमाज़ तर्क करने वाले को काफ़िर नहीं कहते। फिर भी येह क्या थोड़ी बात है कि इन जलीलुल क़द्र

ह़ज़रात के नज़्दीक क़स्दन नमाज़ छोड़ देना वाला काफ़िर है।

(بهارشریعت، ج۱،حصه۳،ص۱۰)

《3》 नमाज़ फ़र्ज़े ऐन है। इस की फ़र्ज़िय्यत का मुन्किर काफ़िर है और जो क़स्दन नमाज़ छोड़ दे अगर्चे एक ही वक़्त की वोह फ़ासिक़ है। और जो बिल्कुल नमाज़ न पढ़ता हो क़ाज़िये इस्लाम उस को क़ैद कर देगा। यहां तक कि तौबा करे और नमाज़ पढ़ने लगे बल्कि ह़ज़रते इमाम मालिक व शाफ़ेई व अह़मद رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْھُم के नज़्दीक सुल्ताने इस्लाम को येह हुक्म है कि वोह बिल्कुल नमाज़ न पढ़ने वाले को क़त्ल करा दे।

(بهارشریعت، ج۱،حصه۳،ص۱۰)

《23》 जुमुआ़ छोड़ना

यूं तो हर फ़र्ज़ नमाज़ को छोड़ना गुनाहे कबीरा है और जहन्नम में जाने का सबब है लेकिन जुमुआ़ के छोड़ देने पर ख़ुसूसिय्यत के साथ चन्द ख़ास वई़दें भी वारिद हुई हैं।

क़ुरआने मजीद में अल्लाह तआ़ला ने हुक्म फ़रमाया कि

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط (پ۲۸،الجمعة:۹)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! जब नमाज़ की अज़ान हो जुमुआ़ के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की त़रफ़ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ दो।

ह़दीसों में भी इस की बहुत ताकीद और इस के छोड़ने पर वई़दे शदीद आई है चुनान्चे मुन्दरिजए ज़ैल ह़दीसें इस पर गवाह हैं।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते इब्ने उ़मर व अबू हुरैरा رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْھُمَا से रिवायत है कि

हम दोनों ने मिम्बर पर रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना है कि लोग जुमुओं को छोड़ने से बाज़ रहें वरना अल्लाह तआला उन के दिलों पर ज़रूर ऐसी मोहर लगा देगा कि वोह यक़ीनन "ग़ाफ़िलीन" में से हो जाएंगे।

(صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب التغلیظ فی ترک الجمعة، الحدیث: ۸۶۵،ص ۴۳۰)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू जअ़द ज़मरी رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि जो शख़्स सुस्ती से तीन जुमुओं को छोड़ देगा अल्लाह तआला उस के दिल पर मोहर लगा देगा।

(سنن ابی داود، کتاب الصلاۃ،باب التشدید فی ترک الجمعة،الحدیث۱۰۵۲،ج۱،ص۳۹۳)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते त़ारिक़ बिन शहाब رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि जुमुआ जमाअ़त के साथ पढ़ना हर मुसल्मान पर ज़रूरी है। चार शख़्सों के सिवा कि इन लोगों पर जुमुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं

《1》 ग़ुलाम 《2》 औरत 《3》 बच्चा 《4》 बीमार।

(مشکوۃ المصابیح، کتاب الصلوۃ،باب وجوبھا، الفصل الثانی، الحدیث: ۱۳۷۷، ج۱،ص۳۹۵۔۳۹۶،
سنن ابی داود، کتاب الصلوۃ،باب الجمعۃللمملوك والمرأۃ، الحدیث:۱۰۶۷،ج۱، ص۳۹۷)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا से रिवायत है कि हुज़ूर

नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि जो शख़्स बिला किसी उ़ज़्र के जुमुआ़ छोड़ दे अल्लाह तआ़ला उस को ऐसी किताब में मुनाफ़िक़ लिख देगा जो न मिटाई जाएगी न बदली जाएगी।

(مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب وجوبها، الفصل الثالث، الحديث: ١٣٧٩، ج١، ص٣٩٦)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते इब्ने मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि मैं ने येह इरादा कर लिया है कि एक आदमी को जुमुआ़ पढ़ाने का हुक्म दूं। फिर मैं उन लोगों के ऊपर उन के घरों को जला दूं जो जुमुआ़ में नहीं आए हैं।

(صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلوة، باب فضل صلوة الجماعة...الخ، الحديث: ٦٥٢، ص٣٢٧)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि जिस ने चार जुमुओं को बिला किसी उ़ज़्र के छोड़ दिया तो उस ने इस्लाम को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया।

(كنز العمال، كتاب الصلاة، قسم الاقوال، الترهيب عن ترك الجمعة، الحديث: ٢١١٤٤، ج٧، ص٣٠٠)

﴿24﴾ जमाअ़त छोड़ना

जमाअ़त वाजिब है और बिला किसी शर-ई वजह के जमाअ़त छोड़ने वाला गुनहगार फ़ासिक़ और मरदूदुश्शहादह है।

ह़दीस : 1

जमाअ़त छोड़ने वालों के बारे में हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि मैं उस ज़ात की क़सम खाता हूं जिस के क़ब्ज़ए कुदरत में मेरी जान है कि बेशक मैं ने येह इरादा कर लिया है कि लकड़ियां जम्अ़ करने का हुक्म दूं फिर मैं नमाज़ क़ाइम करने का हुक्म दूं और नमाज़ के लिये अज़ान कही जाए फिर मैं एक शख़्स को इमामत करने का हुक्म दूं और वोह इमामत करे । फिर मैं जमाअ़त से अलग रहने वालों के पास जा कर उन के घरों को उन के ऊपर जला दूं ।

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب وجوب صلوۃ الجماعۃ، الحدیث ٦٤٤، ج١، ص٢٣٢)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते उबय्य बिन का'ब رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने हम लोगों को फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई तो सलाम फैरने के बा'द आप ने फ़रमाया कि क्या फ़ुलां ह़ाज़िर है ? तो लोगों ने कहा कि ''नहीं ।'' फिर फ़रमाया क्या फ़ुलां ह़ाज़िर है ? तो लोगों ने कहा कि ''नहीं ।'' तो इर्शाद फ़रमाया कि येह दो नमाज़ें (फ़ज्र व इ़शा) मुनाफ़िक़ीन पर बहुत भारी हैं । अगर तुम लोगों को मा'लूम हो जाता कि इन दोनों नमाज़ों का क्या और कितना सवाब है तो तुम लोग अपने घुटनों पर घिसटते हुए इन दोनों नमाज़ों में आते । पहली सफ़ फ़िरिश्तों की सफ़ के मिस्ल है अगर तुम लोगों को मा'लूम हो जाता कि इस की क्या फ़ज़ीलत है तो तुम लोग झपट कर जल्द से जल्द इस में आते और यक़ीन रखो कि एक आदमी की नमाज़ एक आदमी के साथ उस के अकेले नमाज़ पढ़ने से बहुत अच्छी है और दो आदमियों के

साथ, एक के साथ पढ़ने से बहुत अच्छी है। और जमाअ़त में जिस क़दर ज़ियादा आदमी हों येह अल्लाह तआ़ला को बहुत ज़ियादा पसन्द है।

(مشکوۃ المصابیح، کتاب الصلوۃ،باب الجماعۃوفضلھا، الفصل الثانی،الحدیث: ۱۰٦٦، ج۱،ص۳۱۳۔ سنن ابی داود، کتاب الصلوۃ،باب فی فضل صلوۃ الجماعۃ، الحدیث:٥٥٤،ج۱،ص۲۳۰)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْھُمَا से रिवायत है कि हम लोगों ने अपने को इस ह़ाल में देखा है कि जमाअ़त से बिछड़ने वाला या तो मुनाफ़िक़ होता था या मरीज़, और बेशक मरीज़ का येह ह़ाल होता था कि दो आदमियों के दरमियान चल कर नमाज़ में आता था और रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने हम लोगों को हिदायत की सुन्नतों की ता'लीम दी है और हिदायत की सुन्नतों में से येह भी है कि नमाज़ उस मस्जिद में पढ़ी जाए जिस में अज़ान दी गई हो और एक रिवायत में येह है कि जो इस बात से ख़ुश हो कि वोह कल क़ियामत के दिन मुसल्मान होने की ह़ालत में अल्लाह तआ़ला से मुलाक़ात करे तो उस को लाज़िम है कि वोह नमाज़ों को वहां पढ़े जहां अज़ान दी गई हो क्यूं कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे नबी के लिये हिदायत की सुन्नतें शरीअ़त में रखी हैं और नमाज़े बा जमाअ़त हिदायत की सुन्नतों में से है। अगर तुम लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ लोगे जिस त़रह़ से जमाअ़त से बिछड़ने वाला अपने घर में नमाज़ पढ़ लेता है। तो तुम लोग अपने नबी की सुन्नत को छोड़ने वाले हो जाओगे। और अगर तुम लोगों ने अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया तो यक़ीनन तुम लोग गुमराही में पड़ जाओगे। जो आदमी अच्छी त़रह़ वुज़ू कर के मस्जिद

का क़स्द करता है तो अल्लाह तआ़ला उस के लिये हर क़दम पर एक नेकी लिख देता है और हर क़दम के बदले एक द-रजा बुलन्द फ़रमा देता है और एक गुनाह मुआ़फ़ कर देता है। और तुम लोग यक़ीन मानो कि हम ने अपने को इस ह़ाल में देखा है कि जमाअ़त से वोही आदमी बिछड़ता था जो ऐसा मुनाफ़िक़ होता था कि उस का निफ़ाक़ सब को मा'लूम था। बा'ज़ लोग तो दो आदमियों के बीच में चला कर लाए जाते थे यहां तक कि वोह सफ़ में खड़े कर दिये जाते थे।

(مشکوۃ المصابیح، کتاب الصلوۃ، باب الجماعۃ وفضلھا، الفصل الثالث، الحدیث: ۱۰۷۲، ج۱، ص۳۱٤۔۳۱۵، صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلوۃ، باب صلاۃ الجماعۃ من سنن الھدیٰ، الحدیث: ٦۵٤، ص۳۲۸)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि अगर घरों में औ़रतें और बच्चे न होते तो मैं इ़शा की नमाज़ क़ाइम करता और जवानों को हुक्म देता कि जमाअ़त से बिछड़ने वालों के घरों को जला डालें।

(المسندلامام احمد بن حنبل، مسند ابی ھریرۃ، الحدیث: ۸۸۰٤، الجزء الثالث، ص۲۹٦)

ह़दीस : 5

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़स्मान رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि जो अज़ान मस्जिद में पा ले, फिर वोह मस्जिद से निकल गया ह़ालां कि वोह किसी ह़ाजत से भी नहीं निकला है और फिर मस्जिद में लौट कर आने का इरादा भी नहीं रखता है तो वोह शख़्स मुनाफ़िक़ है।

(سنن ابن ماجہ، کتاب الاذان والسنۃ فیھا، باب اذا اذن وانت فی المسجد.....الخ، الحدیث ۷۳٤، الجزء الاول، ص٤۰٤)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते अबू बक्र बिन सुलैमान رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने ह़ज़रते सुलैमान رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ को सुब्ह़ की नमाज़ में मस्जिद के अन्दर नहीं पाया और आप सुब्ह़ ही को बाज़ार गए। ह़ज़रते सुलैमान رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ का मकान मस्जिद और बाज़ार के दरमियान में था, तो अमीरुल मुअमिनीन ने ह़ज़रते सुलैमान رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ की मां ह़ज़रते शिफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا से फ़रमाया कि मैं ने सुब्ह़ की नमाज़ में सुलैमान رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ को नहीं देखा तो उन्हों ने कहा कि वोह रात भर नमाज़ पढ़ता रहा है फिर उस की आंखें उस पर ग़ालिब हो गईं और वोह सो गया। तो अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने फ़रमाया कि मैं सुब्ह़ की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ूं येह मुझे सारी रात नमाज़े नफ़्ल पढ़ने से ज़ियादा मह़बूब है।

(مشکوۃ المصابیح، کتاب الصلوۃ،باب الجماعۃوفضلھا،الفصل الثالث، الحدیث: ۱۰۸۰، ج۱،ص۳۱٦۔

الموطا للامام مالك ، کتاب صلاۃ الجماعۃ،باب ماجاء فی العتمۃ والصبح، الحدیث: ۳۰۰، الجزء الاول،ص۱۳٤)

जमाअ़त छोड़ने के आ'ज़ार

मुन्दरिजए ज़ैल उ़ज़्रों की वजह से अगर कोई जमाअ़त छोड़ दे तो गुनहगार न होगा।

﴿1﴾ मरीज़ जिसे मस्जिद तक जाने में मशक़्क़त हो। ﴿2﴾ अपाहज ﴿3﴾ वोह जिस का पाउं कट गया हो। ﴿4﴾ जिस पर फ़ालिज गिरा हुवा हो।

﴿5﴾ इतना बूढ़ा कि मस्जिद तक जाने से आ़जिज़ हो।

﴿6﴾ अन्धा, अगर्चे अन्धे के लिये कोई ऐसा हो कि जो हाथ पकड़ कर मस्जिद तक पहुंचा दे।

﴿7﴾ सख़्त बारिश ﴿8﴾ शदीद कीचड़ का ह़ाइल होना।

《9》 सख़्त सरदी 《10》 सख़्त तारीकी

《11》 आंधी 《12》 माल या खाने के तलफ़ होने का अन्देशा

《13》 क़र्ज़ ख़्वाह का ख़ौफ़ है और येह तंगदस्त है। 《14》 ज़ालिम का ख़ौफ़

《15》 पाख़ाना 《16》 पेशाब 《17》 रियाह़ की शदीद ह़ाजत है।

《18》 खाना ह़ाज़िर है और नफ़्स को उस की ख़्वाहिश है।

《19》 क़ाफ़िला चले जाने का अन्देशा है।

《20》 मरीज़ की तीमार दारी कि वोह अकेला घबराएगा। येह सब तर्के जमाअ़त के लिये उ़ज़्र हैं।

(بہارشریعت،ترک جماعت کے اعذار،ج۱،حصہ ۳،ص۱۳۱)

《25》 नमाज़ी के आगे से गुज़रना

किसी नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से गुज़रना गुनाह है। ह़दीसों में इस की सख़्त मुमा-न-अ़त आई है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू जुहैम رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि अगर नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से गुज़रने वाला जान लेता कि उस पर कितना बड़ा गुनाह है तो उस के लिये चालीस तक खड़ा रहना इस से बेहतर होता कि नमाज़ी के आगे से गुज़रे। इस ह़दीस के रावी अबुन्नज़्र ने कहा कि मैं नहीं जानता कि चालीस दिन फ़रमाया, या चालीस महीने, या चालीस बरस फ़रमाया।

(صحیح البخاری، کتاب الصلوۃ،باب اثم المارین...الخ، الحدیث: ۵۱۰،ج۱، ص۱۸۹)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू सईद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जब तुम में से कोई शख़्स किसी चीज़ को सुतरा न बना कर नमाज़ पढ़े और कोई उस के आगे से गुज़रने का इरादा करे तो उस को चाहिये कि उस को दफ़्अ़ करे। फिर भी अगर वोह न माने तो उस से लड़ाई करे क्यूं कि वोह शैत़ान है।

(صحیح البخاری، کتاب الصلوۃ،باب یرد المصلی من مربین یدیہ، الحدیث: ۵۰۹، ج۱، ص۱۸۹)

मसाइल व फ़वाइद

नमाज़ी को चाहिये कि अगर मैदान में नमाज़ पढ़े तो अपने आगे किसी चीज़ को सुतरा बना कर नमाज़ पढ़े और गुज़रने वाले को चाहिये कि सुतरा के बाहर से गुज़रे। और अगर मैदान या मस्जिद में बिला सुतरा के नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई आगे से गुज़रने लगे तो इशारे से उस को मन्अ़ करे। और मन्अ़ करने से भी वोह न माने तो सख़्ती के साथ उस को धक्का दे कर दफ़्अ़ करे। हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उस को शैत़ान इस लिये फ़रमाया कि वोह अगर्चे मुसल्मान है मगर शैत़ान का काम कर रहा है कि नमाज़ी के आगे से गुज़र कर नमाज़ी की तवज्जोह में परा गन्दगी और इन्तिशार पैदा कर रहा है। (واللہ تعالٰی اعلم)

﴾26﴿ नमाज़ में आस्मान की त़रफ़ देखना

नमाज़ में आस्मान की त़रफ़ सर उठा कर देखना ना जाइज़ और गुनाह है। ह़दीस में इस की सख़्त मुमा-न-अ़त आई है।

ह़दीस :

ह़ज़रते अनस बिन मालिक رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि लोगों का क्या ह़ाल है कि वोह अपनी निगाहों को अपनी नमाज़ में आस्मान की त़रफ़ उठाते हैं। (रावी कहते हैं) हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इस बारे में बहुत ही सख़्त बात फ़रमाई। यहां तक कि फ़रमाया : लोग ऐसा करने से बाज़ रहें वरना ज़रूर उन की निगाहें उचक ली जाएंगी।

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب رفع البصر الی السماء فی الصلوۃ، الحدیث: ۷۵۰، ج۱، ص۲۶۵)

मसाइल व फ़वाइद

नमाज़ में क़ियाम की ह़ालत में निगाह सज्दागाह पर जमी रहनी चाहिये और रुकूअ़ में नज़र पाउं के दोनों अंगूठों पर और सज्दे में नज़र नाक पर और बैठने में नज़र सीने पर और सलाम फैरने में दोनों कन्धों पर रहनी चाहिये। (واللہ تعالیٰ اعلم)

《27》 इमाम से पहले सर उठाना

नमाज़ में इमाम से पहले सर उठाना मन्अ़ और गुनाह है। ह़दीस में इस की सख़्त मुमा-न-अ़त और वईदे शदीद आई है।

ह़दीस :

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि वोह शख़्स जो इमाम से पहले सर उठा लेता है क्या इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह तआ़ला उस के सर

को गधे का सर बना दे या उस की सूरत को गधे की सूरत बना दे।

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب اثم من رفع رأسه قبل الامام،الحدیث: ٦٩١،ج١،ص٢٤٩)

﴾28﴿ ज़कात न अदा करना

नमाज़ की तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है और जिस तरह नमाज़ छोड़ देना गुनाहे कबीरा है इसी तरह ज़कात न देना भी गुनाहे कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। कुरआने मजीद और हदीसों में ज़कात छोड़ने वाले के लिये ब कसरत जहन्नम की वईदें आई हैं। चुनान्चे कुरआने मजीद में इर्शाद है कि :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝ (پ١٠،التوبة:٣٤-٣٥)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह कि जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते उन्हें ख़ुश ख़बरी सुनाओ दर्दनाक अ़ज़ाब की जिस दिन वोह तपाया जाएगा जहन्नम की आग में फिर उस से दागेंगे उन की पेशानियां और करवटें और पीठें येह है वोह जो तुम ने अपने लिये जोड़ कर रखा था अब चखो मज़ा इस जोड़ने का।

हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि :

हदीस : 1

हज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जिस को ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ ने माल अ़ता फ़रमाया और उस ने उस की ज़कात नहीं अदा की तो क़ियामत के दिन उस के माल को एक गन्जे अज़्दहे की सूरत में बना दिया जाएगा कि उस अज़्दहे की दो चित्तियां होंगी (जो उस के बहुत ही ज़हरीले होने की निशानी है) और वोह अज़्दहा उस के गले का तौक़ बना दिया जाएगा जो अपने जबड़ों से उस को पकड़ेगा और कहेगा मैं हूं तेरा माल, तेरा ख़ज़ाना।

(صحیح البخاری، کتاب الزکوۃ، باب اثم مانع الزکوٰۃ،الحدیث:۱۴۰۳،ج۱، ص۴۷٤)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि जिन ऊंटों की ज़कात नहीं दी गई है वोह दुन्या में जितने बड़े और फ़र्बा थे उस से बढ़ कर बड़े और फ़र्बा हो कर क़ियामत के दिन आएंगे और अपने मालिकों को अपने पाउं से कुचलेंगे और जिन बकरियों की ज़कात नहीं दी गई है वोह बकरियां दुन्या में जितनी बड़ी और फ़र्बा थीं उन से ज़ियादा बड़ी और फ़र्बा हो कर आएंगी और अपने मालिकों को पैरों से रौंदेंगी और सींगों से मारेंगी।

(صحیح البخاری، کتاب الزکوۃ، باب اثم مانع الزکوٰۃ،الحدیث:۱۴۰۲،ج۱، ص۴۷۳)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अह़नफ़ बिन क़ैस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि ह़ज़रते अबू ज़र गिफ़ारी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने फ़रमाया कि ख़ज़ाना जम्अ़ करने वालों को (जो ज़कात नहीं देते) ख़ुश ख़बरी सुना दो कि उन के ख़ज़ाने को क़ियामत के दिन पथ्थर बना कर जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। फिर उन को उन के मालिकों की छातियों की घुन्डी पर रखा जाएगा तो वोह उन के शानों की कुर्री से

बाहर निकल जाएगा। और फिर उन के शानों की कुर्सी पर रखा जाएगा तो वोह उन की छाती की घुन्डी से बाहर निकल जाएगा।

(صحیح البخاری، کتاب الزکوۃ، باب ماأدّی زکاتہ فلیس بکنز،الحدیث:١٤٠٧، ج١،ص٤٧٥)

मसाइल व फ़वाइद

अल हासिल हर वोह माल जिस में ज़कात फ़र्ज़ है अगर उस की ज़कात न दी गई तो क़ियामत के दिन वोही माल उन के मालिकों के लिये अ़ज़ाब का ज़रीआ़ बनेगा और वोह जहन्नम में त़रह़ त़रह़ के अ़ज़ाबों में गरिफ़्तार होंगे।

﴾29﴿ रोज़ा छोड़ देना

रोज़ा फ़र्ज़ और इस्लाम के अरकान में से एक रुक्न है। बिला उ़ज़्रे शर-ई इस का छोड़ देना गुनाहे कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला काम है और रोज़ा रख कर अगर बिला उ़ज़्रे शर-ई क़स्दन तोड़ दे तो कफ़्फ़ारा लाज़िम है और इस का कफ़्फ़ारा येह है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे या साठ दिन लगातार रोज़े रखे या साठ मिस्कीनों को खाना खिलाए।

क़ुरआने मजीद में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ (پ٢،البقرة:١٨٣)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे।

दूसरी आयत में इर्शाद फ़रमाया :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ (پ٢،البقرة:١٨٥)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : तो तुम में जो कोई येह महीना पाए ज़रूर इस के रोज़े रखे।

ह़दीस : 1

ह़ाकिम ने ह़ज़रते का'ब बिन उ़जरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत की, कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : सब लोग मिम्बर के पास ह़ाज़िर हों। हम सब ह़ाज़िर हुए, जब हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم पहले द-रजे पर चढ़े कहा ''आमीन'' दूसरे द-रजे पर चढ़े कहा ''आमीन'' तीसरे द-रजे पर चढ़े कहा ''आमीन''। जब मिम्बर से तशरीफ़ लाए हम ने अ़र्ज़ की आज हम ने हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से ऐसी बात सुनी कि कभी न सुनते थे। तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिब्रईल عَلَیْہِ السَّلَام ने आ कर अ़र्ज़ की, वोह शख़्स दूर हो जिस ने र-मज़ान पाया और अपनी मग़्फ़िरत न कराई। मैं ने कहा ''आमीन'' जब मैं दूसरे द-रजे पर चढ़ा तो कहा वोह शख़्स दूर हो जिस के पास आप का ज़िक्र हो और आप पर दुरूद न भेजे। मैं ने कहा ''आमीन''। जब मैं तीसरे द-रजे पर चढ़ा कहा वोह शख़्स दूर हो जिस के मां बाप दोनों या एक को बुढ़ापा आए और उन की ख़िदमत कर के जन्नत में न जाए मैं ने कहा ''आमीन।''

(المستدرك للحاكم، كتاب البر و الصلة، باب لعن الله العاق لوالديه...الخ، الحديث ٧٣٣٨، ج ٥، ص ٢١٢)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू उमामा बाहिली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना कि मैं सो रहा था तो ख़्वाब में दो आदमी मेरे पास आए और मेरे दोनों बाज़ूओं को पकड़ कर मुझे एक दुश्वार गुज़ार पहाड़ पर चढ़ाया तो जब

मैं बीच पहाड़ पर पहुंचा तो वहां बड़ी सख़्त आवाज़ें आ रही थीं तो मैं ने कहा कि येह कैसी आवाज़ें हैं ? तो लोगों ने बताया कि येह जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे और आगे ले जाया गया तो मैं कुछ ऐसे लोगों के पास से गुज़रा कि उन को उन के टख़्नों की रगों में बांध कर लटकाया गया था और उन लोगों के गलफड़े फाड़ दिये गए थे और उन के गलफड़ों से ख़ून बह रहा था तो मैं ने पूछा कि येह कौन लोग हैं ? तो किसी कहने वाले ने येह कहा कि येह लोग रोज़ा इफ़्तार करते थे क़ब्ल इस के कि रोज़ा इफ़्तार करना ह़लाल हो।

(الترغیب والترھیب، کتاب الصوم، الترھیب من افطار...الخ،الحدیث:۲،الجزء الثانی،ص٦٦)

मसाइल व फ़वाइद

रोज़ा शरीअ़त की इस्तिलाह़ में मुसल्मान का ब निय्यते इबादत सुब्हे सादिक़ से ग़ुरूबे आफ़्ताब तक अपने को क़स्दन खाने पीने, जिमाअ़ से बाज़ रखने का नाम है। औ़रत का हैज़ व निफ़ास से ख़ाली होना शर्त है। बिला उ़ज़्रे शर-ई रोज़ा छोड़ देना गुनाहे अ़ज़ीम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

﴾30﴿ ह़ज छोड़ देना

जिस शख़्स पर ह़ज फ़र्ज़ है उस को लाज़िम है कि फ़ौरन ही ह़ज को जाए। ह़ज पर क़ादिर होते हुए ह़ज को छोड़ देना गुनाहे कबीरा है। अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआने मजीद में फ़रमाया कि :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(پ٤،ال عمران:٩٧)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और अल्लाह के लिये लोगों पर उस घर का ह़ज करना है जो उस तक चल सके और जो मुन्किर हो तो अल्लाह सारे जहान से बे परवाह है।

दूसरी आयत में इर्शाद हुवा :

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط

(پ۲،البقرۃ:۱۹۶)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और ह़ज और उ़म्रह अल्लाह के लिये पूरा करो।

ह़दीस :

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो शख़्स सुवारी और इतने तोशे का मालिक हो गया कि वोह उसे बैतुल्लाह तक पहुंचा दे फिर उस ने ह़ज नहीं किया तो कुछ फ़र्क़ नहीं है कि वोह यहूदी होते हुए मरे या नसरानी होते हुए और येह इस लिये है कि अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआने मजीद में फ़रमाया है कि अल्लाह ही के लिये लोगों पर बैतुल्लाह का ह़ज है जो बैतुल्लाह तक रास्ते की त़ाक़त रखे।

(سنن الترمذی، کتاب الحج،باب ماجاء من التغلیظ فی ترک الحج، الحدیث: ۸۱۲، ج۲،ص۲۱۹)

मसाइल व फ़वाइद

ह़ज इस्लाम का पांचवां रुक्न और बहुत अहम फ़रीज़ा है और जब ह़ज फ़र्ज़ हो जाए तो फ़ौरन ह़ज कर लेना लाज़िम है जिस क़दर देर करेगा हर लम्ह़ा गुनहगार होता रहेगा।

﴾31﴿ हुक़ूक़ुल इबाद न अदा करना

बन्दों के हुक़ूक़ का अदा करना भी हर मुसल्मान पर फ़र्ज़ है और बन्दों के हुक़ूक़े वाजिबा न अदा करना गुनाहे कबीरा है जो सिर्फ़ तौबा करने से मुआ़फ़ नहीं हो सकता। बल्कि ज़रूरी है कि तौबा करने के साथ साथ या तो हुक़ूक़ अदा कर दे या साह़िबाने हुक़ूक़ से हुक़ूक़ मुआ़फ़ करा ले क्यूं कि जब तक बन्दे न मुआ़फ़ कर दें अल्लाह तआ़ला उस को

मुआ़फ़ नहीं फ़रमाएगा।

ह़दीस शरीफ़ में है कि "فاتوا کل ذی حق حقه" या'नी हर ह़क़ वाले का ह़क़ अदा करो।

(صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب من اقسم علی اخیه...الخ، الحدیث:۱۹٦۸، ج۱، ص٦٤٧)

आज कल बहुत से मुसल्मान दूसरों के माल व सामान और ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लेते हैं और दूसरों का ह़क़ ग़सब कर लेते हैं। बहुत से लोग क़र्ज़ ले कर उस को अदा नहीं करते बा'ज़ लोग मज़दूरों की मज़दूरी, मुलाज़िमों की तन-ख़्वाह दबा कर बैठ रहते हैं येह सब हुक़ूक़ुल इ़बाद हैं। जो इन हुक़ूक़ को अदा न करेगा या न मुआ़फ़ कराएगा आख़िरत में उस का ठिकाना जहन्नम में होगा।

इसी त़रह़ मुसल्मान पर उस के मां बाप, भाइयों, बहनों, बीवी बच्चों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों वग़ैरा के हुक़ूक़ हैं कि सब के साथ नेक सुलूक करे अगर इन लोगों के हुक़ूक़ को न अदा करेगा तो क़ियामत के दिन हुक़ूक़ुल इ़बाद में माख़ूज़ और अ़ज़ाबे जहन्नम में गरिफ़्तार होगा। (واللہ تعالیٰ اعلم)

नोट : हुक़ूक़ का मुफ़स्सल बयान हमारी किताब "जन्नती ज़ेवर" में पढ़िये जो बहुत ही जामेअ़ और ईमान अफ़रोज़ किताब है और उस में मुस्लिम मुआ़शरे की इस्लाह़ के लिये बहुत कुछ लिखा गया है।

﴾32﴿ रिश्तेदारियों को काट देना

अल्लाह तआ़ला ने ख़ानदानी व सुसराली रिश्तेदारियों को अपनी ने'मत बताया है जिस से इन्सानों को नवाज़ा है और येह हुक्म दिया है कि तुम रिश्तेदारियों को जानो पहचानो और इन रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक और नेक बरताव करते रहो और अल्लाह तआ़ला ने इन रिश्तेदारों से बिगाड़ और क़त़्अ़ तअ़ल्लुक़

को ह़राम फ़रमाया है। और हुक्म दिया है कि इन रिश्तेदारियों को न काटो। या'नी ऐसा मत करो कि भाइयों और बहनों, चचाओं, फूफियों, भतीजों, भान्जों और नवासों वग़ैरा से इस त़रह़ का बिगाड़ कर लो कि येह कह दो कि तुम मेरी बहन नहीं और मैं तुम्हारा भाई नहीं और येह कह कर बिल्कुल रिश्तेदारी का तअ़ल्लुक़ ख़त्म कर लो। ऐसा करने को ''क़त़ए़ रेह़म'' और ''रिश्ता काटना'' कहते हैं। येह शरीअ़त में ह़राम और बड़ा सख़्त गुनाह का काम है और इस की सज़ा जहन्नम का दर्दनाक अ़ज़ाब है। चुनान्चे अल्लाह तआ़ला ने कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाया :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ٥ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ٥

(پ٢٦،محمد:٢٢-٢٣)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : तो क्या तुम्हारे येह लच्छन नज़र आते हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो ज़मीन में फ़साद फैलाओ और अपने रिश्ते काट दो येह हैं वोह लोग जिन पर अल्लाह ने ला'नत की और उन्हें ह़क़ से बहरा कर दिया और उन की आंखें फोड़ दीं।

इसी त़रह़ ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया :

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा ने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना है कि उस क़ौम पर रह़मत नहीं नाज़िल होती जिस क़ौम में कोई रिश्तेदारियों को काटने वाला मौजूद है।

(مشکوٰۃ المصابیح،کتاب الآداب، باب البر و الصلۃ،الفصل الثانی، الحدیث: ٤٩٣١، ج٣،ص٦١۔ شعب الایمان للبیھقی،باب فی صلۃ الارحام،الحدیث ٧٩٦٢،ج٦،ص٢٢٣)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि तीन शख़्स जन्नत में नहीं दाख़िल होंगे। ﴿1﴾ एह़सान कर के एह़सान जताने वाला ﴿2﴾ अपनी मां की ना फ़रमानी और ईज़ा रसानी करने वाला ﴿3﴾ हमेशा शराब पीने वाला।

(سنن النسائی، کتاب الاشربۃ،باب الروایۃ فی المدمنین فی الخمر،ج۸،ص۳۱۸)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ ने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि मैं अल्लाह हूं और मैं रह़मान हूं, मैं ने रिश्तों को पैदा किया है और अपने नाम से इस के नाम को मुश्तक़ किया है। तो जो शख़्स रिश्ते को मिलाएगा मैं उस को मिलाऊंगा और जो इस को काट देगा मैं उस को काट दूंगा।

(سنن الترمذی، کتاب البر والصلۃ،باب ماجاء فی قطیعۃ الرحم،الحدیث۱۹۱٤، ج۳، ص۳٦۳)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि तुम लोग अपने नसब नामों को जान लो। ताकि इस की वजह से तुम अपने रिश्तेदारों के साथ नेक सुलूक करो। यक़ीन जानो कि रिश्तेदारों के साथ नेक सुलूक करना येह घर वालों में मह़ब्बत और माल में ज़ियादती, और उ़म्र में दराज़ी का सबब है।

(سنن الترمذی، کتاب البر والصلۃ،باب ماجاء فی تعلیم النسب،الحدیث۱۹۸٦، ج۳،ص۳۹٤)

﴾33﴿ पड़ोसियों के साथ बद सुलूकी

अल्लाह तआ़ला ने रिश्तेदारों के इलावा पड़ोसियों, साथियों और दोस्तों के साथ भी नेक और अच्छे बरताव का हुक्म दिया है। चुनान्चे इन लोगों के साथ नेक सुलूक करना येह जन्नत में ले जाने वाला अ़मल है और इन लोगों के साथ बद सुलूकी व ईज़ा रसानी करना ह़राम व गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। चुनान्चे क़ुरआने मजीद में ख़ुदा वन्दे क़ुद्दूस ने इर्शाद फ़रमाया कि :

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝ (پ٥،النساء:٣٦)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और मां बाप से भलाई करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मोह़ताजों और पास के हमसाए और दूर के हमसाए और करवट के साथी और राहगीर और अपनी बांदी ग़ुलाम से बेशक अल्लाह को ख़ुश नहीं आता कोई इतराने वाला बड़ाई मारने वाला।

इसी त़रह़ अह़ादीस में है कि

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि, ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ की क़सम ! वोह मोमिन नहीं होगा, ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ की क़सम ! वोह मोमिन नहीं होगा, ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ की क़सम ! वोह मोमिन नहीं होगा। तो किसी ने कहा कि कौन ? या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! तो फ़रमाया कि वोह शख़्स जिस का पड़ोसी उस की शरारतों से बे ख़ौफ़ न हो।

(صحیح البخاری، کتاب الادب، باب اثم من لایأمن جارہ...الخ، الحدیث: ٦٠١٦،ج٤،ص١٠٤)

मत्लब येह है कि कामिल द-रजे का मुसल्मान उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उस के पड़ोसी उस की शरारतों से बे ख़ौफ़ न हो जाएं।

ह़दीस : 2

ह़ज़रते आइशा व ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से मरवी है कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया ह़ज़रते जिब्राईल عَلَیْہِ السَّلَام हमेशा पड़ोसी के मु-तअ़ल्लिक़ मुझे वसिय्यत करते रहे यहां तक कि मुझे येह गुमान होने लगा कि अ़न्क़रीब येह पड़ोसी को वारिस ठहरा देंगे।

(صحیح البخاری، کتاب الادب،باب الوصاۃ بالجار، الحدیث:٦٠١٤و٦٠١٥، ج٤، ص١٠٤)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते इब्ने अ़म्र رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया तमाम साथियों में अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के नज़्दीक सब से बेहतर वोह साथी है जो अपने साथियों के लिये बेहतरीन हो, और तमाम पड़ोसियों में अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के नज़्दीक वोह पड़ोसी बेहतर है जो अपने पड़ोसियों के लिये बेहतरीन हो।

(سنن الترمذی، کتاب البر والصلۃ،باب ماجاء فی حق الجوار،الحدیث ١٩٥١، ج٣،ص٣٧٩)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना कि वोह मोमिन नहीं जो ख़ुद पेट भर कर खा ले और उस का पड़ोसी उस के पहलू में भूका रह जाए।

(شعب الایمان للبیہقی،باب فی المطاعم والمشارب،فصل فی ذم کثرۃ الاکل، الحدیث٥٦٦٠، ج٥،ص٣١)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि एक आदमी ने कहा कि या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! फ़ुलानी औ़रत की नमाज़ व रोज़ा और स-दक़े का बड़ा चरचा होता रहता है मगर वोह अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से ईज़ा देती रहती है। तो इर्शाद फ़रमाया कि येह औ़रत जहन्नमी है तो उस आदमी ने कहा कि फ़ुलानी औ़रत के रोज़ा व नमाज़ और स-दक़े में कमी का चरचा है। वोह सिर्फ़ पनीर की टिकियों को स-दक़े में दिया करती है मगर वोह अपने पड़ोसियों को नहीं सताती है। तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि वोह औ़रत जन्नती है।

(المسندلامام احمد بن حنبل،مسند ابی هريرة،الحديث ٩٦٨١،ج٣،ص ٤٤١)

﴿34﴾ जानवरों को सताना

जानवरों को बिला वजह मारना, और उन की त़ाक़त से ज़ियादा उन से मेह़नत लेना, बिला ज़रूरत उन को क़त्ल करना, या आग में जलाना, या भूका प्यासा रखना ह़राम व गुनाह है। चुनान्चे मुन्दरिजए ज़ैल ह़दीसों में ख़ास त़ौर पर इस की मुमा-न-अ़त आई है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि एक च्यूंटी ने एक नबी عَلَیْہِ السَّلَام को काट लिया तो उन्हों ने च्यूंटियों के मस्कन को जला देने का हुक्म दे दिया, और वोह जला दिया तो अल्लाह तआ़ला ने उस नबी عَلَیْہِ السَّلَام पर येह वह्य उतारी कि तुम को तो एक च्यूंटी ने काटा था। मगर तुम ने एक ऐसी उम्मत को जला दिया जो ख़ुदा की तस्बीह़ पढ़ती थी।

(صحيح البخاری، كتاب الجهاد والسير،باب١٥٣ ،الحديث:٣٠١٩، ج٢، ص٣١٥)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْھُمَا से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि एक औ़रत एक बिल्ली के मुआ़–मले में जहन्नम के अन्दर दाख़िल की गई। उस ने एक बिल्ली को बांध रखा था, न उस को कुछ खिलाया पिलाया न उस को छोड़ा कि वोह कीड़े मकोड़ों को खाती यहां तक कि वोह मर गई।

(صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب خمس من الدوّاب...الخ، الحدیث: ۳۳۱۸، ج۲، ص۴۰۸)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْھُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से मैं ने सुना है कि जो किसी जानदार को लटका कर उस पर निशाना लगाए वोह मल्ऊ़न है।

(صحیح مسلم، کتاب الصید والذبائح...الخ، باب النھی عن صبر البھائم، الحدیث۱۹۵۸، ص۱۰۸۱)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते शद्दाद बिन औस رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने हर चीज़ में भलाई करने का हुक्म फ़रमाया है। लिहाज़ा तुम जब किसी को क़त्ल करो तो अच्छे त़रीक़े से क़त्ल करो और जब तुम किसी जानवर को ज़ब्ह़ करो तो अच्छे त़रीक़े से ज़ब्ह़ करो छुरी तेज़ करो और ज़बीह़ा को राह़त पहुंचाओ।

(صحیح مسلم، کتاب الصید والذبائح...الخ، باب الأمر باحسان...الخ، الحدیث: ۱۹۵۵، ص۱۰۸۰)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने जानवरों को उन के चेहरों पर मारने और दाग़ लगाने से मन्अ़ फ़रमाया है ।

(صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب النهی عن ضرب الحیوان...الخ، الحدیث:۲۱۱٦،ص۱۱۷۱)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि एक दफ़्आ़ एक गधा रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के सामने से गुज़रा जिस के चेहरे पर दाग़ लगाया गया था तो आप صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि उस शख़्स पर अल्लाह की ला'नत हो जिस ने इस के चेहरे पर दाग़ लगाया है ।

(صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب النهی عن ضرب الحیوان ...الخ، الحدیث:۲۱۱۷،ص۱۱۷۲)

ह़दीस : 7

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अल आ़स رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो शख़्स एक गूरिया (चिड़िया) को या इस से बड़े परिन्दे को नाह़क़ क़त्ल कर दे तो अल्लाह तआ़ला उस से उस के क़त्ल के बारे में पूछ गछ फ़रमाएगा । तो किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! उस का ह़क़ क्या है ? तो फ़रमाया कि येह है कि उस को ज़ब्ह़ करे और खाए, न येह कि उस का सर काट कर फेंक दे ।

(مشکوٰة المصابیح، کتاب الصید والذبائح، الفصل الثانی،الحدیث:٤٠٩٤ج۲ ، ص٤۲۹۔

سنن النسائی، کتاب الضحایا،باب من قتل عصفورا بغیر حقها، ج۷،ص۲۳۹)

ह़दीस : 8

ह़ज़रते सह्ल बिन अल ह़न्ज़लिय्या رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم एक ऐसे ऊंट के पास से गुज़रे जिस की पीठ उस के पेट से (भूक की वजह से) मिल गई थी। तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि तुम लोग इन बे ज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह तआ़ला से डरो इन पर उस वक़्त सुवार हुवा करो जब कि वोह अच्छी ह़ालत में हों और जब इन्हें छोड़ो तो उस वक़्त भी इन्हें अच्छी ह़ालत में छोड़ो।

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب النکاح،باب النفقات وحق المملوك، الفصل الثانی، الحدیث: ۳۳۷۰،ج۲ ،ص۲٦٦۔ سنن ابی داود، کتاب الجهاد،باب مایؤمربه من القیام علی الدواب والبهائم،الحدیث۲۵٤۸، ج۳،ص۳۲)

मसाइल व फ़वाइद

किसी जानदार को परिन्द हो या चरिन्द बिला वजह सताना और ईज़ा देना शरअ़न ह़राम है सिर्फ़ उन जानवरों को मार डालना जाइज़ है जो मोहलिक या मूज़ी हों। (واللہ تعالیٰ اعلم)

﴾35﴿ ज़ुल्म

हर क़िस्म का ज़ुल्म ह़राम व गुनाहे कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। क़ुरआने मजीद और ह़दीसों में ज़ुल्म करने की मुमा-न-अ़त और इस की मज़म्मत ब कसरत आई है बल्कि बहुत ज़ालिमों की बस्तियां उन के ज़ुल्म की नुहूसत की वजह से हलाक व बरबाद कर दी गईं।

चुनान्चे क़ुरआने मजीद में इर्शादे रब्बानी है कि :

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ○ (پ۱۷،الانبیآء:۱۱)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और कितनी ही बस्तियां हम ने तबाह कर दीं कि वोह सितमगार थीं और उन के बा'द और क़ौम पैदा की।

दूसरी आयत में इर्शाद हुवा कि :

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ج وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ○ (پ۱۷،الحج:٤٨)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और कितनी बस्तियां कि हम ने उन को ढील दी इस ह़ाल पर कि वोह सितमगार थीं फिर मैं ने उन्हें पकड़ा और मेरी ही त़रफ़ पलट कर आना है।

इस मज़मून की बहुत सी आयतें क़ुरआने मजीद में हैं जो ए'लान कर रही हैं कि ज़ुल्म करने वालों के लिये दुन्या में भी हलाकत व बरबादी है और आख़िरत में भी उन के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है। चुनान्चे बहुत सी आयतों में बार बार इर्शाद फ़रमाया :

وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ (پ۲۵،الشوریٰ:۲۱)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और बेशक ज़ालिमों के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है।

और एक आयत में यूं फ़रमाया :

اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ○ (پ۲۵،الشوریٰ:٤٥)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : सुनते हो बेशक ज़ालिम हमेशा के अ़ज़ाब में हैं।

इसी त़रह़ ह़दीसों में भी ज़ुल्म की मज़म्मत व मुमा-न-अ़त ब कसरत बयान की गई है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू मूसा अश्अ़री رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि बेशक अल्लाह तआ़ला ज़ालिम को मोहलत देता है यहां तक कि जब उस को अपनी पकड़ में ले लेता है तो फिर उस को छुटकारा नहीं देता है। फिर हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने येह आयत पढ़ी :

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِیَ ظَالِمَةٌ ؕ (پ۱۲، هود:۱۰۲)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और ऐसी ही पकड़ है तेरे रब की जब बस्तियों को पकड़ता है उन के ज़ुल्म पर।

(صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب وکذلك أخذ...الخ، الحدیث:٤٦٨٦، ج٣،ص٢٤٧)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि जब हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मक़ामे ह़जर या'नी क़ौमे आ़द व समूद की बस्तियों में से गुज़रे तो फ़रमाया कि ऐ लोगो ! इन ज़ालिमों के घरों में रोते हुए दाख़िल होना। क्यूं कि येह ख़ौफ़ है कि कहीं तुम को भी वोही अ़ज़ाब न पहुंच जाए जो इन ज़ालिमों को पहुंचा था येह फ़रमाया फिर अपने सर पर कपड़ा डाल कर बड़ी तेज़ी के साथ चले और उस वादी से गुज़र गए।

(صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب نزول النبی الحجر، الحدیث: ٤٤١٩، ج٣،ص١٤٩)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते जाबिर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि तुम लोग ज़ुल्म करने से बचते रहो क्यूं कि ज़ुल्म क़ियामत के दिन अंधेरे में रहने का सबब है और

बख़ीली से भी बचते रहो इस लिये कि बख़ीली ने तुम से पहलों को हलाक कर दिया है। उन की बख़ीली ही ने उन को इस बात पर उभारा था कि उन्हों ने अपने ख़ूनों को बहाया और ह़राम चीज़ों को ह़लाल ठहराया।

(صحیح مسلم، کتاب البر والصلة...الخ،باب تحریم الظلم، الحدیث:۲۵۷۸، ص۱۳۹٤)

ह़दीस : 4

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि तुम अपने को मज़्लूम की बद दुआ़ से बचाओ। इस लिये कि वोह अल्लाह तआ़ला से अपने ह़क़ का सुवाल करेगा और अल्लाह तआ़ला किसी ह़क़ वाले के ह़क़ को रोकता नहीं है।

(شعب الایمان للبیهقی،باب فی طاعة اولی الامر،فصل فی ذکر ماورد من التشدید فی الظلم،الحدیث٧٤٦٤،ج٦،ص٤٩)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से मरवी है कि जो शख़्स किसी मुक़द्दमे में किसी ज़ालिम की मदद करे तो वोह हमेशा अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के ग़ज़ब में रहेगा यहां तक कि उस से अलग हो जाए।

(کنزالعمال، کتاب الأخلاق من قسم الأقوال، الظلم والغضب، الحدیث: ۷۵۹۱، ج۲،الجزء الثالث،ص۲۰۰)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते औस बिन शुरह़बील رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि

जो शख़्स ज़ालिम के साथ उस को ज़ालिम जानते हुए उस की मदद के लिये निकला तो वोह इस्लाम (कामिल) से निकल गया।

(کنزالعمال، کتاب الأخلاق من قسم الأقوال، الظلم والغضب، الحدیث:۷۵۹۳، ج۲، الجزء الثالث، ص۲۰۰)

मसाइल व फ़वाइद

किसी शख़्स के साथ ज़ुल्म करना, और किसी भी क़िस्म का ज़ुल्म करना बहुत शदीद गुनाहे कबीरा और अ़ज़ाबे जहन्नम में मुब्तला करने वाला काम है। लिहाज़ा हर मुसल्मान को लाज़िम है कि जहन्नम के इस ख़तरे को अपने क़रीब न आने दे वरना दुन्या व आख़िरत में हलाकत व बरबादी इतनी ही यक़ीनी है जितना कि आग का अंगारा हाथ में लेने के बा'द जलना यक़ीनी है। (واللہ تعالیٰ اعلم)

﴾36﴿ दुश्मनाने इस्लाम से दोस्ती

दुश्मनाने इस्लाम या'नी काफ़िरों, मुश्रिकों, मुरतद्दों और बद मज़्हबों से दोस्ती करना और उन से मेल जोल और महब्बत रखना ह़राम व गुनाह और जहन्नम में ले जाने का काम है। इस बारे में क़ुरआने मजीद की बहुत सी आयतें नाज़िल हुईं और रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने अपनी मुक़द्दस ह़दीसों में बड़ी सख़्ती के साथ इस की मुमा-न-अ़त फ़रमाई है। चुनान्चे क़ुरआने मजीद की मुन्दरिजए ज़ैल चन्द आयतों को बग़ौर पढ़िये और इन से हिदायत का नूर ह़ासिल कीजिये।

لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۚ وَمَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِیْ شَیْءٍ

(پ۳، ال عمران:۲۸)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : मुसल्मान काफ़िरों को अपना दोस्त न बना लें मुसल्मानों के सिवा और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से कुछ अ़लाक़ा न रहा।

दूसरी आयत में इर्शाद फ़रमाया :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ (پ٤،ال عمرٰن:١١٨)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! ग़ैरों को अपना राज़दार न बनाओ वोह तुम्हारी बुराई में गई (कमी) नहीं करते उन की आरज़ू है जितनी ईज़ा तुम्हें पहुंचे बैर उन की बातों से झलक उठा और वोह जो सीने में छुपाए हैं और बड़ा है।

एक दूसरी आयत में यूं इर्शाद फ़रमाया :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ (پ٦،المآئدہ:٥٧)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! जिन्हों ने तुम्हारे दीन को हंसी खेल बना लिया है वोह जो तुम से पहले किताब दिये गए और काफ़िर इन में किसी को अपना दोस्त न बनाओ।

एक दूसरी आयत में येह फ़रमाया :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖۚ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ (پ٥،النسآء:١٤٠)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और बेशक अल्लाह तुम पर किताब में उतार चुका कि जब तुम अल्लाह की आयतों को सुनो कि इन का इन्कार किया जाता और इन की हंसी बनाई जाती है तो उन लोगों के साथ न बैठो जब तक वोह और बात में मश्ग़ूल न हों वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो।

इन आयतों के बा'द इस मज़मून की चन्द ह़दीसें भी पढ़ लीजिये।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू सईद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि उन्हों ने

नबी صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना कि तुम मुसल्मान के सिवा किसी और को साथी न बनाओ और परहेज़ गार के सिवा कोई तुम्हारा खाना न खाए।

(سنن ابی داود، کتاب الآداب، باب من یؤمران یجالس، الحدیث ٤٨٣٢، ج٤، ص٣٤١)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि आख़िरी ज़माने में कुछ ऐसे झूटे मक्कार लोग होंगे जो तुम्हारे पास ऐसी बातें लाएंगे कि उन बातों को न तुम ने सुना होगा न तुम्हारे बाप दादों ने तो ऐसे लोगों से तुम अपने को और उन को अपने से बचाओ ताकि वोह तुम को गुमराह न करें और तुम को फ़ितने में न डाल दें।

(صحیح مسلم، المقدمة، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء...الخ، الحدیث٧، ص٩)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि ''फ़िर्क़ए क़दरिया'' इस उम्मत के मजूसी हैं अगर वोह बीमार हो जाएं तो तुम लोग उन की बीमार पुर्सी न करो और अगर वोह मर जाएं तो तुम लोग उन के जनाज़े पर मत ह़ाज़िर हुवा करो।

(سنن ابی داود، کتاب السنة، باب الدلیل علی زیادة الایمان و نقصانه، الحدیث ٤٦٩١، ج٤، ص٢٩٤)

ह़दीस : 4

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है

उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि तुम लोग फ़िर्क़ए क़दरिया की सोह़बत में न बैठो और उन से सलाम व कलाम की इब्तिदा न करो।

(سنن ابی داود، کتاب السنة،باب الدلیل علی زیادة الایمان و نقصانه، الحدیث: ٤٧١٠،ج٤،ص٣٠٢)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते आइशा رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि छ़ आदमियों पर मैं ने ला'नत की है और अल्लाह ने ला'नत की है और हर नबी عَلَيْهِ السَّلَام ने ला'नत की है। वोह छ़ आदमी येह हैं

《1》 अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की किताब में कुछ बढ़ा देने वाला 《2》 अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की तक़्दीर को झुटलाने वाला 《3》 ज़बर दस्ती ग़-लबा ह़ासिल करने वाला ताकि वोह उन लोगों को इ़ज़्ज़त दे जिन्हें ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ ने ज़लील कर दिया है और उन लोगों को ज़लील करे जिन्हें ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ ने इ़ज़्ज़त दी है 《4》 ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ के ह़राम को ह़लाल ठहराने वाला 《5》 मेरी औलाद से वोह सुलूक ह़लाल समझने वाला जो अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ने ह़राम किया है 《6》 मेरी सुन्नत को छोड़ देने वाला।

(سنن الترمذی، کتاب القدر،باب١٧،الحدیث ٢١٦١،ج٤،ص٦١)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते नाफ़ेअ़ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि एक आदमी ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا के पास आया और कहा कि फ़ुलां आदमी ने आप को सलाम कहा है। तो आप ने फ़रमाया कि बेशक मुझे ख़बर पहुंची है कि वोह बिदअ़ती (या'नी क़दरिया) हो गया है। तो अगर येह ख़बर दुरुस्त हो कि वोह बिदअ़ती हो गया है तो तुम उस से मेरा सलाम न कहना, क्यूं कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को येह

फ़रमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में ज़मीन में धंस जाना और सूरतों का मस्ख़ हो जाना, पथराव होना "फ़िर्क़ए क़दरिया" वालों में होगा।

(سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الخسوف، الحديث ٤٠٦١، ج٤، ص٣٩١)

मसाइल व फ़वाइद

मज़्कूरा बाला आयतों और ह़दीसों से साबित होता है कि कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन व बद दीनों बद मज़्हबों से मैल व मिलाप व मह़ब्बत व दोस्ती करना, और उन लोगों को अपना राज़दार बनाना ना जाइज़ व ह़राम, सख़्त गुनाहे कबीरा और जहन्नम का काम है। वाज़ेह़ रहे कि दुन्यावी मुआ़-मलात म-सलन सौदा बेचना ख़रीदना, माल का लैन दैन और मुआ़-मलात की बात चीत कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन और बद दीनों, बद मज़्हबों से शरीअ़त में मन्अ़ नहीं। मगर मुवालात और ऐसी मह़ब्बत व दोस्ती कि उन के कुफ़्र और बद मज़्हबिय्यत से नफ़रत ख़त्म हो जाए येह यक़ीनन ह़राम व गुनाह और जहन्नम का काम है। इस ज़माने में बहुत से मुसल्मान इस बला में गरिफ़्तार हैं। उन्हें इस गुनाह के काम से तौबा कर के अपनी इस्लाह़ कर लेनी चाहिये ख़ुदा वन्दे करीम सब को ख़ैर की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए। (आमीन)

﴾37﴿ बोहतान

किसी बे क़ुसूर शख़्स पर अपनी त़रफ़ से घड़ कर किसी ऐ़ब का इल्ज़ाम लगाना येह बोहतान है। जो सख़्त ह़राम और गुनाहे कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ख़ुदा वन्दे क़ुद्दूस ने क़ुरआने मजीद में अपने ह़बीब صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को ह़ुक्म फ़रमाया कि मुसल्मान औ़रतों से चन्द बातों की बैअ़त लें। उन्ही बातों में येह भी है कि वोह बोहतान न लगाएं। चुनान्चे क़ुरआने मजीद में है :

وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ

(پ۲۸،الممتحنة:۱۲)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और न वोह बोहतान लाएंगी जिसे अपने हाथों और पाउं के दरमियान या'नी मौज़ए विलादत में उठाएं।

ह़दीस शरीफ़ में इस को गुनाहे कबीरा फ़रमाया गया है चुनान्चे हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने गुनाहे कबीरा की फ़ेहरिस्त बयान फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाया कि :

''وقذف المحصنات المومنات الغافلات'' या'नी पाक दामन मोमिन अनजान औ़रतों को तोहमत लगाना।

(صحیح البخاری، کتاب الوصایا،باب قول الله ان الذین یاکلون...الخ، الحدیث۲۷۶۶،ج۲،ص۲۴۲،۲۴۳)

ह़दीस : 1

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है आप ने फ़रमाया कि किसी बे क़ुसूर पर बोहतान लगाना येह आस्मानों से भी ज़ियादा भारी गुनाह है।

(کنز العمال، کتاب الاخلاق،باب البهتان،الحدیث۸۸۰۶،ج۳،ص۳۲۲)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते हुज़ैफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि किसी पाक दामन औ़रत पर ज़िना का बोहतान लगाना एक सो बरस के आ'माले सालिह़ा को ग़ारत व बरबाद कर देता है।

मसाइल व फ़वाइद

ज़िना के इलावा किसी दूसरे ऐ़ब का म-सलन किसी पर चोरी या डाका या क़त्ल वग़ैरा का अपनी त़रफ़ से घड़ कर इल्ज़ाम लगा देना येह भी बोहतान है जो गुनाहे कबीरा है। लिहाज़ा हर त़रह़ के बोहतानों

से बचना ज़रूरी है। (واللہ تعالیٰ اعلم)

﴾38﴿ वा'दा ख़िलाफ़ी

वा'दा ख़िलाफ़ी और अ़हद शिकनी भी ह़राम और गुनाहे कबीरा है क्यूं कि अपने अ़हद और वा'दे को पूरा करना मुसल्मान पर शरअ़न वाजिब व लाज़िम है। अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ने क़ुरआने मजीद में फ़रमाया :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ (پ٦،المائدة:١)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! अपने क़ौल पूरे करो।

दूसरी आयत में यूं इर्शाद फ़रमाया :

اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ۝ (پ١٥،بنی اسرائیل:٣٤)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : बेशक अ़हद से सुवाल होना है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो मुसल्मान अ़हद शिकनी और वा'दा ख़िलाफ़ी करे उस पर अल्लाह और फ़िरिश्तों और तमाम इन्सानों की ला'नत है और उस का न कोई फ़र्ज़ क़बूल होगा न नफ़्ल।

(صحیح البخاری، کتاب الجزیۃ والموادعۃ،باب اثم من عاھدثم غدر، الحدیث٣١٧٩، ج٢،ص٣٧٠)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि चार बातें जिस शख़्स में हों वोह ख़ालिस मुनाफ़िक़ होगा :

﴾1﴿ जब बात करे तो झूट बोले।

﴾2﴿ और जब वा'दा करे तो वा'दा ख़िलाफ़ी करे।

﴾3﴿ और जब कोई मुआ़-हदा करे तो अ़हद शिकनी करे।

﴾4﴿ और जब झगड़ा करे तो गाली बके।

(صحیح البخاری، کتاب الجزیۃ والموادعۃ،باب اثم من عاھد ثم غدر، الحدیث۳۱۷۸،ج۲،ص۳۷۰)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि हर अ़हद शिकनी करने वाले की सुरीन के पास क़ियामत में उस की अ़हद शिकनी का एक झन्डा होगा।

(صحیح مسلم، کتاب الجھادو السیر،باب تحریم الغدر،الحدیث۱۷۳۸،ص۹۵۶)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا से मरवी है कि जब अव्वलीन व आख़िरीन को अल्लाह तआ़ला (क़ियामत के दिन) जम्अ़ फ़रमाएगा तो हर अ़हद तोड़ने वाले के लिये एक झन्डा बुलन्द किया जाएगा कि येह फ़ुलां बिन फ़ुलां की अ़हद शिकनी है।

(صحیح مسلم، کتاب الجھادو السیر،باب تحریم الغدر،الحدیث۱۷۳۵،ص۹۵۵)

ह़दीस : 5

एक सह़ाबी से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि लोग उस वक़्त तक हलाक न होंगे जब तक कि वोह अपने लोगों से अ़हद शिकनी न करेंगे।

(سنن ابی داود، کتاب الملاحم،باب الامروالنھی،الحدیث۴۳۴۷،ج۴،ص۱۶۶)

मसाइल व फ़वाइद

हर अ़हद और वा'दे को पूरा करना मुसल्मान के लिये लाज़िम व ज़रूरी है और अ़हद को तोड़ देना और वा'दा ख़िलाफ़ी करना अगर बिग़ैर किसी उ़ज़्रे शर-ई के हो तो ह़राम व गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। واللہ تعالیٰ اعلم

﴾39﴿ अजनबी औ़रतों के साथ तन्हाई

अजनबी औ़रतों के साथ ख़ल्वत और इन के साथ तन्हाई में मिलना जुलना ह़राम व गुनाह है। इस मस्अले में चन्द ह़दीसें तह़रीर की जाती हैं ताकि लोगों को इन से हिदायत नसीब हो।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अमीरुल मुअमिनीन उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने फ़रमाया कि उन औ़रतों के घर जिन के शोहर ग़ाइब हों सिवा उन के मह़रमों के कोई दूसरा दाख़िल न हो और अगर कोई कहे कि औ़रत का देवर, तो सुन लो कि देवर तो मौत है। (या'नी इस से तो बहुत ज़ियादा ख़त़रा है) लिहाज़ा औ़रत को देवर से इस त़रह़ भागना चाहिये जैसे मौत से।

(كنزالعمال، كتاب الحدود من قسم الأفعال، الخلوة بالأجنبية، الحديث:١٣٦١٤، ج٣، الجزء الخامس، ص١٨٣)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू अ़ब्दुर्रह़मान सु-लमी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने फ़रमाया कि जिन औ़रतों के शोहर ग़ाइब हों कोई शख़्स उन के घरों में न दाख़िल हो तो अ़ब्दुर्रह़मान सु-लमी ने कहा कि मेरा एक भाई या एक भतीजा

जिहाद में चला गया है और उस ने मुझे येह वसिय्यत कर दी है कि मैं उस के घर में आया जाया करूं तो अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने उस को दुर्रा मारा और फ़रमाया कि घर में दाख़िल मत हुवा करो बल्कि दरवाज़े पर खड़े हो कर पूछ लिया करो कि क्या तुम लोगों को कोई ज़रूरत है ? क्या तुम लोगों को कुछ चाहिये ?

(کنزالعمال، کتاب الحدود من قسم الأفعال، الخلوۃ بالأجنبیۃ، الحدیث:۱۳۶۱۵، ج۳، الجزء الخامس، ص۱۸۳)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अ़ता رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ का गुज़र एक ऐसे आदमी के पास से हुवा कि वोह अपनी औ़रत से बात चीत कर रहा था तो ह़ज़रते अमीरुल मुअमिनीन उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ उस को दुर्रा मारते हुए उस के ऊपर चढ़ बैठे । तो उस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि ऐ अमीरल मुअमिनीन ! येह औ़रत तो मेरी बीवी है । तो अमीरुल मुअमिनीन शरमिन्दा हो गए और फ़रमाया कि (मुझ को ग़लत़ फ़हमी हो गई और तुम को मैं ने ग़लत़ सज़ा दी) लो तुम येह दुर्रा मुझ को मार कर अपना क़िसास मुझ से लो । तो उस ने कहा कि ऐ अमीरल मुअमिनीन ! मैं ने आप को बख़्श दिया । अमीरुल मुअमिनीन ने फ़रमाया कि इस की मग़्फ़िरत तुम्हारे हाथ में नहीं है । लेकिन अगर तुम चाहो तो मुआ़फ़ कर दो । तो उस ने कहा कि ऐ अमीरल मुअमिनीन ! मैं ने आप को मुआ़फ़ कर दिया ।

(کنزالعمال، کتاب الحدود من قسم الأفعال، الخلوۃ بالأجنبیۃ، الحدیث:۱۳۶۱۹، ج۳، الجزء الخامس، ص۱۸۳)

मसाइल व फ़वाइद

तन्हाई में किसी अजनबी औ़रत से बात चीत करना शरअ़न

जाइज़ नहीं है। अमीरुल मुअमिनीन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ को येही ख़याल हुवा इस लिये आप ने उस को दुर्रा मार कर सज़ा दी। लेकिन अमीरुल मुअमिनीन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ के सामने जब उस ने अपनी सफ़ाई पेश कर दी तो अमीरुल मुअमिनीन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ का इख़्लास देखो कि आप ने एक मा'मूली इन्सान के सामने अपने आप को क़िसास लेने के लिये पेश कर दिया। वोह तो ख़ैरियत हो गई कि उस ने आप को मुआ़फ़ कर दिया वरना अमीरुल मुअमिनीन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ तो उस के हाथ से दुर्रे की मार खाने के लिये तय्यार हो गए।

अल्लाहु अक्बर ! येह है जा नशीने पैग़म्बर ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ के अ़द्लो इन्साफ़ का वोह आ'ला शाहकार कि आज इस जम्हूरियत के दौर में भी कोई इस को सोच भी नहीं सकता। سُبْحٰنَ اللّٰہ ! سُبْحٰنَ اللّٰہ ! सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُم के इख़्लास व लिल्लाहिय्यत की मिसाल नहीं मिल सकती। واللہ تعالیٰ اعلم

﴾40﴿ बे पर्दगी

औ़रतों का बे पर्दा बाहर आना जाना, और ग़ैर मह़रम मर्दों से मिलना जुलना ह़राम व गुनाह है। क़ुरआने मजीद में है कि अल्लाह तआ़ला ने अपने मुक़द्दस नबी صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की अज़्वाजे मुत़ह्हरात को मुख़ात़ब बना कर इर्शाद फ़रमाया :

وَقَرْنَ فِیْ بُیُوْتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰی

(پ۲۲،الاحزاب:۳۳)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और अपने घरों में ठहरी रहो और बे पर्दा न रहो जैसे अगली जाहिलिय्यत की बे पर्दगी।

इस बारे में ह़दीसों के अन्दर भी बड़ी सख़्त मुमा-न-अ़त आई है और वईदें भी दी गई हैं।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते उ़क़्बा बिन आ़मिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि औ़रतों के पास जाने से अपने को बचाओ । तो एक शख़्स ने कहा कि या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! देवर के बारे में आप का क्या इर्शाद है ? तो फ़रमाया कि देवर तो मौत है। (या'नी देवर भावज के ह़क़ में मौत की त़रह़ ख़त़रनाक है ।)

(صحیح مسلم، کتاب السلام، باب تحریم الخلوة...الخ،الحدیث:۲۱۷۲، ص۱۱۹۶)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि औ़रत शैत़ान की सूरत में आगे आती है और शैत़ान की सूरत में पीछे जाती है। जब तुम में से किसी को कोई औ़रत अच्छी लग जाए और दिल में गड़ जाए तो उस को चाहिये कि अपनी बीवी के पास जा कर उस से जिमाअ़ कर ले तो ऐसा करने से उस के दिल का ख़याल दफ़्अ़ हो जाएगा ।

(مشکوٰة المصابیح، کتاب النکاح، باب النظر...الخ،الفصل الاول،الحدیث: ۳۱۰۵،ج۲،ص۲۰۶
صحیح مسلم، کتاب النکاح،باب ندب من رأی...الخ، الحدیث:۱۴۰۳،ص۷۲۶)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते इब्ने मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि नबी صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि औ़रत छुपाने के लाइक़ है (लिहाज़ा इस को पर्दे में रहना चाहिये) जब कोई औ़रत बाहर निकलती है तो शैत़ान उस को झांक झांक कर देखता है ।

(سنن الترمذی، کتاب الرضاع، باب۱۸،الحدیث:۱۱۷۶،ج۲،ص۳۹۲)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अमीरुल मुअमिनीन उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने नबी صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से रिवायत किया है कि जब भी कोई मर्द किसी औ़रत के साथ तन्हाई में होता है तो उन दोनों के दरमियान तीसरा शैत़ान होता है ।

(سنن الترمذی، کتاب الفتن ، باب ماجاء فی لزوم الجماعۃ،الحدیث ۲۱۷۲،ج٤،ص٦٧)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते उम्मे स-लमह رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि मैं और ह़ज़रते मैमूना رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا दोनों ह़ुज़ूर عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की ख़िदमत में ह़ाज़िर थीं कि ना गहां इब्ने उम्मे मक्तूम आ गए, येह उस वक़्त की बात है जब कि पर्दे की आयत नाज़िल हो चुकी थी तो ह़ुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने हम दोनों से फ़रमाया कि तुम दोनों इन से पर्दा करो । तो मैं ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! क्या वोह अन्धे नहीं हैं ? वोह तो हम को देखते ही नहीं फिर उन से पर्दा क्यूं करें ? तो ह़ुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि क्या तुम दोनों अन्धी हो । क्या तुम दोनों उन्हें देख नहीं रही हो ?

(سنن الترمذی، کتاب الادب،باب ماجاء فی احتجاب النساء...الخ،الحدیث۲۷۸۷،ج٤،ص٣٥٦)

मत़्लब येह है कि मर्द अजनबिया औ़रत को देखे येह भी ह़राम है और औ़रतें मर्दों को देखें येह भी ह़राम है और हर ह़राम काम से बचना फ़र्ज़ है और ह़राम काम को करना जहन्नम में ले जाने वाला काम है ।

﴾41﴿ पेशाब से न बचना

हर मुसल्मान मर्द और औ़रत पर शरअ़न लाज़िम है कि वोह

अपने बदन और कपड़ों को पेशाब से बचाए और जो अपने बदन और कपड़ों को पेशाब से न बचाए वोह गुनहगार और अ़ज़ाब के लाइक़ है। चुनान्चे एक ह़दीस में है कि

ह़दीस :

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो आप صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि इन दोनों मुर्दों को अ़ज़ाब दिया जा रहा है। और किसी ऐसे गुनाह में इन दोनों को अ़ज़ाब नहीं दिया जा रहा है जिस से बचना बहुत दुश्वार रहा हो। एक तो छुप कर पेशाब नहीं करता था और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुग़ली खाता था। फिर हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने खजूर की एक हरी शाख़ ली और उस को चीर कर दो टुकड़े कर के एक एक टुकड़ा दोनों क़ब्रों में गाड़ दिया तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! आप ने ऐसा क्यूं किया ? तो आप ने फ़रमाया कि इस लिये कि जब तक येह दोनों टहनियां हरी रहेंगी उम्मीद है कि इन दोनों के अ़ज़ाब में तख़्फ़ीफ़ हो जाएगी।

(صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب ۵۹، الحدیث: ۲۱۸، ج۱، ص۹۶۔
صحیح مسلم، کتاب الطهارة، باب الدلیل علی نجاسة البول...الخ، الحدیث ۲۹۲، ص۱۶۷)

मसाइल व फ़वाइद

﴿1﴾ इस ह़दीस से उन मुसल्मानों को इ़ब्रत ह़ासिल करना चाहिये जो उ़मूमन खड़े खड़े पेशाब करते हैं और बूट, सूट और ख़ुद अपने आप पेशाब से लत पत हो जाते हैं। और पेशाब के बा'द न ढेला लेते हैं न

पानी से धोते हैं और पेशाब को अपने बदन और कपड़ों में ख़ुश्क कर लेते हैं उन्हें समझ लेना चाहिये कि क़ियामत से पहले ही उन को क़ब्रों में ज़रूर अ़ज़ाब से पाला पड़ेगा।

﴿2﴾ इस ह़दीस से साबित होता है कि क़ब्रों पर फूल पत्ती या हरी घास डालने से मुर्दों को नफ़्अ़ पहुंचता है कि अगर वोह अ़ज़ाब के क़ाबिल होंगे तो उन के अ़ज़ाब में तख़्फ़ीफ़ हो जाएगी और अगर वोह अ़ज़ाब के लाइक़ न होंगे तो उन्हें हरी शाख़ों की तस्बीह़ से उन्स और फ़रह़त ह़ासिल होगी। واللہ تعالیٰ اعلم

﴿42﴾ हैज़ में हम बिस्तरी

हैज़ व निफ़ास की ह़ालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी ह़राम है और औ़रत की नाफ़ के नीचे से घुटने तक बदन के किसी ह़िस्से पर भी हाथ लगाना या अपने बदन के किसी ह़िस्से से उस को छूना ह़राम है। क़ुरआने मजीद में है :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ (پ۲،البقرۃ:۲۲۲)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और तुम से पूछते हैं हैज़ का हुक्म तुम फ़रमाओ वोह नापाकी है तो औ़रतों से अलग रहो हैज़ के दिनों और उन से नज़्दीकी न करो जब तक पाक न हो लें।

इसी त़रह़ ह़दीसों में भी ब कसरत इस की ह़ुरमत व मुमा-न-अ़त आई है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो शख़्स हैज़ वाली औ़रत से जिमाअ़ करे या औ़रत के पिछले मक़ाम में जिमाअ़ करे या

काहिन (नुजूमी वग़ैरा) के पास जाए तो उस ने नबी صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर नाज़िल की हुई शरीअ़त के साथ कुफ़्र किया।

(سنن الترمذی،أبواب الطهارة،باب ماجاء فی کراهیةاتیان .....الخ،الحدیث: ۱۳۵، ج۱، ص۱۸۵)

मत्लब येह है कि अगर इन कामों को ह़लाल जान कर किया तो वोह यक़ीनन काफ़िर हो गया क्यूं कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के ह़राम को ह़लाल जानना कुफ़्र है और अगर इन कामों को ह़राम मानते हुए कर लिया तो सख़्त गुनहगार हुवा और मुसल्मान होते हुए कुफ़्र का काम किया। واللہ تعالیٰ اعلم

ह़दीस : 2

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰى عَنْهُمَا से रिवायत है कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो ह़ैज़ की ह़ालत में औ़रत से मुजा-म-अ़त करे तो वोह एक दीनार या आधा दीनार कफ़्फ़ारा के त़ौर पर स-दक़ा दे।

(سنن ابن ماجه، کتاب الطهارةوسننها،باب فی کفارة من أتی حائضاً، الحدیث: ٦٤٠،ج١،ص٣٥٤)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते उम्मुल मुअमिनीन उम्मे ह़बीबा رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰى عَنْهَا से ह़ज़रते सालिम ने पूछा कि आप सब उम्महातुल मुअमिनीन ह़ैज़ की ह़ालत में रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के साथ क्या करती थीं ? तो उन्हों ने फ़रमाया कि हम सब हुज़ूर صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की बीबियां तहबन्द बांध कर हुज़ूर صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के साथ सोया करती थीं।

(سنن ابن ماجه، کتاب الطهارة...الخ،باب ماللرجل من امرأته...الخ،الحدیث: ٦٣٨،ج١،ص٣٥٣)

मसाइल व फ़वाइद

हैज़ व निफ़ास की हालत में औ़रत के साथ खाना, पीना और सोना जाइज़ है सिर्फ़ सोहबत करना और नाफ़ से ले कर घुटने तक के बदन को छूना ह़राम व ना जाइज़ है। (फ़क़त़ واللہ تعالیٰ اعلم)

﴾43﴿ ग़ुस्ले जनाबत न करना

औ़रत के साथ हम बिस्तरी की हो या किसी और त़रीक़े से शहवत के साथ मनी निकल गई हो तो ग़ुस्ल करना वाजिब है और इस को ''ग़ुस्ले जनाबत'' कहते हैं। ग़ुस्ले जनाबत न करना गुनाह है। इस बारे में मुन्दरिजए ज़ैल ह़दीसें पढ़ लीजिये।

ह़दीस : 1

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि उस घर में रह़मत के फ़िरिश्ते दाख़िल नहीं होते जिस घर में तस्वीर या कुत्ता या जुनुबी (जिस पर ग़ुस्ल वाजिब है) मौजूद हो।

(سنن ابی داود، کتاب الطھارۃ، باب فی الجنب یؤخر الغسل، الحدیث:۲۲۷، ج۱، ص۱۰۹)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अ़म्मार बिन यासिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि तीन आदमी ऐसे हैं कि रह़मत के फ़िरिश्ते उन के क़रीब नहीं होते।

﴾1﴿ काफ़िर का मुर्दा

﴾2﴿ ख़ुलूक़ (औ़रतों की ख़ुश्बू लगाने वाला)

﴾3﴿ जुनुब (बे ग़ुस्ल शख़्स)

(سنن ابی داود، کتاب الترجل،باب فی الخلوق للرجال، الحدیث: ٤١٨٠، ج٤، ص١٠٩)

मसाइल व फ़वाइद

जुनुब जब तक ग़ुस्ल न कर ले उस के लिये मस्जिद में दाख़िल होना और क़ुरआन शरीफ़ का छूना और पढ़ना ह़राम है। जनाबत की ह़ालत में बग़ैर ग़ुस्ल किये हुए खाना पीना लोगों से मुसा-फ़ह़ा करना जाइज़ है लेकिन बेहतर येह है कि अगर किसी वजह से ग़ुस्ल न कर सका तो खाने पीने से पहले कम अज़ कम वुज़ू कर ले।

﴾44﴿ ख़ुदकुशी

ख़ुदकुशी या'नी ख़ुद अपने हाथ से अपने को मार डालना ह़राम और गुनाहे कबीरा है। अल्लाह तआ़ला ने ऐसे शख़्स पर जन्नत ह़राम फ़रमा दी है। इस बारे में येह चन्द ह़दीसें बहुत रिक़्क़त अंगेज़ व इ़ब्रत ख़ेज़ हैं।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते साबित बिन ज़ह़ाक رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया जो शख़्स अपनी ज़ात को किसी चीज़ से क़त्ल कर दे तो अल्लाह तआ़ला उस को जहन्नम में उसी चीज़ से अ़ज़ाब देगा।

(صحیح مسلم، کتاب الایمان،باب بیان غلظ تحریم قتل الانسان...الخ، الحدیث:١٧٧،ص٦٩)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि हम लोग रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के साथ ''जंगे हुनैन'' में ह़ाज़िर थे तो रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने एक ऐसे शख़्स को जो मुसल्मान होने का दा'वा करता था येह कह दिया कि येह शख़्स जहन्नमी है फिर जब हम लोग लड़ाई में ह़ाज़िर हुए तो उस शख़्स ने कुफ़्फ़ार के साथ बहुत सख़्त जंग की और उस को बहुत ज़ियादा ज़ख़्म लग गए तो किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! वोह आदमी जिस को हुज़ूर ने जहन्नमी फ़रमा दिया है, उस ने तो आज कुफ़्फ़ार से बहुत सख़्त जंग की है और वोह मर गया है। तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि वोह जहन्नम में गया येह सुन कर बहुत से लोग शक में पड़ गए तो इसी ह़ालत में अचानक किसी ने कहा कि वोह मरा नहीं था लेकिन उस को बहुत सख़्त ज़ख़्म लगा था तो रात में वोह सब्र न कर सका और ख़ुदकुशी कर ली जब हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को इस की ख़बर दी गई तो आप ने फ़रमाया कि अल्लाहु अक्बर ! मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल और उस का बन्दा हूं फिर हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते बिलाल رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ को हुक्म दिया कि वोह लोगों में येह ए'लान कर दें कि जन्नत में मुसल्मान के सिवा कोई दाख़िल न होगा और बेशक अल्लाह तआ़ला इस दीन की मदद किसी बदकार आदमी के ज़रीए़ भी फ़रमा दिया करता है।

(صحیح مسلم، کتاب الایمان،باب بیان غلظ تحریم ...الخ، الحدیث:۱۷۸، ص۷۰)

मसाइल व फ़वाइद

ख़ुदकुशी करने वाला मुसल्मान अगर्चे ख़ुदकुशी करने से काफ़िर नहीं होता लेकिन सख़्त गुनहगार और जहन्नम का सज़ावार हो जाता है वोह दुन्या में जिस हथियार से ख़ुदकुशी करेगा जहन्नम में उसी हथियार

के ज़रीए अ़ज़ाब दिया जाएगा और ख़ुदकुशी करने वाला चूंकि मुसल्मान रहता है इस लिये उस की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी और उस को मुसल्मानों के क़ब्रिस्तान में दफ़्न किया जाएगा। واللہ تعالیٰ اعلم

﴾45﴿ एह्तिकार (ज़ख़ीरा अन्दोज़ी)

क़हत़ और गिरानी के ज़माने में ग़ल्ला या जानवर का चारा ख़रीद कर इस निय्यत से ज़ख़ीरा अन्दोज़ी करे ताकि जब ख़ूब ज़ियादा गिरां हो जाए तो बेचेगा। चूंकि ऐसा करने से गिरानी बढ़ जाती है और लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। इस लिये शरीअ़त ने इस को ना जाइज़ और गुनाह का काम क़रार दिया है। इस की क़बाह़त और मुमा-न-अ़त के बारे में मुन्दरिजए ज़ैल चन्द ह़दीसें बड़ी ही लरज़ा ख़ैज़ वारिद हुई हैं।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते मुअ़म्मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि ज़ख़ीरा अन्दोज़ी करने वाला गुनहगार है।

(صحیح مسلم، کتاب المساقاۃ والمزارعۃ،باب تحریم الاحتکار...الخ، الحدیث ۱۶۰۵،ص۸۶۷)

ह़दीस : 2

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमान है कि बाज़ार में ग़ल्ला ला कर बेचने वाला ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ की त़रफ़ से रोज़ी दिया जाएगा और ज़ख़ीरा अन्दोज़ी करने वाला ला'नत में गरिफ़्तार होगा।

(سنن ابن ماجہ ، کتاب التجارات،باب الحکرۃ والجلب،الحدیث: ۲۱۵۳، ج۳،ص۱۳)

ह़दीस : 3

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ ने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना कि जो खाने की चीज़ों की ज़ख़ीरा अन्दोज़ी कर के मुसल्मानों को तक्लीफ़ देगा अल्लाह तआ़ला उस को कोढ़ की बीमारी और मुफ़्लिसी में मुब्तला कर देगा।

(سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات،باب الحكرة والجلب،الحديث: ٢١٥٥، ج٣، ص١٤)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया जो गिरानी बढ़ाने की निय्यत से चालीस दिन तक ज़ख़ीरा अन्दोज़ी करेगा वोह अल्लाह तआ़ला से बे तअ़ल्लुक़ और अल्लाह तआ़ला उस से बेज़ार है।

(مشكوٰة المصابيح، كتاب البيوع،باب الاحتكار،الفصل الثالث، الحديث: ٢٨٩٦ ، ج٢، ص١٥٧)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते अबू उमामा رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो चालीस दिन ज़ख़ीरा अन्दोज़ी करे फिर उस सब ग़ल्ले को स-दक़ा कर दे, फिर भी येह ज़ख़ीरा अन्दोज़ी के गुनाह का कफ़्फ़ारा न होगा।

(مشكوٰة المصابيح، كتاب البيوع،باب الاحتكار،الفصل الثالث،الحديث: ٢٨٩٨، ج٢، ص١٥٨)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते मुआ़ज़ رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह

صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि ज़ख़ीरा अन्दोज़ी करने वाला बहुत ही बुरा बन्दा है कि अगर अल्लाह तआ़ला भाव सस्ता कर देता है तो वोह ग़मगीन हो जाता है और अगर भाव गिरां कर देता है तो वोह ख़ुशी मनाता है।

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب البیوع، باب الاحتکار، الفصل الثالث، الحدیث: ۲۸۹۷، ج۲، ص۱۵۸، شعب الایمان، باب فی أن یحب المسلم...الخ، فصل فی ترک الاحتکار، الحدیث: ۱۱۲۱۵، ج۷، ص۵۲۵)

ह़दीस : 7

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि जो एक ही रात मेरी उम्मत पर गिरानी होने की तमन्ना करे अल्लाह तआ़ला उस के चालीस बरस के नेक आ'माल को ग़ारत व बरबाद कर देगा।

(کنز العمال، کتاب البیوع، من قسم الاقوال، الباب الثالث فی الاحتکار و التسعیر، الحدیث: ۹۷۱۷، ج۲، الجزء الرابع، ص۴۰)

ह़दीस : 8

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि जो इस निय्यत से ज़ख़ीरा अन्दोज़ी करे कि मुसल्मानों पर गिरानी ला दे तो वोह शख़्स अल्लाह तआ़ला और उस के रसूल के ज़िम्मे से निकल गया।

(کنز العمال، کتاب البیوع، من قسم الاقوال، الباب الثالث فی الاحتکار...الخ، الحدیث: ۹۷۱۵، ج۲، الجزء الرابع، ص۴۰)

नोट : एह़तिकार (ज़ख़ीरा अन्दोज़ी) के मुफ़स्सल फ़िक़्ही मसाइल हमारी किताब ''जन्नती ज़ेवर'' में पढ़िये।

﴾46﴿ तस्वीरें

किसी जानदार चीज़ की तस्वीर बनानी उस को इ़ज़्ज़त व एह़तिराम के साथ रखना उस को बेचना ख़रीदना येह सब ह़राम हैं। और ह़दीसों में बड़ी शिद्दत के साथ इस की हुरमत व मुमा-न-अ़त को बयान किया गया है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू जुहैफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने तस्वीर बनाने वाले पर ला'नत फ़रमाई है।

(صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب موکل الربوا، الحدیث: ۲۰۸٦، ج۲، ص۱۵)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू त़ल्ह़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि (रह़मत के) फ़िरिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों।

(صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب التصاویر، الحدیث ۵۹۴۹، ج٤، ص۸۷)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को फ़रमाते हुए सुना कि तमाम लोगों में सब से ज़ियादा सख़्त अ़ज़ाब तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा।

(صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب عذاب المصورین یوم القیامة، الحدیث ۵۹۵، ج٤، ص۸۷)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना कि हर तस्वीर बनाने वाला जहन्नम में है। उस ने जितनी तस्वीरें बनाई हैं हर तस्वीर के बदले अल्लाह तआ़ला उस के लिये एक जान पैदा फ़रमाएगा और जो उस को जहन्नम में अ़ज़ाब देगी। ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ने फ़रमाया कि अगर तुम्हारे लिये तस्वीर बनाना ही ज़रूरी है तो दरख़्त या उन चीज़ों की तस्वीरें बनाओ जिन में रूह़ नहीं है।

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب اللباس،باب التصاویر،الفصل الاول،الحدیث:٤٤٩٨، ج٢،ص٤٩٩، صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینة،باب تحریم صورة ...الخ، الحدیث:٢١١٠،ص١١٧٠)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन जहन्नम के अन्दर से एक गरदन नुमूदार होगी कि उस की दो आंखें होंगी और दो कान होंगे और एक बोलती हुई ज़बान होगी। वोह येह कहेगी कि तीन शख़्सों को अ़ज़ाब देना मेरे सिपुर्द किया गया है ﴾1﴿ सरकश ज़ालिम ﴾2﴿ जो अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के साथ किसी दूसरे मा'बूद की इ़बादत करे ﴾3﴿ तस्वीरें बनाने वाला।

(سنن الترمذی، کتاب صفة جهنم ، باب ماجاء فی صفة النار،الحدیث:٢٥٨٣،ج٤،ص٢٥٩)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते सई़द बिन अबुल ह़सन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है

उन्हों ने कहा कि मैं ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا के पास ह़ाज़िर था तो अचानक एक आदमी आया और कहने लगा कि ऐ इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا ! मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मेरी रोज़ी का ज़रीआ़ मेरे हाथ की कारीगरी है और वोह येह है कि मैं तस्वीरें बनाया करता हूं। तो ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا ने फ़रमाया कि मैं तुम से वोही ह़दीस बयान करता हूं जिस को ख़ुद मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से सुना है कि जो शख़्स कोई तस्वीर बनाएगा तो अल्लाह तआ़ला उस को उस वक़्त तक अ़ज़ाब देता रहेगा जब तक कि वोह उस तस्वीर में रूह़ न फूंक दे और वोह उस में कभी भी रूह़ नहीं फूंक सकेगा। येह ह़दीस सुन कर वोह आदमी सख़्त लरज़ा से कांपने लगा और उस का चेहरा पीला पड़ गया। तो ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا ने फ़रमाया कि तुम पर अफ़्सोस है अगर तुम तस्वीर बनाना नहीं छोड़ सकते तो इन दरख़्तों और ऐसी चीज़ों की तस्वीर बनाओ जिन में रूह़ नहीं है।

(صحیح البخاری، کتاب البیوع،باب بیع التصاویر...الخ، الحدیث:۲۲۲۵،ج۲،ص۵۱)

ह़दीस : 7

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना है कि जो बे देखे हुए कोई ख़्वाब घड़ कर बयान करेगा तो क़ियामत के दिन उस को येह तक्लीफ़ दी जाएगी कि वोह दो जव के दरमियान गांठ लगाए और वोह हरगिज़ उस को न कर सकेगा और जो किसी ऐसी क़ौम की बात को कान लगा कर सुनेगा जो क़ौम उस को अपनी बात सुनाना ना पसन्द करती है तो क़ियामत के दिन उस के कानों में पिघलाया हुवा सीसा डाला जाएगा और जो कोई तस्वीर बनाएगा तो उस को अ़ज़ाब दिया जाएगा। और उस से कहा जाएगा कि इस तस्वीर में रूह़

फूंको और वोह उस में कभी भी रूह़ न फूंक सकेगा।

(صحیح البخاری، کتاب التعبیر، باب من کذب فی حلمہ، الحدیث ۷۰۴۲، ج۴، ص۴۲۲)

ह़दीस : 8

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से मरवी है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि क़ियामत के दिन तमाम लोगों में सब से ज़ियादा सख़्त अ़ज़ाब पांच शख़्सों को दिया जाएगा। ﴿1﴾ जिस ने किसी नबी को क़त्ल कर दिया, या ﴿2﴾ जिस को नबी ने क़त्ल किया ﴿3﴾ जिस ने अपने वालिदैन में से किसी को क़त्ल कर दिया ﴿4﴾ तस्वीर बनाने वाला ﴿5﴾ वोह आ़लिम जिस ने अपने इ़ल्म से कोई नफ़्अ़ नहीं उठाया।

(شعب الایمان للبیھقی، باب فی برالوالدین، فصل فی عقوق الوالدین، الحدیث: ۷۸۸۸، ج۶، ص۱۹۷)

मसाइल व फ़वाइद

जानदार की तस्वीरों को ख़्वाह क़लम से बनाएं या केमेरे से फ़ोटो लें, या पथ्थर, या लकड़ी पर खोद कर बनाएं, बहर सूरत ह़राम व ना जाइज़ है। इसी त़रह़ इन तस्वीरों को बेचना और ख़रीदना, या इ़ज़्ज़त के साथ अपने पास रखना भी ह़राम व गुनाह है। बा'ज़ लोग अपने पीरों की तस्वीरों को ता'ज़ीम के साथ चोकठे में लगा कर मकानों में रखते हैं और उस पर फूल की मालाएं चढ़ाते हैं और अगरबत्ती सुलगाते हैं येह और भी शदीद ह़राम और सख़्त गुनाह है बल्कि येह बुत परस्ती के मिस्ल मुश्रिकाना अ़मल है जिस की सज़ा आख़िरत में जहन्नम का दर्दनाक अ़ज़ाब है। واللہ تعالٰی اعلم

﴾47﴿ कहना कुछ और, करना कुछ और

दूसरों को अच्छी अच्छी बातों का हुक्म देना और ख़ुद उस पर अ़मल न करना येह भी गुनाह का काम है। चुनान्चे कुरआने मजीद की आयतों और ह़दीसों में इस की मज़म्मत और मुमा-न-अ़त ब कसरत मज़्कूर है। ख़ुदा वन्दे करीम ने कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाया कि

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ○ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ○

(پ۲۸،الصف:۲-۳)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! क्यूं कहते हो वोह जो नहीं करते कितनी सख़्त ना पसन्द है अल्लाह को वोह बात कि वोह कहो जो न करो।

दूसरी आयत में झूटे शाइ़रों की मज़म्मत करते हुए अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि :

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ○ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ○ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ○

(پ۱۹،الشعراء:۲۲۴-۲۲۶)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और शाइ़रों की पैरवी गुमराह करते हैं क्या तुम ने न देखा कि वोह हर नाले में सर गर्दां फिरते हैं और वोह कहते हैं जो नहीं करते।

इस बारे में मुन्दरिजए ज़ैल ह़दीसों को भी पढ़िये जिन से हिदायत के चश्मे उबल रहे हैं।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि शबे मे'राज मैं ने चन्द आदमियों को देखा कि उन के होंट आग की क़ैंचियों से काटे जा रहे हैं। तो मैं ने कहा कि ऐ जिब्राईल عَلَیْہِ السَّلَام ! येह कौन लोग हैं ? तो ह़ज़रते जिब्राईल

عَلَیْهِ السَّلام ने कहा कि येह आप की उम्मत के वोह वाइज़ीन हैं जो लोगों को नेकूकारी का हुक्म देते हैं और अपनी ज़ातों को भूल जाते हैं और एक रिवायत में यूं है कि येह लोग आप صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की उम्मत के वाइज़ीन हैं जो वोह बात कहते हैं जिस को ख़ुद नहीं करते और कुरआन पढ़ते हैं और उस पर अ़मल नहीं करते।

(شرح السنة للبغوی، کتاب الرقاق،باب وعید من یامر بالمعروف ولایأتیه، الحدیث٤٠٥٤،ج٧،ص٣٦٢۔ شعب الایمان للبیهقی،باب فی نشر العلم، الحدیث:١٧٧٣،ج٢،ص٢٨٣)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते उसामा बिन ज़ैद رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन एक शख़्स को लाया जाएगा और उस को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो उस की अंतड़ियां जहन्नम में निकल पड़ेंगी तो वोह अपनी अंतड़ियों के गिर्द इस त़रह़ चक्कर लगाएगा जिस त़रह़ गधा अपनी चक्की के गिर्द चक्कर लगाता रहता है। तो तमाम दोज़ख़ी उस के पास जम्अ़ हो जाएंगे और कहेंगे कि ऐ फ़ुलां ! तेरा क्या ह़ाल है ? क्या तू हम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों से मन्अ़ नहीं करता था ? तो वोह कहेगा कि मैं तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देता था मगर ख़ुद उस पर अ़मल नहीं करता था। और मैं तुम लोगों को बुरी बातों से मन्अ़ करता था मगर ख़ुद उन को किया करता था।

(مشکوٰة المصابیح، کتاب الآداب،باب الأمربالمعروف،الفصل الاول، الحدیث: ٥١٣٩،ج٣، ص٩٨،صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة النار وانها مخلوقة، الحدیث:٣٢٦٧،ج٢،ص٣٩٦)

मसाइल व फ़वाइद

मज़्कूरा बाला आयतों और ह़दीसों से साबित होता है कि दूसरों को امر بالمعروف (अच्छी बातों का हुक्म देना) और نہی عن المنکر (बुरी बातों से रोकना) और ख़ुद उस पर अ़मल न करना गुनाह और अ़ज़ाबे जहन्नम का सबब है लिहाज़ा तमाम मुसल्मानों को उ़मूमन और वाइ़ज़ीन व मुक़र्ररीन को ख़ुसूसन येह ध्यान रखना ज़रूरी है कि वोह जो कुछ दूसरों से कहते हैं ख़ुद भी उस पर अ़मल करें ''कहना कुछ और, करना कुछ और'' येह गुनाह का काम और जहन्नम में जाने का सबब है। واللہ تعالیٰ اعلم

﴾48﴿ गाली गलोच

गाली देना बहुत ही ज़लील और निहायत ही क़बीह़ आ़दत है। इस से लोगों की ईज़ा रसानी होती है और बा'ज़ मर्तबा येह बद ज़बानी जंगो जिदाल, बल्कि कुश्तो क़िताल तक पहुंचा देती है। इसी लिये रसूले अकरम صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इस को गुनाह क़रार दे कर इस की मज़म्मत व मुमा-न-अ़त फ़रमाई। चुनान्चे मुन्दरिजए ज़ैल ह़दीसें इस पर शाहिदे अ़द्ल हैं।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि मुसल्मान को गाली देना फ़िस्क़ और इस से जंग करना कुफ़्र है।

(صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب ماینھیٰ من السباب...الخ،الحدیث:٦٠٤٤، ج٤،ص١١١)

मत्लब येह है कि मुसल्मान से उस के मुसल्मान होने की बिना

पर जंग करना या मुसल्मान से जंग को ह़लाल जान कर जंग करना कुफ़्र है।

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अनस व ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : गाली गलोच करने वाले दो आदमियों ने जो कुछ कहा इस का गुनाह गाली में पहल करने वाले पर है, जब कि मज़्लूम ह़द से न बढ़ गया हो।

(صحیح مسلم، کتاب البر والصلة...الخ،باب النهی عن السباب،الحدیث۲۵۸۷، ص۱۳۹۶)

मत़्लब येह है कि जिस ने पहले गाली दी सारा गुनाह उस के सर है। जब कि दूसरा ह़द से न बढ़ा हो लेकिन अगर वोह ह़द से बढ़ गया हो तो फिर गाली गलोच का गुनाह दोनों के सर होगा।

ह़दीस : 3

ह़ज़रते इब्ने अ़म्र رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि हर फ़ोह़्श गोई करने वाले पर ह़राम है कि वोह जन्नत में दाख़िल हो।

(کنزالعمال، کتاب الاخلاق من قسم الأقوال، الفحش والسّب...الخ، الحدیث ۸۰۸۲،ج۲،الجزء الثالث،ص۲۳۹)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते उबय्य رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि हवा को गाली मत दो क्यूं कि हवा अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की रह़मतों में से एक रह़मत है और तुम लोग इस की अच्छाई और उस चीज़ की अच्छाई की दुआ़ मांगो जो उस हवा में हो। और हवा के शर से और उस चीज़ के शर से जो उस हवा में है ख़ुदा की पनाह मांगो।

(کنزالعمال، کتاب الاخلاق من قسم الأقوال، سب الریح،الحدیث۸۱۰۶، ج۲، الجزء الثالث،ص۲۴۰)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि मोमिन त़ा'ना मारने वाला, ला'नत करने वाला, फ़ोहूश गोई करने वाला, बे ह़याई की बात बोलने वाला नहीं होता।

(سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی اللعنة، الحدیث ١٩٨٤، ج٣، ص٣٩٣)

मसाइल व फ़वाइद

गाली देना गुनाह है और गाली देने वाला शुरूअ़ ही से जन्नत में दाख़िल नहीं होगा, बल्कि अपने गुनाह के बराबर जहन्नम का अ़ज़ाब चख कर फिर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाख़िल किया जाएगा।

﴾49﴿ झूटा ख़्वाब बयान करना

अपनी त़रफ़ से घड़ कर झूटा ख़्वाब बयान करना सख़्त ह़राम और गुनाह का काम है। रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने मु-तअ़द्दद अह़ादीस में इस की मज़म्मत फ़रमाई, चुनान्चे

ह़दीस : 1

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया, तमाम झूटी तोह्मतों में सब से बड़ी तोहमत येह है कि आदमी अपनी आंखों को वोह दिखाए जो उस की आंखों ने नहीं देखा है (या'नी जो ख़्वाब नहीं देखा है उस को झूट मूट कहे कि मैं ने येह ख़्वाब देखा है)।

(صحیح البخاری، کتاب التعبیر، باب من کذب فی حلمه، الحدیث: ٧٠٤٣، ج٤، ص٤٢٣)

ह़दीस : 2

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो झूटा ख़्वाब बयान करे उस को क़ियामत के दिन इस त़रह़ अ़ज़ाब

दिया जाएगा कि उस को दो जव के दरमियान गांठ लगाने की तक्लीफ़ दी जाएगी।

(سنن الترمذی، کتاب الرؤیا،باب فی الذی یکذب فی حلمه ، الحدیث: ۲۲۸۸، ج٤،ص١٢٥)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया जो झूटा ख़्वाब घड़ कर बयान करे उस को क़ियामत के दिन दो जव में गांठ लगाने की तक्लीफ़ दी जाएगी और वोह कभी भी हरगिज़ दो जव के दरमियान गांठ नहीं लगा सकेगा।

(سنن الترمذی، کتاب الرؤیا،باب فی الذی یکذب فی حلمه ، الحدیث: ۲۲۹۰، ج٤،ص١٢٥)

मसाइल व फ़वाइद

येह अ़ज़ाब उस वक़्त तक लगातार जारी रहेगा यहां तक कि उस के गुनाहों के बराबर अ़ज़ाब पूरा हो जाए। फिर चूंकि वोह मुसल्मान है इस लिये हमेशा हमेशा के लिये जहन्नम में नहीं रहेगा। बल्कि अल्लाह तआ़ला उस को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाख़िल फ़रमा देगा। (واللہ تعالیٰ اعلم)

﴾50﴿ डाढ़ी क्टाना

डाढ़ी मुंडाना या डाढ़ी काट कर एक मुश्त से कम छोटी करना ह़राम व गुनाह है और जो ऐसा करे वोह फ़ासिक़, और जहन्नम का सज़ावार है। ह़दीस शरीफ़ में है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया मूंछों को जड़ से काटो और डाढ़ियों को बढ़ाओ ।

(سنن الترمذی، کتاب الادب،باب ماجاء فی اعفاء اللحیۃ، الحدیث:۲۷۷۲، ج٤، ص ۳۵۰)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने मूंछों को जड़ से काटने और डाढ़ियों के बढ़ाने का हुक्म दिया है ।

(سنن الترمذی، کتاب الادب،باب ماجاء فی اعفاء اللحیۃ، الحدیث:۲۷۷۳، ج٤، ص ۳۵۰)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया मुश्रिकीन की मुख़ा–लफ़त करो डाढ़ियों को बढ़ाओ और मूंछों को जड़ से काटो ।

(صحیح مسلم، کتاب الطھارۃ،باب خصال الفطرۃ،الحدیث ۲۵۹،ص ۱۵۳)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते ज़ैद बिन अरक़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया जो मूंछों में से कुछ भी न कटाए वोह हम में से नहीं है ।

(سنن الترمذی، کتاب الادب،باب ماجاء فی قص الشارب، الحدیث: ۲۷۷۰، ج٤،ص۳٤۹)

मसाइल व फ़वाइद

डाढ़ी एक मुश्त से बड़ी होने पर अगर बुरी लगती हो और

चेहरे के हुस्नो जमाल को बिगाड़ती हो तो चेहरे को ह़सीन बनाने के लिये या दाढ़ी को बराबर करने के लिये डाढ़ी का कुछ ह़िस्सा काटना जाइज़ है। बशर्ते कि एक मुश्त से कम न होने पाए। (واللہ تعالیٰ اعلم)

﴾51﴿ मर्दानी औ़रतें ज़नाने मर्द

औ़रतों को मर्दों का लिबास पहन कर मर्दों जैसी शक्लो सूरत बनाना और मर्दों को औ़रतों का लिबास पहन कर औ़रतों की शक्ल में अपने को ज़ाहिर करना ह़राम और गुनाह है इन दोनों पर रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ला'नत फ़रमाई है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उन औ़रतों पर ला'नत फ़रमाई जो मर्दों की मुशा-बहत इख़्तियार करती हैं और उन मर्दों पर ला'नत फ़रमाई जो औ़रतों की मुशा-बहत इख़्तियार करते हैं।

(سنن الترمذی، کتاب الادب،باب ماجاء فی المتشبھات بالرجال.....الخ، الحدیث:۲۷۹۳،ج٤،ص٣٦٠)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने मुख़न्नस मर्दों पर ला'नत फ़रमाई और उन औ़रतों पर भी ला'नत फ़रमाई जो औ़रतें अपनी सूरत मर्दों जैसी बनाए रखती हैं।

(سنن الترمذی، کتاب الادب،باب ماجاء فی المتشبھات بالرجال.....الخ، الحدیث:۲۷۹٤،ج٤،ص٣٦٠)

मसाइल व फ़वाइद

आज कल लड़कों पर जो हिप्पी कट बाल की वबा फूट पड़ी है और लड़के उ़मूमन हिप्पी कट बाल के साथ रंगीन छींट के बूशर्ट और क़मीस पहन कर निकलते हैं तो उन पर लड़की होने का गुमान होने लगता है इसी त़रह़ बहुत सी लड़कियां मर्दों की त़रह़ सूट और कोट पहन कर निकलती हैं तो उन पर लड़का होने का शुबा होने लगता है। इस लिये इस क़िस्म का लिबास पहनना औ़रतों और मर्दों दोनों के लिये मम्नूअ़ व बाइ़से ला'नत है। मर्दों को मर्दों का लिबास पहनना चाहिये और इन की वज़्अ़ क़त़्अ़ मर्दों जैसी होनी चाहिये और औ़रतों को औ़रतों का लिबास पहनना चाहिये और इन को अपनी वज़्अ़ क़त़्अ़ औ़रतों जैसी रखनी चाहिये। (واللہ تعالیٰ اعلم)

﴾52﴿ मम्नूअ़ लिबास पहनना

जिन कपड़ों को पहनना और ओढ़ना शरीअ़त में मन्अ़ है, उन को इस्ति'माल करना ह़राम और गुनाह का काम है लिहाज़ा उन को इस्ति'माल नहीं करना चाहिये इस बारे में मुन्दरिजए ज़ैल ह़दीसों को बग़ौर पढ़िये और हिदायत का नूर ह़ासिल कीजिये।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला उस शख़्स की त़रफ़ नज़रे रह़मत नहीं फ़रमाएगा जो तकब्बुर से अपने तहबन्द को टख़्ने के नीचे घसीटे।

(صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب من جرثوبہ من الخیلاء، الحدیث: ۵۷۸۸، ج۴، ص۴۶)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया जो घमन्ड से अपने कपड़े को ज़मीन पर घसीटता हुवा चले, अल्लाह तआ़ला उस को अपनी रह़मत की नज़र से नहीं देखेगा।

(صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب من جرازاره من غیر خیلاء، الحدیث ٥٧٨٤، ج٤، ص٤٥)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते उब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि एक शख़्स घमन्ड से अपने तहबन्द को घसीटता हुवा चला जा रहा था तो वोह ज़मीन में धंसा दिया गया और वोह इसी त़रह़ क़ियामत तक ज़मीन में धंसता चला जाएगा।

(صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء علیهم السلام، باب ٥٦، الحدیث: ٣٤٨٥، ج٢، ص٤٧١)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो कपड़ा टख़्नों के नीचे है वोह जहन्नम में है।

(صحیح البخاری، کتاب اللباس ، باب ماأسفل من الکعبین...الخ، الحدیث: ٥٧٨٧، ج٤، ص٤٦)

ह़दीस : 5

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर व अनस व इब्ने ज़ुबैर व अबू उमामा رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُم हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो

रेशमी लिबास दुन्या में पहनेगा वोह आख़िरत में इस लिबास को नहीं पहनेगा।

(صحیح البخاری، کتاب اللباس ، باب لبس الحریر...الخ، الحدیث: ٥٨٣٤، ج٤، ص٥٩)

ह़दीस : 6

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के पास किसी ने रेशमी लिबास बत़ौरे हदिय्या के भेज दिया तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उस को मेरे पास भेज दिया। और मैं ने उस को पहन लिया। तो मैं ने हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के चेहरे पर ग़ज़ब के आसार को पहचाना। फिर हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि मैं ने इस कपड़े को तुम्हारे पास इस लिये नहीं भेजा था कि तुम इस को पहनो बल्कि इस लिये भेजा था कि तुम इस को फाड़ कर औ़रतों की ओढ़नी बना लो।

(صحیح مسلم، کتاب اللباس و الزینة،باب تحریم استعمال اناء الذهب...الخ، الحدیث ٢٠٧١، ص١١٤٩)

ह़दीस : 7

ह़ज़रते अबू रैह़ाना رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने दस चीज़ों से मन्अ़ फ़रमाया :

《1》 दांतों को रैती से रैत कर पतला करने से 《2》 गूदना गुदवाने से 《3》 भवों और चेहरे के बाल नोचने से 《4》 नंगे बदन मर्द को मर्द के साथ लिपट कर सोने से 《5》 नंगे बदन औ़रत को औ़रत के साथ लिपट कर सोने से 《6》 अपने कपड़ों के नीचे रेशमी कपड़ा इस त़रह़ रखने से जैसे अ़-जमी लोग रखते हैं 《7》 अपने कन्धों

पर रेशमी कपड़ा रखने से जैसे अ़-जमी लोग रखा करते हैं। 《8》 लूटमार करने से 《9》 चीते की खाल पर बैठने और सुवार होने से 《10》 अंगूठी पहनने से मगर ह़ाकिम के लिये।

(سنن ابی داود، کتاب اللباس، باب من کرهه، الحدیث ٤٠٤٩، ج٤، ص٦٨)

ह़दीस : 8

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا से रिवायत है कि एक शख़्स सुर्ख़ रंग का जोड़ा पहन कर हुज़ूर صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के पास से गुज़रा और सलाम किया तो हुज़ूर صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उस के सलाम का जवाब नहीं दिया।

(سنن الترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء فی کراهیة...الخ، الحدیث: ٢٨١٦، ج٤، ص٣٦٨)

ह़दीस : 9

ह़ज़रते अबू मूसा अश्अ़री رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि मैं ने सोना और रेशमी कपड़ा अपनी उम्मत की औ़रतों के लिये ह़लाल किया है और अपनी उम्मत के मर्दों पर इन दोनों को ह़राम किया है।

(المسند لامام احمد بن حنبل، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، الحدیث ١٩٥٢٠، ج٧، ص١٢٦)

ह़दीस : 10

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया जो शख़्स किसी क़ौम से मुशा-बहत रखेगा वोह उसी क़ौम में शुमार होगा।

(سنن ابی داود، کتاب اللباس، باب فی لبس الشهرة، الحدیث ٤٠٣١، ج٤، ص٦٢)

मसाइल व फ़वाइद

मुन्दरिजए बाला ह़दीसों से मुन्दरिजए ज़ैल मसाइल साबित हुए।

﴾1﴿ घमन्ड से टख़्नों के नीचे पाएजामा, या तहबन्द या कुरता लटकाना मन्अ़ और ह़राम है।

﴾2﴿ मर्दों को रेशमी कपड़ा और सोना पहनना ह़राम है और औ़रतों के लिये दोनों जाइज़ हैं।

﴾3﴿ बग़ैर टोपी के इ़मामा बांधना मन्अ़ है।

﴾4﴿ सुर्ख़ रंग का कपड़ा जिस में किसी दूसरे रंग की धारी न हो मर्दों के लिये मक्रूह है। और औ़रतों के लिये कोई ह़रज नहीं।

﴾5﴿ दांत को रैती से रैत कर पतला और ख़ूब सूरत बनाना, यूं ही भंवों के बाल नोच कर भंवों को पतला और ख़ूब सूरत बनाना। यूं ही गूदना गुदवाना, इसी त़रह़ नंगे बदन हो कर मर्द का मर्द से मुआ़-नक़ा करना, या एक साथ लिपट कर सोना या औ़रत का नंगे बदन हो कर किसी औ़रत से मुआ़-नक़ा करना, या एक साथ लिपट कर सोना मन्अ़ है। इसी त़रह़ लूटमार करना ह़राम है और चीते, शेर वग़ैरा दरिन्दों की खाल पर बैठना और सुवार होना मम्नूअ़ है क्यूं कि दरिन्दों की खाल पर बैठना मु-तकब्बिरीन का त़रीक़ा है और इस से दिल में बे रह़मी भी पैदा होती है।

﴾6﴿ जो लिबास किसी क़ौम का मज़्हबी लिबास हो मुसल्मान के लिये उस लिबास को पहनना मम्नूअ़ और ना जाइज़ है। واللہ تعالیٰ اعلم

﴾53﴿ क़ब्रों पर पेशाब, पाख़ाना करना

क़ब्रों पर पेशाब, पाख़ाना करना, या कोई गन्दगी डालना ह़राम और गुनाह है। ह़दीसों में रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इस की मज़म्मत फ़रमाई है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू उमामा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से मरवी है कि जो शख़्स क़ब्र पर पेशाब, पाख़ाना करने के लिये बैठा तो गोया वोह जहन्नम के अंगारा पर बैठा।

(كنزالعمال، كتاب الطهارة،من قسم الاقوال، التخلي على القبر،من الاكمال، الحديث:٢٦٤٧٩،الجزء التاسع،ص١٥٩)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि तुम लोग क़ब्रों पर पेशाब करने से बचो क्यूं कि येह सफ़ेद दाग़ (कोढ़) की बीमारी पैदा करता है।

(كنزالعمال، كتاب الطهارة،من قسم الاقوال، التخلي على القبر،من الاكمال، الحديث: ٢٦٤٧٨،الجزء التاسع،ص١٥٩)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से मरवी है कि तुम में से कोई आग के अंगारे पर बैठे और वोह तुम्हारे कपड़ों को जला कर तुम्हारी खाल तक पहुंच जाए येह इस से बहुत अच्छा है कि तुम में से कोई किसी क़ब्र पर बैठे।

(صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهى عن الجلوس...الخ، الحديث:٩٧١، ص٤٨٣)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अबू मरसद ग़नवी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि क़ब्रों पर मत बैठो और क़ब्रों की त़रफ़ मुंह कर के नमाज़ मत पढ़ो।

(صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب النھی عن الجلوس...الخ،الحدیث:۹۷۲،ص۴۸۳)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते आइशा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि मुर्दा की हड्डी को तोड़ना ऐसा ही गुनाह है जैसे किसी ज़िन्दा आदमी की हड्डी को तोड़ देना गुनाह है।

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز،باب فی النھی عن کسر عظام المیت، الحدیث۱۶۱۶، ج۲،س۲۷۸)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते उ़क़्बा बिन आमिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि मैं अंगारा या तलवार पर चलूं या अपने पाउं के चमड़े को काट कर उस का जूता बनाऊं येह मुझे इस बात से कहीं ज़ियादा पसन्द है कि मैं किसी मुसल्मान की क़ब्र के ऊपर चलूं और मैं इस बात में कोई फ़र्क़ नहीं समझता कि मैं क़ब्रों के बीच में पेशाब पाख़ाना करूं या बीच बाज़ार में।

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز،باب ماجاء فی النھی عن المشی.....الخ، الحدیث: ۱۵۶۷،ج۲،ص۲۴۹)

ह़दीस : 7

अ़म्मारा बिन ह़ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने मुझे एक क़ब्र के ऊपर बैठे हुए देखा तो फ़रमाया कि तुम क़ब्र से उतर जाओ और क़ब्र वाले को ईज़ा मत दो और वोह तुम को ईज़ा न दे।

(الترغیب والترھیب، کتاب الجنائز وما یتقدمھا،الترھیب من الجلوس...الخ، الحدیث:٤، ج٤،ص٢٠٢)

मसाइल व फ़वाइद

येह मुत्तफ़िक़ा मस्अला है कि जिन जिन चीज़ों से ज़िन्दों को तक्लीफ़ और ईज़ा पहुंचती है उन उन चीज़ों से मुर्दों को भी तक्लीफ़ और ईज़ा पहुंचती है लिहाज़ा क़ब्रों पर पेशाब, पाख़ाना करना या कोई गन्दी चीज़ डालना या क़ब्रों को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर देना या क़ब्रों को रौंदना या क़ब्रों पर मकान बनाना या क़ब्रों पर बैठना या लैटना चूंकि इन बातों से मुर्दों को तक्लीफ़ और ईज़ा पहुंचती है इस लिये येह सब काम मम्नूअ़ व ना जाइज़ हैं। मुसल्मानों पर लाज़िम है कि मुसल्मानों के क़ब्रिस्तानों का एह़तिराम करें और हर उन बातों से परहेज़ रखें जिन से क़ब्रों की तौहीन और क़ब्रों को ईज़ा पहुंचती है।

﴾54﴿ काला ख़िज़ाब

बालों में काला ख़िज़ाब लगाना गुनाह और ना जाइज़ है। इस बारे में नीचे लिखी हुई चन्द ह़दीसें शाहिदे अ़द्ल हैं।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि फ़त्ह़े मक्का के

दिन अमीरुल मुअमिनीन हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ के वालिद हज़रते अबू क़हाफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ को बारगाहे नुबुव्वत में लाया गया। तो उन की दाढ़ी और सर के बाल सग़ामा घास की त़रह़ बिल्कुल सफ़ेद थे तो हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि बालों की इस सफ़ेदी को किसी रंग से बदल डालो और सियाही से बचो (या'नी बालों को काला न करो)।

(صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب استحباب خضاب الشیب...الخ، الحدیث:۲۱۰۲،ص۱۱٦٤)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا रिवायत करते हैं कि हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि आख़िरी ज़माने में एक ऐसी क़ौम होगी जो काले रंग का ख़िज़ाब लगाएगी जो कबूतरों के सीने की त़रह़ बिल्कुल काला होगा। येह लोग जन्नत की ख़ुश्बू भी नहीं पाएंगे।

(مشکوٰۃ المصابیح ، کتاب اللباس،باب الترجل،الفصل الثانی، الحدیث: ٤٤٥٢، ج٢ ص ٤٩١۔
المسند لامام احمد بن حنبل،مسند عبداللہ بن عباس،الحدیث ٢٤٧٠، ج١،ص٥٨٦)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि हु़ज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم कुरूम के जूते पहनते थे और अपनी दाढ़ी को वर्स घास और ज़ा'फ़रान से पीली रंगते थे। और ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا भी येही करते थे।

(سنن ابی داود،کتاب الترجل،باب ماجاء فی خضاب الصفرة،الحدیث ٤٢١٠، ج٤،ص١١٧)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْھُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि एक शख़्स मेंहदी का ख़िज़ाब लगा कर हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के सामने से गुज़रा तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि येह क्या ही अच्छा ख़िज़ाब है । फिर दूसरा आदमी गुज़रा जो मेंहदी और कतम (एक घास) का ख़िज़ाब लगाए हुए था तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि येह उस से ज़ियादा अच्छा है फिर एक तीसरा आदमी गुज़रा जो पीला ख़िज़ाब लगाए हुए था तो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि येह उन सब ख़िज़ाबों से ज़ियादा अच्छा ख़िज़ाब है ।

(سنن ابی داود، کتاب الترجل، باب ماجاء فی خضاب الصفرة، الحدیث:٤٢١١، ج٤، ص١١٧)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि सब से पहले मेंहदी और वस्मा का ख़िज़ाब ह़ज़रते इब्राहीम عَلَیْہِ السَّلَام ने लगाया और सब से पहले काला ख़िज़ाब फ़िरऔ़न ने लगाया ।

(کنزالعمال، کتاب الزینة والتجمل، من قسم الاقوال، الخضاب، الحدیث:١٧٣٠٩، الجزء السادس، ص٢٨٣)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते आ़मिर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि बेशक अल्लाह तआ़ला उस शख़्स की त़रफ़ क़ियामत के दिन नज़रे रह़मत नहीं फ़रमाएगा जो काला ख़िज़ाब लगाएगा ।

(کنزالعمال، کتاب الزینة والتجمل، من قسم الاقوال، محظورات الخضاب، الحدیث:١٧٣٢٧، الجزء السادس، ص٢٨٤)

ह़दीस : 7

ह़ज़रते अबुद्दरदा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि जो शख़्स काला ख़िज़ाब लगाएगा, अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उस का मुंह काला करेगा।

(کنزالعمال، کتاب الزینة والتجمل، من قسم الاقوال، محظورات الخضاب، الحدیث:۱۷۳۲۹، الجزء السادس،ص۲۸٤)

मसाइल व फ़वाइद

ह़ज़रते अ़ल्लामा न-ववी "शारेह़े मुस्लिम" رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ ने फ़रमाया कि बालों की सफ़ेदी बदलने के लिये सुर्ख़ या पीला ख़िज़ाब लगाना मर्द और औ़रत दोनों के लिये मुस्तह़ब है और काले रंग के ख़िज़ाब के बारे में मुख़्तार मज़्हब येह है कि येह मक्रूहे तह़रीमी है क्यूं कि हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया "واجتنبوا السواد" या'नी काले ख़िज़ाब से बचो।

(شرح النووی، کتاب اللباس والزینة،باب استحباب خضاب الشیب...الخ،ج۲، ص۱۹۹)

﴿55﴾ सोने चांदी के बरतन

सोने चांदी के बरतनों में खाना पीना, या इन बरतनों में तेल रख कर उस तेल को सर में लगाना या बदन पर मालिश करना। ग़रज़ किसी त़रह़ भी इन बरतनों को इस्ति'माल करना शरीअ़त में मम्नूअ़ व ह़राम और गुनाह है। ह़दीसों में ब कसरत इस की मुमा-न-अ़त आई है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते उम्मे स-लमह رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो शख़्स चांदी के बरतनों में कुछ पीता है तो गोया वोह अपने पेट में जहन्नम

की आग घूंट घूंट दाख़िल करता है।

(صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینة،باب تحریم استعمال أوانی الذهب...الخ، الحدیث:۲۰۶۵،ص۱۱۴۲)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते हुज़ैफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना कि तुम लोग बारीक और मोटे रेशमी कपड़े न पहनो और सोने चांदी के बरतनों में कुछ न पियो और न सोने चांदी की थालियों में कुछ खाओ क्यूं कि दुन्या में येह बरतन काफ़िरों के लिये हैं और आख़िरत में तुम मुसल्मानों के लिये हैं।

(صحیح البخاری،کتاب الأطعمة،باب الأکل فی انا ء مفضّضٍ، الحدیث:۵۴۲۶، ج۳،ص۵۳۵)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो शख़्स सोने चांदी के बरतनों में या उन बरतनों में जिस में कुछ सोना चांदी लगा हो कुछ पीता है तो वोह घूंट घूंट अपने पेट में जहन्नम की आग दाख़िल करता है।

(سنن الدا رقطنی، کتاب الطهارة، باب أوا نی الذهب والفضة،الحدیث:۹۳، ج۱،ص۵۸)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते ह़कम ने इब्ने अबी लैला से सुना कि ह़ज़रते हुज़ैफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने पानी मांगा तो एक आदमी उन के पास चांदी के बरतन में पानी लाया तो ह़ज़रते हुज़ैफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने उस बरतन को फेंक दिया और फ़रमाया कि मैं ने इस को इस बरतन के इस्ति'माल से मन्अ़

किया था मगर येह नहीं माना। बेशक रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ने सोने चांदी के बरतनों में कुछ खाने पीने और ह़रीर व दीबाज (रेशमी कपड़ों) के पहनने से मन्अ़ फ़रमाया है और येह इर्शाद फ़रमाया है कि येह सब चीज़ें दुन्या में काफ़िरों के लिये हैं और आख़िरत में तुम मुसल्मानों के लिये हैं।

(سنن الترمذی، کتاب الأشربة، باب ماجاء فی کراهية الشرب فی آنية...الخ، الحديث:۱۸۸۵، ج۳، ص۳٤۹)

मसाइल व फ़वाइद

सोने चांदी के बरतनों में खाना पीना या और किसी त़रीक़े से इन को इस्ति'माल करना ह़राम व ना जाइज़ और गुनाह का काम है। जिस की सज़ा जहन्नम का अ़ज़ाब है। वोह गिलास और कटोरा जिस में दूसरी धातों के साथ कुछ चांदी या सोना लगा कर बनाया गया हो उस में भी खाना पीना ह़राम है। हां अलबत्ता अगर किसी धात के बरतन पर चांदी की सिर्फ़ क़ल्ई कर दी गई हो, तो ऐसे बरतन में खाने पीने की मुमा-न-अ़त नहीं है। (واللہ تعالیٰ اعلم)

56 रियाकारी

कोई भी नेक अ़मल और इ़बादत हो ख़ुदा की रिज़ा चाहते हुए, और इख़्लास की निय्यत से करना लाज़िम है अगर नामो नुमूद और शोहरत या कोई दूसरी नफ़्सानी ख़्वाहिश मक़्सूद हो तो "रियाकारी" है और रियाकारी वोह गुनाहे कबीरा है जिस को शिर्क की एक शाख़ कहा गया है। और अल्लाह तआ़ला ने रियाकारी करने वालों को शैत़ान का साथी बताया है। चुनान्चे इर्शादे क़ुरआनी है कि :

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ○ (پ٥،النساء:٣٨)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और वोह जो अपने माल लोगों के दिखावे को ख़र्चते हैं और ईमान नहीं लाते अल्लाह और न क़ियामत पर और जिस का मुसाहिब शैतान हुवा तो कितना बुरा मुसाहिब है।

दूसरी आयत में यूं इर्शाद फ़रमाया कि :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ○الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ○الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ○ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ○ (پ٣٠،الماعون:٤-٧)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : तो उन नमाज़ियों की ख़राबी है जो अपनी नमाज़ से भूले बैठे हैं वोह जो दिखावा करते हैं और बरतने की चीज़ मांगे नहीं देते।

इसी त़रह़ रियाकारी की मज़म्मत और मुमा-नअ़त में बहुत सी ह़दीसें भी वारिद हुई हैं।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है कि मैं तमाम शरीकों से ज़ियादा शिर्क से बे नियाज़ हूं। जो शख़्स कोई ऐसा अ़मल करे कि उस अ़मल में मेरे साथ मेरे ग़ैर को शरीक करे तो मैं उस को उस के शिर्क के साथ छोड़ दूंगा और एक रिवायत में यूं है कि मैं उस से बेज़ार हूं वोह अ़मल उसी के लिये है जिस के लिये उस ने किया है।

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الرقاق، باب الریاء والسمعۃ، الفصل الاول، الحدیث: ٥٣١٥، ج٣، ص١٣٧۔
سنن ابن ماجہ، کتاب الزھد، باب الریاء والسمعۃ، الحدیث ٤٢٠٢، ج٤، ص٤٦٩)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते जुन्दब رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो शोहरत के लिये कोई अ़मल करेगा तो अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उस के उ़यूब को मशहूर करेगा और जो रियाकारी करेगा तो अल्लाह तआ़ला उस की रियाकारी का उस को बदला देगा।

(صحیح مسلم، کتاب الزھد والرقائق،باب من أشرك ...الخ، الحدیث:۲۹۸۷، ص۱۵۹٤)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अबू सईद बिन अबू फ़ज़ाला رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जब अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन सब लोगों को जम्अ़ फ़रमाएगा तो एक मुनादी येह ए'लान करेगा कि जिस ने अपने उस अ़मल में जो अल्लाह के लिये किया है किसी दूसरे को शरीक कर लिया है तो उस को चाहिये कि वोह उस का सवाब अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के ग़ैर से त़लब करे।

(سنن الترمذی، کتاب التفسیر،باب ومن سورۃ الکھف،الحدیث۳۱٦۵، ج۵،ص۱۰۵)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि आख़िरी ज़माने में कुछ ऐसे भी लोग निकलेंगे जो दुन्या को दीन के ज़रीए त़लब करेंगे। वोह लोगों के लिये भेड़ की खाल पहनेंगे। अपनी नर्म दिली ज़ाहिर करने के लिये उन की ज़बानें शकर से ज़ियादा मीठी होंगी और उन के दिल भेड़ियों के दिल होंगे। अल्लाह तआ़ला (उन रियाकारों से) फ़रमाएगा कि क्या येह लोग मेरे मोहलत देने से बे ख़ौफ़ हो

गए हैं ? क्या येह लोग मुझ पर जरी हो गए हैं ? तो मुझ को मेरी ही क़सम है कि मैं ज़रूर ज़रूर इन लोगों पर ऐसा फ़ितना भेजूंगा जो अ़क़्ल मन्द आदमी को ह़ैरानी में डाल देगा।

(سنن الترمذی، کتاب الزھد، باب ٦٠،الحدیث:٢٤١٢،ج٤،ص١٨١)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते शद्दाद बिन औस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि जिस ने रियाकारी करते हुए नमाज़ पढ़ी तो यक़ीनन उस ने शिर्क का काम किया और जिस ने रियाकारी से रोज़ा रखा उस ने बेशक शिर्क का काम किया और जिस ने रियाकारी करते हुए स-दक़ा दिया उस ने बिला शुबा शिर्क का काम किया।

(المسندلامام احمدبن حنبل،مسند الشامیین، حدیث شدادبن أوس،الحدیث: ١٧١٤٠،ج٦،ص٨١)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते शद्दाद बिन औस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि वोह रोने लगे तो लोगों ने उन से कहा कि क्या चीज़ आप को रुलाती है ? तो उन्हों ने फ़रमाया कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को एक बात फ़रमाते हुए सुना था उसी को याद कर के रो रहा हूं। मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना है कि मुझ को अपनी उम्मत पर शिर्क और छुपी हुई शहवत का ख़ौफ़ है तो मैं ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! क्या आप की उम्मत आप के बा'द शिर्क करेगी ? तो आप صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि "हां" लेकिन सुन लो कि वोह सूरज या चांद और पथ्थर और बुत की इ़बादत नहीं करेंगे लेकिन वोह अपने अ़-मलों में रियाकारी करेंगे और छुपी हुई शहवत येह है कि उन में से एक आदमी सुब्ह़ को

रोज़ादार रहेगा। फिर उस की शह्वतों में से कोई शहवत उस के साथ आ जाएगी तो वोह रोज़ा छोड़ देगा।

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الرقاق، باب الریاء والسمعۃ، الفصل الثالث، الحدیث: ۵۳۳۲، ج۳، ص۱۴۰۔ شعب الایمان للبیہقی، باب فی اخلاص العمل للہ وترک الریاء، الحدیث ۶۸۳۰، ج۵، ص۳۳۳)

ह़दीस : 7

ह़ज़रते महमूद बिन लुबैद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि मुझे सब से ज़ियादा जिस चीज़ का तुम लोगों पर ख़ौफ़ है वोह छोटा शिर्क है। तो लोगों ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! छोटा शिर्क क्या है ? तो फ़रमाया कि "रियाकारी", और बैहक़ी में येह भी है कि जिस दिन अल्लाह तआ़ला लोगों को उन के आ'माल का बदला देगा तो रियाकारों से फ़रमाएगा कि तुम लोग उस के पास जाओ जिस को तुम दुन्या में अपना अ़मल दिखा कर किया करते थे फिर तुम देख लो कि क्या तुम उस के पास कोई जज़ा और भलाई पाते हो।

(المسند لامام احمد بن حنبل، حدیث محمود بن لبید، الحدیث ۲۳۶۹۲، ج۹، ص۱۶۰۔ شعب الایمان للبیہقی، باب فی اخلاص العمل للہ وترک الریاء، الحدیث ۶۸۳۱، ج۵، ص۳۳۳)

ह़दीस : 8

ह़ज़रते अबू सईद ख़ुदरी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم हमारे पास इस ह़ाल में तशरीफ़ लाए कि हम लोग दज्जाल का तज़्किरा कर रहे थे तो आप ने फ़रमाया कि क्या मैं तुम लोगों को उस चीज़ की ख़बर न दूं जो मेरे नज़्दीक

दज्जाल से भी ज़ियादा ख़ौफ़नाक है ? तो हम लोगों ने अ़र्ज़ किया कि क्यूं नहीं या रसूलल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! ज़रूर हम लोगों को ख़बर दीजिये । तो आप صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि वोह छुपा हुवा शिर्क है और वोह येह है कि आदमी नमाज़ पढ़ने खड़ा हो तो वोह येह देख कर अपनी नमाज़ को ज़ियादा लम्बी कर दे कि कोई आदमी उस को देख रहा है ।

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الرقاق، باب الریاء والسمعة، الفصل الثالث، الحدیث: ٥٣٣٣، ج٣، ص ١٤٠۔ سنن ابن ماجه، کتاب الزهد، باب الریاء والسمعة، الحدیث: ٤٢٠٤، ج٤، ص ٤٧٠)

मसाइल व फ़वाइद

अल हासिल ''रियाकारी'' सख़्त हराम, और गुनाहे कबीरा है। रियाकारी करने से इबादतों का अज्रो सवाब न सिर्फ़ ग़ारत व अकारत हो जाता है बल्कि वोह इबादत गुनाहे अ़ज़ीम बन जाती है जिस से अगर सच्ची तौबा न करे तो उस का ठिकाना जहन्नम है। ''واللہ تعالیٰ اعلم''

﴾57﴿ तकब्बुर

तकब्बुर वोह क़बीह व मज़्मूम चीज़ है जो सख़्त हराम और गुनाह है और येह वोह जुर्म है कि दुन्या व आख़िरत दोनों जगहों में इस का अन्जाम ज़िल्लत व ख़्वारी है। येही वोह गुनाह है जिस ने हमेशा के लिये इब्लीस के गले में ला'नत का तौ़क़ डाल दिया और वोह मरदूद व मत़रूद हो कर बिहिश्त से निकाल दिया गया और क़ियामत तक तमाम मलाएका और जिन्नो इन्स उस पर ला'नत भेजते रहेंगे और क़ियामत के दिन वोह और उस के मुत्तबिईन जहन्नम का ईंधन बनेंगे।

تکبر عزازیل را خوار کرد　　بزندان لعنت گرفتار کرد

या'नी तकब्बुर ने अ़ज़ाज़ील को ज़लीलो ख़्वार कर दिया और ला'नत के क़ैदख़ाने में गरिफ़्तार कर दिया।

''अ़ज़ाज़ील'' फ़िरिश्तों का मुअ़ल्लिम और बहुत बड़ा आ़बिदो ज़ाहिद था मगर उस ने तकब्बुर से ह़ज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام को अपने से कमतर बताया और सज्दा नहीं किया तो वोह मरदूदे बारगाहे इलाही हो कर बिहिश्त से निकाला गया और तमाम मख़्लूक़ की ला'नत व मलामत में गरिफ़्तार हो गया। कुरआने मजीद ने बार बार ए'लान फ़रमाया कि

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝ (پ٢٤،الزمر:٧٢)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : तो क्या ही बुरा ठिकाना मु-तकब्बिरों का।

इसी त़रह़ तकब्बुर की चाल को ह़राम फ़रमाते हुए ख़ुदा वन्दे कुद्दूस ने इर्शाद फ़रमाया :

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۝ (پ١٥،بنی اسرائیل:٣٧،٣٨)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और ज़मीन में इतराता न चल बेशक तू हरगिज़ ज़मीन न चीर डालेगा और हरगिज़ बुलन्दी में पहाड़ों को न पहुंचेगा येह जो कुछ गुज़रा इन में की बुरी बात तेरे रब को ना पसन्द है।

ह़दीसों में भी ब कसरत तकब्बुर की क़बाह़त व मज़म्मत बयान की गई है। चुनान्चे,

ह़दीस : 1

ह़ज़रते इब्ने मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया जिस के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वोह जहन्नम में दाख़िल नहीं होगा

और जिस शख़्स के दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वोह जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।

(صحیح مسلم، کتاب الایمان،باب تحریم الکبر وبیانه، الحدیث ۹۱،ص ٦١)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि तीन आदमियों से (ब वज्हे ग़ज़ब के) अल्लाह तआ़ला न कलाम फ़रमाएगा, न उन की त़रफ़ (रह़मत की नज़र से) देखेगा, न उन्हें गुनाहों से पाक फ़रमाएगा और उन के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है :

《1》 ज़िनाकार बुड्ढा 《2》 झूटा बादशाह 《3》 मु-तकब्बिर फ़क़ीर।

(صحیح مسلم، کتاب الایمان،باب بیان غلظ .....الخ، الحدیث:۱۰۷،ص٦٨)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अम्र बिन शुऐ़ब رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ रावी हैं कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि तकब्बुर वाले क़ियामत के दिन मैदाने मह़शर में च्यूंटियों के मिस्ल बना कर लाए जाएंगे मगर उन की सूरतें आदमी की होंगी और हर त़रफ़ से उन पर ज़िल्लत का घेरा होगा और वोह घसीट कर जहन्नम के उस क़ैदख़ाने में डाले जाएंगे जिस का नाम ''बौलस'' (ना उम्मीदी की जगह) होगा। उन के ऊपर जहन्नम की आग होगी जो ''नारुल अन्यार'' कहलाती है और उन्हें जहन्नमियों के बदन का पीप पिलाया जाएगा जिस का नाम ''त़ी-नतुल ख़बाल'' (पीप का कीचड़) है।

(سنن الترمذی، کتاب صفة القیامة،باب٤٧، الحدیث: ٢٥٠٠،ج٤،ص٢٢١)

ह़दीस : 4

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि उन्हों ने मिम्बर पर फ़रमाया कि ऐ लोगो ! तवाज़ोअ़ करो इस लिये कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना है कि जो अल्लाह तआ़ला के लिये तवाज़ोअ़ करेगा तो अल्लाह तआ़ला उस को बुलन्द फ़रमा देगा तो वोह अपनी नज़र में छोटा होगा मगर लोगों की निगाहों में बहुत बड़ा होगा। और जो तकब्बुर करेगा अल्लाह तआ़ला उस को पस्त कर देगा तो वोह अपने नज़्दीक बड़ा होगा और लोगों की निगाहों में इतना छोटा होगा कि कुत्ते और ख़िन्ज़ीर से भी कमतर होगा।

(شعب الایمان للبیھقی،باب فی حسن الخلق،فصل فی التواضع، الحدیث ٨١٤٠، ج٦،ص٢٧٦)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते इब्ने मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिस के दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर होगा वोह जन्नत में नहीं दाख़िल होगा। तो एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया कि आदमी इस को पसन्द करता है कि उस का कपड़ा अच्छा हो, उस का जूता अच्छा हो (तो क्या येह भी तकब्बुर है) तो आप صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला जमाल वाला है और वोह जमाल वाले को पसन्द फ़रमाता है। (येह तकब्बुर नहीं है) बल्कि तकब्बुर येह है कि आदमी ह़क़ से सरकशी करे और दूसरे लोगों को ज़लील समझे।

(صحیح مسلم، کتاب الایمان،باب تحریم الکبر و بیانہ، الحدیث:٩١،ص٦٠)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते अबू उमामा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि तुम लोग

तकब्बुर से बचो। इस लिये कि आदमी तकब्बुर करता रहता है यहां तक कि अल्लाह तआला (फ़िरिश्तों को) हुक्म देता है कि मेरे इस बन्दे को "जब्बारीन" (ज़ालिमों) में लिख दो।

(كنزالعمال، كتاب الاخلاق،من قسم الاقوال،حرف الكاف،الكبروالخيلاء، الحديث:٧٧٢٦،الجزء الثالث،ص ٢١٠)

मसाइल व फ़वाइद

अच्छा लिबास, अच्छा मकान व सामान रखना येह तकब्बुर नहीं बल्कि तकब्बुर येह है कि ह़क़ से सरकशी करे अपने को बड़ा और इ़ज़्ज़त वाला समझे। और दूसरे को अपने से कमतर और ज़लील समझे दर ह़क़ीक़त येह वोह तकब्बुर है जो दुन्या व आख़िरत में आदमी को ज़िल्लत के ग़ार में गिराने वाला, और जहन्नम में पहुंचाने वाला गुनाह है। (واللہ تعالیٰ اعلم)

﴾58﴿ बख़ीली

बख़ीली बहुत ज़लील ख़स्लत और बद तरीन गुनाह है। क़ुरआनो ह़दीस में बख़ीलों के लिये जहन्नम की वई़द आई है, चुनान्चे क़ुरआने मजीद में अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ (پ٤،ال عمرٰن:١٨٠)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और जो बुख़्ल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दी हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें। बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अ़न्क़रीब वोह जिस में बुख़्ल किया क़ियामत के दिन उन के गले का तौक़ होगा।

दूसरी आयत में यूं इर्शाद हुवा कि

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۝ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝ (پ۵،النساء:۳٦۔۳۷)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : बेशक अल्लाह को ख़ुश नहीं आता कोई इतराने वाला बड़ाई मारने वाला जो आप बुख़्ल करें और औरों से बुख़्ल के लिये कहें और अल्लाह ने जो उन्हें अपने फ़ज़्ल से दिया है उसे छुपाएं और काफ़िरों के लिये हम ने ज़िल्लत का अ़ज़ाब तय्यार कर रखा है।

इसी त़रह़ ह़दीसों में भी कसरत से बख़ीली की मज़म्मत और उस पर वई़दें आई है, चुनान्चे

ह़दीस : 1

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि धोका देने वाला और बख़ील और एह़सान जताने वाला (शुरूअ़ से) जन्नत में नहीं दाख़िल होगा बल्कि कुछ दिन जहन्नम का अ़ज़ाब चख लेने के बा'द जन्नत में जाएगा।

(سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی البخل، الحدیث:۱۹۷۰،ج۳، ص۳۸۸۔ المسندلامام احمد بن حنبل،مسند ابی بکرالصدیق،الحدیث۳۲، ج۱،ص۲٦)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू सई़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि दो ख़स्लतें मोमिन में जम्अ़ नहीं होंगी, बख़ीली और बद अख़्लाक़ी।

(سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی البخل، الحدیث:۱۹٦۹، ج۳،ص۳۸۷)

मत़्लब येह है कि जो मोमिन होगा अगर बख़ील होगा तो बद

अख़्लाक़ नहीं होगा और अगर बद अख़्लाक़ होगा तो बख़ील नहीं होगा येह दोनों बुरी ख़स्लतें एक साथ मोमिन में नहीं पाई जाएंगी।

हदीस : 3

हज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि सख़ी अल्लाह से क़रीब है, जन्नत से क़रीब है, लोगों से क़रीब है, लेकिन जहन्नम से दूर है और बख़ील अल्लाह عَزَّوَجَلَّ से दूर है, जन्नत से दूर है, लोगों से दूर है, लेकिन जहन्नम से क़रीब है और सख़ी जाहिल, बख़ील आबिद से अल्लाह तआला को ज़ियादा पसन्द है।

(سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی السخاء، الحدیث:۱۹۶۸، ج۳،ص۳۸۷)

हदीस : 4

हज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि आदमी में दो ख़स्लतें बद तरीन हैं। एक हिर्स वाली बख़ीली, दूसरी सख़्त बुज़दिली।

(سنن ابی داود، کتاب الجهاد،باب فی الجرأة والجبن،الحدیث ۲۵۱۱،ج۳،ص۱۸)

हदीस : 5

हज़रते इब्ने अम्र رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि इस उम्मत के अगले लोग यक़ीन और ज़ोह्द की वजह से नजात पा गए और इस उम्मत के पिछले लोग बख़ीली और हिर्स की वजह से हलाक होंगे।

(کنزالعمال، کتاب الاخلاق،من قسم الاقوال،البخل، الحدیث: ۷۳۸۵، ج۳،ص ۱۸۱)

मसाइल व फ़वाइद

खुलासए कलाम येह है कि बख़ीली बद तरीन गुनाह वाली ख़स्लत है जो हज़ारों नेकियों से महरूम कर देने वाली ख़स्लत है और दुन्या में इस का अन्जाम ज़िल्लतो ख़्वारी और क़िस्म क़िस्म की तकालीफ़ हैं और आख़िरत में इस गुनाह की सज़ा जहन्नम का दर्दनाक अ़ज़ाब है। (واللہ تعالٰی اعلم)

﴾59﴿ हि़र्स व त़म्अ़

येह भी बहुत ही ख़बीस व क़बीह़ आ़दत है। येह चोरी, डाका, ग़सब, ख़ियानत, क़त्लो ग़ारत, वग़ैरा सेंकड़ों ऐसे ऐसे बद तरीन गुनाहों का सर चश्मा है जो जहन्नम में ले जाने वाले गुनाहे कबीरा हैं। इसी लिये ह़दीसों में ब कसरत इस की क़बाह़त व मज़म्मत का बयान आया है। चुनान्चे

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि इब्ने आदम बूढ़ा हो जाता है लेकिन इस की दो ख़स्लतें हमेशा जवान रहती हैं एक माल की हि़र्स और दूसरी उ़म्र की हि़र्स।

(صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب کراھة الحرص علی الدنیا، الحدیث:١٠٤٧، ص٥٢١۔ سنن ابن ماجه، کتاب الزھد، باب الامل و الاجل، الحدیث ٤٢٣٤، ج٤، ص٤٨٤)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अ़म्र बिन शुऐ़ब से उन की सनद के साथ रिवायत है कि

इस उम्मत की सब से पहली सलाह़ यक़ीन व ज़ोह्द है और इस उम्मत का सब से पहला फ़साद बख़ीली और उम्मीद है।

(شعب الایمان للبیهقی،باب فی الجود والسخاء، الحدیث ١٠٨٤٤،ج٧،ص٤٢٧)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते वासिला رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि लालची ऐसी कमाई त़लब करता है जो ह़लाल न हो।

(کنزالعمال،کتاب الاخلاق،من قسم الاقوال،الحرص، الحدیث: ٧٤٣٠،الجزء الثالث،ص١٨٥)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि त़म्अ़ उ़-लमा के दिलों से इ़ल्मे शरीअ़त को दूर कर देती है।

(کنزالعمال، کتاب الاخلاق،من قسم الاقوال،الطمع، الحدیث: ٧٥٧٣،الجزئالثالث،ص١٩٨)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से ह़दीसे मुरसल मरवी है कि वोह चिकनी और फिसला देने वाली चीज़ कि जिस पर उ़-लमा के क़दम ठहर नहीं सकते वोह त़म्अ़ (लालच) है।

(کنزالعمال،کتاب الاخلاق،من قسم الاقوال،الطمع، الحدیث: ٧٥٧٦،الجزء الثالث،ص١٩٨)

﴾60﴿ ह़सद

ह़सद येह है कि किसी की ने'मतों के ज़वाल व बरबादी की तमन्ना करना। येह भी बड़ी ही मोहलिक और बहुत ही मूज़ी दिल की बीमारी है और ह़िर्स ही की त़रह़ येह भी बड़े बड़े गुनाहों

का सर चश्मा है। इसी लिये ख़ुदा वन्दे कुद्दूस ने अपने ह़बीब صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को ह़सद से ख़ुदा की पनाह मांगने का हुक्म फ़रमाया है और कुरआने मजीद में नाज़िल फ़रमाया :

وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और ह़सद वाले के शर से जब वोह मुझ से जले। (پ ۳۰،الفلق:۵)

और ह़दीसों में भी इस की हलाकत ख़ेज़ मुज़िर्रत का बड़े ही इब्रत अंगेज़ अल्फ़ाज़ में बयान आया है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि एक दूसरे से ह़सद मत करो और एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो और एक दूसरे से क़त्ए तअ़ल्लुक़ न करो और ऐ अल्लाह के बन्दो ! तुम आपस में एक दूसरे के भाई भाई बन कर रहो।

(صحیح البخاری، کتاب الادب،باب یایھا الذین اٰمنوآ اجتنبوا...الخ، الحدیث۶۰۶۶،ج۴،ص۱۱۷۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ،باب تحریم الظن...الخ، الحدیث:۲۵۶۳،ص۱۳۸۶)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ से रिवायत है कि ह़सद नेकियों को इस त़रह़ खा डालता है जिस त़रह़ आग लकड़ी को खा डालती है और स-दक़ा गुनाहों को इस त़रह़ बुझा देता है जिस त़रह़ पानी आग को बुझा देता है और नमाज़ मोमिन का नूर है और रोज़ा जहन्नम से ढाल है।

(کنزالعمال، کتاب الاخلاق،من قسم الاقوال،الحسد، الحدیث: ۷۴۳۵،الجزئالثالث،ص۱۸۵)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते ज़ुबैर बिन अ़वाम رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अन्दर अगली उम्मतों की बीमारियां फैल रही हैं या'नी ह़सद और बुग़्ज़। येह दीन को मूंडने वाली बीमारियां हैं, बाल को मूंडने वाली नहीं। क़सम है उस ज़ात की जिस के हाथ में मुह़म्मद صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की जान है कि तुम लोग उस वक़्त तक जन्नत में दाख़िल नहीं हो सकोगे जब तक मोमिन न हो जाओ। और तुम लोग उस वक़्त तक मोमिन न होगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मह़ब्बत न करोगे। क्या मैं तुम्हें वोह काम न बता दूं कि जब तुम लोग इस को करोगे तो एक दूसरे से मह़ब्बत करने लगोगे और वोह काम येह है कि तुम लोग आपस में सलाम का चरचा करो।

(کنز العمال، کتاب الاخلاق،من قسم الاقوال،الحسد، الحدیث: ۷۴۴۰،الجزء الثالث،ص۱۸۶)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन बुसर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि ह़सद करने वाला और चुग़ली खाने वाला और काहिन (नुजूमी), मुझ को इन लोगों से और इन लोगों को मुझ से कोई तअ़ल्लुक़ नहीं।

(کنز العمال، کتاب الاخلاق،من قسم الاقوال،الحسد، الحدیث: ۷۴۴۲،الجزء الثالث،ص۱۸۶)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते ज़मरा बिन सा'लबा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि

हुज़ूर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि लोग उस वक़्त तक हमेशा ख़ैरियत और अच्छी ह़ालत में रहेंगे जब तक कि एक दूसरे पर ह़सद न करेंगे।

(کنزالعمال، کتاب الاخلاق، من قسم الاقوال، الاکمال، الحدیث: ٧٤٤٦، الجزء الثالث، ص١٨٦)

﴾61﴿ बुग़्ज़ व कीना

मुसल्मानों से बुग़्ज़ और कीना रखना भी ह़राम और गुनाह है इस बारे में येह चन्द ह़दीसें ख़ास त़ौर से बग़ौर पढ़िये।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि तुम लोग एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ न रखो और एक दूसरे से क़त़्अ़ तअ़ल्लुक़ न करो और तुम लोग भाई भाई बन कर रहो।

(صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحریم الظن، الحدیث: ٢٥٦٣، ص١٣٨٦)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते उम्मुल मुअमिनीन आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : शबे बराअत में अल्लाह तआ़ला तमाम बख़्शिश मांगने वालों की मग़्फ़िरत फ़रमा देता है और रह़मत त़लब करने वालों पर रह़मत नाज़िल फ़रमा देता है। लेकिन कीना रखने वाले के मुआ़-मले को मुअख़्ख़र और मुल्तवी फ़रमा देता है।

(کنزالعمال، کتاب الاخلاق، من قسم الاقوال، الحقد والشحناء، الحدیث: ٧٤٤٧، الجزء الثالث، ص١٨٦)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि हर हफ़्ता में दो मर्तबा बन्दों के आ'माल अल्लाह तआ़ला के दरबार में पेश किये जाते हैं तो अल्लाह तआ़ला हर बन्दए मोमिन को बख़्श देता है लेकिन उस बन्दे को कि उस के और उस के (दीनी) भाई के दरमियान बुग़्ज़ो कीना हो, उस की अल्लाह तआ़ला मग़्फ़िरत नहीं फ़रमाता।

(کنزالعمال، کتاب الاخلاق،من قسم الاقوال،الحفدوالشحناء، الحدیث: ۷٤٤۹، الجزء الثالث،ص۱۸۷)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि हर दो शम्बा और जुमा'रात को जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं तो अल्लाह तआ़ला मुश्रिक के सिवा अपने हर बन्दे को बख़्श देता है मगर उस शख़्स को नहीं बख़्शता जो अपने भाई से बुग़्ज़ो कीना रखता हो। बल्कि उस के बारे में येह फ़रमान सादिर फ़रमाता है कि अभी इन दोनों को यूं ही रहने दो यहां तक कि येह दोनों सुल्ह़ कर लें।

(کنزالعمال، کتاب الاخلاق،من قسم الاقوال،الاکمال، الحدیث: ۷٤٥۷،الجزء الثالث،ص۱۸۷)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि येह ह़लाल नहीं है कि मुसल्मान (बुग़्ज़ो कीना के सबब से) अपने भाई से तीन दिन से ज़ियादा तअ़ल्लुक़ काट कर उस को छोड़ दे। जो तीन दिन से ज़ियादा इस त़रह़

तअ़ल्लुक़ छोड़े रहेगा और इसी ह़ालत में मर जाएगा तो वोह जहन्नम में दाख़िल होगा।

(سنن ابی داود، کتاب الادب،باب فیمن یھجر اخاہ المسلم،الحدیث٤٩١٤، ج٤،ص٣٦٤)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते अबू ख़राश सु-लमी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि उन्हों ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना कि जो एक साल तक अपने (दीनी) भाई को छोड़े रहे तो येह इतना बड़ा गुनाह है कि गोया उस का ख़ून बहा दिया।

(سنن ابی داود، کتاب الادب،باب فیمن یھجر اخاہ المسلم،الحدیث٤٩١٥، ج٤،ص٣٦٤)

﴾62﴿ मक्र और धोकाबाज़ी

मुसल्मानों के साथ मक्र या'नी धोकाबाज़ी और दग़ाबाज़ी करना क़त़्अ़न ह़राम और गुनाहे कबीरा है जिस की सज़ा जहन्नम का अ़ज़ाबे अ़ज़ीम है। इस की मुमा-न-अ़त व ह़ुरमत के बारे में चन्द ह़दीसें बड़ी ही रिक़्क़त ख़ैज़ व इ़ब्रत आमोज़ हैं।

ह़दीस : 1

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो किसी मोमिन को ज़रर पहुंचाए या उस के साथ मक्र और धोकाबाज़ी करे वोह मल्ऊ़न है।

(سنن الترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی الخیانۃ والغش، الحدیث:١٩٤٨، ج٣،ص٣٧٨)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू सरमा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो मुसल्मान को ज़रर पहुंचाए अल्लाह तआ़ला ज़रूर उस को ज़रर पहुंचाएगा और जो मुसल्मानों को मशक़्क़त में डाले अल्लाह तआ़ला उस को मशक़्क़त में डालेगा।

(سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی الخیانة والغش، الحدیث: ۱۹۴۷، ج۳، ص۳۷۸)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते इब्ने मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है जो हमारे साथ धोकाबाज़ी करे वोह हम में से नहीं है और मक्र व धोकाबाज़ी जहन्नम में है।

(کنز العمال، کتاب الاخلاق، من قسم الاقوال، المکر والخدیعة، الحدیث: ۷۸۲۱، الجزء الثالث، ص۲۱۸)

ह़दीस : 4

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो किसी मुसल्मान के साथ मक्र करे या नुक़्सान पहुंचाए या धोका दे वोह हम में से नहीं है।

(کنز العمال، کتاب الاخلاق، من قسم الاقوال، المکر والخدیعة، الحدیث: ۷۸۲۲، الجزء الثالث، ص۲۱۸)

ह़दीस : 5

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ

से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : तीन शख़्स जन्नत में दाख़िल नहीं होंगे।

﴿1﴾ धोकाबाज़ ﴿2﴾ एह़सान जताने वाला ﴿3﴾ बख़ील।

(کنز العمال، کتاب الاخلاق، من قسم الاقوال، المکروالخدیعة، الحدیث: ۷۸۲۳، الجزء الثالث، ص۲۱۸)

﴿63﴾ किसी का मज़ाक़ उड़ाना

इहानत और तह़क़ीर के लिये ज़बान या इशारात, या किसी और त़रीक़े से मुसल्मान का मज़ाक़ उड़ाना ह़राम व गुनाह है। क्यूं कि इस से एक मुसल्मान की तह़क़ीर और इस की ईज़ा रसानी होती है और किसी मुसल्मान की तह़क़ीर करना और दुख देना सख़्त ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

क़ुरआने मजीद में अल्लाह तआ़ला ने इस के बारे में इर्शाद फ़रमाया कि

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ (پ۲۶، الحجرات: ۱۱)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! न मर्द मर्दों से हंसे अ़जब नहीं कि वोह इन हंसने वालों से बेहतर हों और न औ़रतें औ़रतों से दूर नहीं कि वोह इन हंसने वालियों से बेहतर हों और आपस में त़ा'ना न करो और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो क्या ही बुरा नाम है मुसल्मान हो कर फ़ासिक़ कहलाना और जो तौबा न करें तो वोही ज़ालिम हैं।

इस की मुमा-न-अ़त और शनाअ़त के बारे में चन्द ह़दीसें भी वारिद हुई हैं चुनान्चे

ह़दीस : 1

उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते आइशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا से रिवायत है नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि ख़ुदा की क़सम मैं किसी की नक़्ल उतारना पसन्द नहीं करता अगर्चे उस के बदले में इतना इतना माल मुझे मिल जाए।

(احیاء علوم الدین، کتاب آفات اللسان،الآفة الحادیةعشر السخریةوالاستھزاء، ج۳،ص۱٦۲)

ह़दीस : 2

हुज़ूरे अकरम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया कि क़ियामत के दिन लोगों का मज़ाक़ उड़ाने वाले के सामने जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा और कहा जाएगा कि आओ आओ तो वोह बहुत ही बेचैनी और ग़म में डूबा हुवा उस दरवाज़े के सामने आएगा मगर जैसे ही वोह दरवाज़े के पास पहुंचेगा वोह दरवाज़ा बन्द हो जाएगा फिर एक दूसरा जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा और उस को पुकारा जाएगा कि आओ यहां आओ चुनान्चे येह बेचैनी और रन्जो ग़म में डूबा हुवा उस दरवाज़े के पास जाएगा तो वोह दरवाज़ा बन्द हो जाएगा, इसी त़रह़ उस के साथ मुआ़-मला होता रहेगा यहां तक कि दरवाज़ा खुलेगा और पुकार पड़ेगी तो वोह नहीं जाएगा। (इस त़रह़ वोह जन्नत में दाख़िल होने से मह़रूम रहेगा)

(احیاء علوم الدین، کتاب آفات اللسان،الآفة الحادیةعشر السخریةوالاستھزاء، ج۳،ص۱٦۲)

ह़दीस : 3

जो अपने किसी दीनी भाई को उस के किसी ऐसे गुनाह पर आ़र

दिलाएगा जिस से वोह तौबा कर चुका हो तो आ़र दिलाने वाला उस वक़्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वोह ख़ुद उस गुनाह को न कर ले।

(احیاء علوم الدین، کتاب آفات اللسان،الآفة الحادیةعشر السخریةو الاستهزاء، ج۳، ص۱۶۳)

मसाइल व फ़वाइद

बहर ह़ाल किसी को ज़लील करने के लिये और उस की तह़क़ीर करने के लिये उस की ख़ामियों को ज़ाहिर करना, उस का मज़ाक़ उड़ाना, उस की नक़्ल उतारना या उस को त़ा'ना मारना या आ़र दिलाना या उस पर हंसना या उस को बुरे बुरे अल्क़ाब से याद करना और उस की हंसी उड़ाना म-सलन आज कल के ब ज़ो'मे ख़ुद अपने आप को उ़र्फ़ी शु-रफ़ा कहलाने वाले कुछ क़ौमों को ह़क़ीर व ज़लील समझते हैं और मह़ज़ क़ौमिय्यत की बिना पर उन का तमस्ख़ुर और इस्तिह़ज़ा करते और मज़ाक़ उड़ाते रहते हैं और क़िस्म क़िस्म के दिल आज़ार अल्क़ाब से याद करते रहते हैं। कभी त़ा'ना ज़नी करते हैं। कभी आ़र दिलाते हैं येह सब ह़-र-कतें ह़राम व गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं।

लिहाज़ा इन ह़-र-कतों से तौबा लाज़िम है, वरना येह लोग फ़ासिक़ ठहरेंगे। इसी त़रह़ सेठों और मालदारों की आ़दत है कि वोह ग़रीबों के साथ तमस्ख़ुर और इहानत आमेज़ अल्क़ाब से उन को आ़र दिलाते और त़ा'ना ज़नी करते रहते हैं और त़रह़ त़रह़ से उन का मज़ाक़ उड़ाया करते हैं। जिस से ग़रीबों की दिल आज़ारी होती रहती है। मगर वोह अपनी ग़ुरबत और मुफ़्लिसी की वजह से मालदारों के सामने दम नहीं मार सकते। उन मालदारों को होश में आ जाना चाहिये कि अगर वोह अपने इन करतूतों से तौबा कर के बाज़ न आए तो यक़ीनन वोह क़ह्रे क़ह्हार व ग़-ज़बे जब्बार में गरिफ़्तार हो कर जहन्नम के सज़ावार बनेंगे और दुन्या में इन ग़रीबों के आंसू क़ह्रे ख़ुदा वन्दी का सैलाब बन कर उन मालदारों के मह़ल्लात को ख़सो ख़ाशाक की

तरह़ बहा ले जाएंगे क्यूं कि

बशर को सब्र नहीं वरना येह मसल सच है

कि चुप की दाद ग़फ़ूरुर्रह़ीम देता है

﴾64﴿ मस्जिद में दुन्या की बात करना

मस्जिदों में दुन्या की बात चीत करना और शोर मचाना मन्अ़ है। इस गुनाह से बचना लाज़िम है क्यूं कि ह़दीसों में इस की मुमा-न-अ़त आई है। चुनान्चे

ह़दीस : 1

ह़ज़रते ह़सन बसरी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मुर-सलन रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : एक ऐसा ज़माना आएगा कि मस्जिदों में दुन्या की बातें लोग करेंगे तो तुम उन लोगों के साथ न बैठो कि उन को ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ से कुछ काम नहीं।

(شعب الایمان للبیهقی،باب فی الصلوات،فصل المشی الی المساجد، الحدیث ۲۹۶۲،ج۳،ص۸۶)

ह़दीस : 2

ह़दीस में आया है कि मस्जिद में दुन्यावी बात चीत नेकियों को इस तरह़ खा डालती है जिस तरह़ चौपाए घास को खा डालते हैं।

(اتحاف السادة المتقین،کتاب اسرارالصلوة ومهماتها،الباب الاول،ج۳،ص۵۰)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जब तुम देखो कि कोई मस्जिद में सौदा बेच रहा है या सौदा ख़रीद रहा है तो तुम लोग कह दो कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारी तिजारत में नफ़्अ़ न दे और जब तुम देखो कि कोई अपनी गुमशुदा चीज़ को चिल्ला चिल्ला कर मस्जिद में ढूंड रहा है तो तुम कह दो कि ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ करे तुम्हारी गुमशुदा चीज़ तुम्हें न मिले।

(الترغیب والترھیب، کتاب الصلوۃ،باب الترھیب من البصاق فی المسجد، الحدیث١٤،ج١ص١٢٦)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते साइब बिन यज़ीद رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि मैं मस्जिद में लैटा हुवा था तो किसी ने मुझ को कंकरी मारी जब मैं ने देखा तो वोह अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ थे। उन्हों ने मुझ से फ़रमाया कि जाओ और उन दोनों आदमियों को जो मस्जिद में पुकार कर बातें कर रहे थे, मेरे पास लाओ तो मैं उन दोनों को लाया। तो अमीरुल मुअमिनीन ने उन दोनों से पूछा तुम दोनों कहां के रहने वाले हो ? तो उन दोनों ने कहा कि हम त़ाइफ़ के रहने वाले हैं। तो अमीरुल मुअमिनीन ने फ़रमाया कि अगर तुम दोनों मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम दोनों को मार मार कर दर्द मन्द कर देता। तुम लोग रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की मस्जिद में बुलन्द आवाज़ से गुफ़्त-गू कर रहे हो।

(مشکوۃ المصابیح، کتاب الصلوۃ،باب المساجد...الخ،الفصل الثالث، الحدیث: ٧٤٤،ج١،ص٢٣٤۔
صحیح البخاری، کتاب الصلوٰۃ،باب رفع الصوت....الخ، الحدیث ٤٧٠،ج١،ص١٧٨)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते इमाम मालिक رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि अमीरुल

मुअमिनीन ह़ज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने मस्जिदे न-बवी के एक जानिब एक मैदान बना दिया था जिस को लोग "बुत़ैह़ा" कहते थे और अमीरुल मुअमिनीन ने येह फ़रमा दिया था कि जो कोई शोर करे या शे'र गाए या बुलन्द आवाज़ से गुफ़्त-गू करे तो वोह मस्जिद से निकल कर इस मैदान में आ जाए।

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوۃ، باب المساجد...الخ، الفصل الثالث، الحدیث: ۷۴۵، ج۱، ص۲۳۵، الموطا للامام مالك، کتاب قصر الصلاۃ فی السفر، باب جامع الصلاۃ، الحدیث ۴۳۲، ج۱، ص۱۷۰)

﴿65﴾ क़ुरआने मजीद भुला देना

क़ुरआने मजीद पढ़ कर ग़फ़्लत और ला परवाही से इस को भुला देना बहुत सख़्त गुनाह है इस के बारे में चन्द ह़दीसें बहुत ही लरज़ा ख़ैज़ हैं। चुनान्चे

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अनस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत के तमाम सवाबों को मेरे सामने पेश किया गया यहां तक कि मस्जिद से किसी गन्दी चीज़ के निकालने का सवाब भी पेश किया गया और मेरी उम्मत के तमाम गुनाहों को भी मेरे सामने पेश किया गया तो मैं ने इस से बड़ा किसी गुनाह को नहीं देखा कि आदमी ने क़ुरआने मजीद की कोई सूरत या आयत जो उसे याद थी उसे भुला दिया।

(الترغیب والترھیب، کتاب قراءۃ القران، الترھیب من نسیان القران...الخ، الحدیث۳، ج۱، ص۲۳۴، سنن ابی داود، کتاب الصلوٰۃ، باب [فی] کنس المسجد، الحدیث: ۴۶۱، ج۱، ص۱۹۸)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते सा'द बिन उ़बादा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है

रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो आदमी क़ुरआने मजीद पढ़ कर इस को भुला देगा तो वोह अल्लाह तआ़ला से इस ह़ाल में मुलाक़ात करेगा कि वोह जुज़ामी (कोढ़ी) होगा।

(الترغیب والترهیب، کتاب قراءة القران،الترهیب من نسیان...الخ، الحدیث٤، ج٢، ص٢٣٤۔
سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب التشدیدفیمن حفظ القرأن ثم نسیه، الحدیث:١٤٧٤، ج٢،ص١٠٧)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا से रिवायत है कि जिस सीने में कुछ भी क़ुरआने मजीद न हो तो वोह वीरान घर की मिस्ल है।

(الترغیب والترهیب، کتاب قراءة القران،الترهیب من نسیان...الخ،الحدیث١، ج٢، ص٢٣٣۔
سنن الترمذی، کتاب فضائل القران،باب١٨، الحدیث: ٢٩٢٢، ج٤، ص٤١٩)

﴿66﴾ किसी दूसरे को अपना बाप बना लेना

अपने ह़क़ीक़ी बाप को छोड़ कर किसी दूसरे को अपना बाप बताना या अपने ख़ानदान व नसब को छोड़ कर किसी दूसरे ख़ानदान से अपना नसब जोड़ना ह़राम व गुनाह और जन्नत से मह़रूम कर के दोज़ख़ में ले जाने वाला काम है इस बारे में बड़ी सख़्त वईदें ह़दीसों में आई हैं चुनान्चे मुन्दरिजए ज़ैल ह़दीसें बहुत इ़ब्रत ख़ेज़ हैं।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते सा'द बिन अबी वक़्क़ास رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से मरवी है रसूलुल्लाह عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि जो अपने बाप के ग़ैर को अपना बाप बनाने का दा'वा करे ह़ालां कि वोह

जानता है कि वोह इस का बाप नहीं है तो उस पर जन्नत ह़राम है।

(الترغیب والترھیب، کتاب النکاح وما یتعلق بہ،الترھیب أن ینتسب الإنسان...الخ، الحدیث ۱، ج۳، ص ۵۱۔
صحیح مسلم، کتاب الایمان،باب بیان حال...الخ، الحدیث:۱۱۵،ص۵۲)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू ज़र رَضِیَ اللّٰہتَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है उन्हों ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को येह फ़रमाते हुए सुना कि जो शख़्स अपने बाप के ग़ैर को अपना बाप बनाने का दा'वा करेगा ह़ालां कि उस को मा'लूम है कि वोह इस का बाप नहीं है तो उस शख़्स ने ना शुक्री की।

(الترغیب والترھیب، کتاب النکاح ،الترھیب أن ینتسب الانسان...الخ، الحدیث۲، ج۳، ص ۵۱۔
صحیح البخاری، کتاب المناقب،باب۵، الحدیث:۳۵۰۸، ج۲،ص۴۷۶)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते यज़ीद बिन शरीक बिन त़ारिक़ कहते हैं कि मैं ने ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہتَعَالٰی عَنْہُ को मिम्बर पर येह फ़रमाते हुए सुना कि जो अपने बाप के ग़ैर को अपना बाप बनाने का दा'वा करता है, या जो ग़ुलाम अपने मौला के ग़ैर को अपना मौला बताए तो उन दोनों पर अल्लाह तआ़ला और तमाम फ़िरिश्तों और तमाम आदमियों की ला'नत है। और क़ियामत में उन दोनों की न कोई फ़र्ज़ इ़बादत क़बूल होगी, न कोई नफ़्ल इ़बादत क़बूल होगी।

(الترغیب والترھیب، کتاب النکاح ،الترھیب أن ینتسب الانسان...الخ، الحدیث۳، ج۳، ص ۵۲،
صحیح مسلم، کتاب الحج،باب فضل المدینۃ...الخ، الحدیث: ۱۳۷۰،ص۷۱۲)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अ़म्र बिन शुऐब رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : आदमी के गुनहगार होने को येही काफ़ी है कि आदमी अपने नसब से इज़्हारे बराअत करते हुए किसी दूसरे ख़ानदान से होने का दा'वा करे जिस ख़ानदान से उस का होना लोगों को मा'लूम नहीं है।

(الترغیب والترھیب، کتاب النکاح ،الترھیب أن ینتسب...الخ، الحدیث ٤، ج٣، ص٥٢)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْھُمَا से मरवी है रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो शख़्स अपने बाप के ग़ैर को अपना बाप बनाने का दा'वा करे वोह जन्नत की ख़ुश्बू भी नहीं सूंघेगा ह़ालां कि जन्नत की ख़ुश्बू पांचसो बरस की राह से पाई जाएगी।

(الترغیب والترھیب، کتاب النکاح ،الترھیب أن ینتسب...الخ، الحدیث ٥، ج٣، ص٥٢۔
المسندلامام احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن عمروبن العاص، الحدیث:٦٦٠٣، ج٢، ص٥٧٨)

ह़दीस : 6

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो शख़्स किसी ऐसे नसब का दा'वा करे जिस नसब में उस का होना लोगों को मा'लूम व मशहूर नहीं, तो उस शख़्स ने अल्लाह तआ़ला की ना शुक्री की और जो नसब का इन्कार करे उस ने भी अल्लाह तआ़ला की ना शुक्री की।

(الترغیب والترھیب، کتاب النکاح ،الترھیب أن ینتسب...الخ، الحدیث ٩، ج٣، ص٥٣،
المعجم الأوسط للطبرانی،من اسمہ معاذ، الحدیث:٨٥٧٥، ج٦، ص٢٢١)

मसाइल व फ़वाइद

मज़्कूरा बाला ह़दीसों को पढ़ कर उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिएं जो हिन्दुस्तान में ख़्वाह म ख़्वाह अपना ख़ानदान व नसब बदल कर किसी ऊंचे ख़ानदान से अपना रिश्तए नसब मिला लेते हैं। सेंकड़ों ऐसे हैं जिन को सेंकड़ों बरस से लोग येही जानते हैं कि वोह हिन्दुस्तानी हैं और इन के आबाओ अजदाद बरसों पहले इस्लाम क़बूल कर के मुसल्मान हो गए थे मगर आज कल वोह अ़-रबिय्युन्स्ल बन कर अपने को सिद्दीक़ी व फ़ारूक़ी व उ़स्मानी व सय्यिद कहने लगे हैं। उन्हें सोचना चाहिये कि वोह लोग ऐसा कर के कितने बड़े गुनाह के दलदल में फंसे हुए हैं। ख़ुदा वन्दे करीम इन लोगों को सिराते मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए और इस ह़राम व जहन्नमी काम से इन लोगों को तौबा की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए। (आमीन)

﴾67﴿ बीवियों के दरमियान अ़द्ल न करना

जिस शख़्स की दो या दो से ज़ियादा बीवियां हों, उस पर फ़र्ज़ है कि सब बीवियों को खाना कपड़ा और ख़र्च और बिस्तर का ह़क़ और सब बीवियों के पास सोने में बिल्कुल बराबरी करे हरगिज़ हरगिज़ किसी बीवी को कम किसी को ज़ियादा न दे वरना वोह गुनाह में मुब्तला होगा और जहन्नम की सज़ा का ह़क़दार होगा इस बारे में येह चन्द ह़दीसें बहुत इ़ब्रत ख़ेज़ व नसीह़त आमेज़ हैं।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है, हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जब किसी के पास दो बीवियां हों और वोह उन दोनों के हुक़ूक़ अदा करने में बराबरी न करता हो तो क़ियामत के दिन वोह इस ह़ालत में आएगा कि उस की एक

जानिब का आधा धड़ गिरा हुवा होगा।

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب النکاح،باب القسم، الفصل الثانی،الحدیث: ۳۲۳٦، ج۲،ص۲۳٤۔
سنن الترمذی، کتاب النکاح،باب ماجاء فی التسویۃ بین الضرائر،الحدیث:۱۱٤٤،ج۲، ص۳۷۵)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जिस के पास दो बीवियां हों और वोह एक ही की त़रफ़ माइल हो जाए तो वोह क़ियामत में इस ह़ालत में आएगा कि उस के बदन की एक शक़ गिरी हुई होगी। (या'नी एक त़रफ़ झुकी और मुड़ी हुई होगी)।

(الترغیب والترھیب، کتاب النکاح ،الترھیب من ترجیح احدی.....الخ، الحدیث ۱، ج۳، ص ٤۰۔
سنن الترمذی، کتاب النکاح،باب ماجاء فی التسویۃ بین ضرائر، الحدیث ۱۱٤٤،ج۲،ص۳۷۵)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है उन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि बेशक अ़द्लो इन्साफ़ करने वाले अल्लाह तआ़ला के दरबार में नूर के मिम्बरों पर होंगे येह वोह लोग होंगे जो अपने फ़ैसलों में, और अपनी बीवियों के मुआ़-मले में, और उन तमाम कामों में जिन के वोह वाली बने हैं अ़द्ल करते हैं।

(صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضیلۃ الامام...الخ،الحدیث: ۱۸۲۷،ص۱۰۱۵)

﴾68﴿ बाएं हाथ से खाना पीना

बाएं हाथ से खाना, पीना या कोई चीज़ बाएं से लेना देना मम्नूअ़ है । ह़दीसों में इस की मुमा-न-अ़त आई है । चुनान्चे नीचे तह़रीर की हुई ह़दीसों को बग़ौर पढ़िये ।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْھُمَا से रिवायत है रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि हरगिज़ हरगिज़ तुम में कोई बाएं हाथ से न कोई चीज़ खाए न कुछ पिये । क्यूं कि शैत़ान बाएं हाथ से खाता पीता है और ह़ज़रते नाफ़ेअ़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ इस ह़दीस में इतना और भी बयान करते हैं कि बाएं हाथ से न कोई चीज़ ले न दे ।

(الترغیب والترھیب، کتاب الطعام وغیرہ، الترھیب من الاکل والشرب..الخ، الحدیث ۱، ج۳، ص۹۲۔
صحیح مسلم، کتاب الأشربة، باب آداب الطعام..الخ، الحدیث ۲۰۲۰، ص۱۱۱۷)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि तुम में हर एक दाहिने हाथ से खाए और दाहिने हाथ से पिये और दाहिने से हर चीज़ दे और ले । इस लिये कि शैत़ान बाएं हाथ से खाता पीता और लेता देता है ।

(سنن ابن ماجه، کتاب الاطعمة، باب الاکل بالیمین، الحدیث: ۳۲۶۶، ج٤، ص۱۲)

मसाइल व फ़वाइद

मैं ने अक्सर देखा है कि दस्तर ख़्वान पर बाएं हाथ से लोग इस ख़याल से पानी पी लिया करते हैं कि गिलास में झूटा न लग जाए । इसी त़रह़ बा'ज़ लोग चाय का कप तो दाहिने हाथ

से पकड़े रहते हैं और तश्तरी में चाय डाल कर बाएं हाथ से चाय पीते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिये। गिलास में अगर्चे सालन वग़ैरा लग जाए मगर बहर हाल पानी दाहिने ही हाथ से पीना चाहिये और चाय का कप बाएं हाथ में ले कर सासर (पिरच) में लौट कर चाय दाहिने ही हाथ से पीनी चाहिये ताकि शैतान के तरीके से बचें और हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की सुन्नत अदा हो। واللہ تعالیٰ اعلم

《69》 कुत्ता पालना

शिकार करने के लिये, खेती की हिफ़ाज़त के लिये, मवेशियों की हिफ़ाज़त के लिये, मकान की हिफ़ाज़त के लिये इन चार मक़्सदों के लिये कुत्ता पालना जाइज़ है। बाक़ी इन के सिवा म-सलन खेलने के लिये, दिल बस्तगी और तफ़रीह के लिये, लड़ाने या दौड़ाने के लिये या किसी और काम के लिये कुत्ता पालना ना जाइज़ व मम्नूअ़ है। चुनान्चे बहुत सी ह़दीसों में इस की मुमा-न-अ़त आई है।

ह़दीस : 1

ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया है कि जो शख़्स शिकार या मवेशियों की हिफ़ाज़त के इलावा (किसी फ़ुज़ूल काम) के लिये कुत्ता पालेगा तो उस के सवाब में से रोज़ाना दो क़ीरात़ घटता रहेगा।

(الترغیب والترھیب، کتاب الأدب وغیرہ،باب الترھیب من اقتناء الکلب...الخ، الحدیث۱،ج٤، ص٣٤۔

صحیح مسلم، کتاب المساقاۃ، باب الأمر بقتل الکلاب...الخ،الحدیث:١٥٧٤،ص٨٤٨)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ से मरवी है रसूलुल्लाह

صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि खेती और मवेशी की हिफ़ाज़त के इलावा अगर कोई किसी दूसरे मक़्सद से कुत्ता पालेगा तो रोज़ाना उस का सवाब एक क़ीरात़ घटता रहेगा।

(الترغيب والترهيب، كتاب الأدب وغيره، باب الترهيب من اقتناء الكلب...الخ، الحديث٤، ج٤، ص٣٤۔
صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب...الخ، الحديث:١٥٧٥، ص٨٥٠)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते बुरैदा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि ह़ज़रते जिब्रील عَلَیْهِ السَّلَام हुज़ूर صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ख़िदमत में आने से रुक गए तो हुज़ूर صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ह़ज़रते जिब्रईल عَلَیْهِ السَّلَام से पूछा कि किस चीज़ ने आप को आने से रोक दिया था ? तो उन्हों ने कहा कि हम फ़िरिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिस में कुत्ता हो।

(الترغيب والترهيب، كتاب الأدب وغيره، باب الترهيب من اقتناء الكلب...الخ، الحديث٨، ج٤، ص٣٥،
المسند للإمام احمد بن حنبل، حديث بريدة الأسلمى، الحديث:٢٣٠٤٨، ج٩، ص١٨)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि ह़ज़रते जिब्राईल عَلَیْهِ السَّلَام मेरे पास आए और येह कहा कि मैं शबे गुज़श्ता भी आया था मगर मेरे मकान में दाख़िल होने में येह रुकावट पड़ गई कि मकान के दरवाज़े में कुछ आदमियों की तस्वीरें थीं और घर के अन्दर एक पर्दा था उस पर भी तस्वीरें बनी हुई थीं, और घर के अन्दर एक कुत्ता भी था। तो आप हुक्म दीजिये कि तस्वीरों के सर काट डाले

जाएं ताकि वोह दरख़्त के मिस्ल हो जाएं और पर्दे के बारे में येह हुक्म दे दीजिये कि इस को फाड़ कर दो मस्नदें बना ली जाएं जो ज़मीन में पड़ी रहें और रौंदी जाती रहें। और हुक्म दे दीजिये कि कुत्ता मकान से निकाल दिया जाए। येह ह़ज़रते ह़सन व हुसैन رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْھُمَا का कुत्ता था जो हुज़ूर صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के तख़्त के नीचे था। चुनान्चे वोह कुत्ता निकाल दिया गया।

(الترغیب والترھیب، کتاب الأدب وغیرہ،باب الترھیب من اقتناء الکلب...الخ، الحدیث۹، ج٤، ص٣٥۔
سنن الترمذی، کتاب الأدب،باب ماجاء أن الملائکۃ...الخ،الحدیث:٢٨١٥،ج٤،ص٣٦٨)

मसाइल व फ़वाइद

काशानए अक़्दस में ह़ज़रते ह़सन व ह़ज़रते हुसैन رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْھُمَا के कुत्ते और तस्वीरों का मौजूद रहना उस वक़्त था जब कि तस्वीरों और कुत्तों का मकान के अन्दर रहना ह़राम नहीं हुवा था। ह़ज़रते जिब्रील عَلَیْہِ السَّلَام के इसी वाक़िए़ की वजह से तस्वीरों और कुत्तों का मकानों में रखना ना जाइज़ क़रार दे दिया गया। इस मुमा-न-अ़त के बा'द अब किसी मुसल्मान के लिये जाइज़ नहीं है कि वोह मकान या कपड़ों पर किसी जानदार की तस्वीर रखे। इसी त़रह़ शिकार के लिये और खेती व मवेशी व मकान की ह़िफ़ाज़त के लिये तो कुत्ता पालना शरीअ़त में जाइज़ है। बाक़ी इन के सिवा दूसरे तमाम कुत्तों का पालना ना जाइज़ है। लिहाज़ा मुसल्मानों को इन ख़िलाफ़े शर-अ़ कामों से बचना लाज़िम है क्यूं कि शरीअ़त ही मुसल्मानों के लिये दोनों जहानों में सलाह़ व फ़लाह़ का वाह़िद ज़रीआ़ है। मग़्रिबी तहज़ीब के दिलदादों की हरगिज़ हरगिज़ पैरवी नहीं करनी चाहिये जो कुत्तों को अपनी औलाद की त़रह़ पालते और गोद में लिये फिरते हैं बल्कि जोशे मह़ब्बत में कुत्तों का मुंह भी चूमते रहते हैं। (لاحول ولا قوۃ الا باللّٰہ)

﴾70﴿ बिला ज़रूरत भीक मांगना

बिला ज़रूरत महज़ अपना माल बढ़ाने के लिये भीक मांगना ह़राम व गुनाह है और ह़दीसों में ब कसरत इस की मुमा-न-अ़त आई है। चन्द ह़दीसें यहां तह़रीर की जाती हैं। चुनान्चे

ह़दीस : 1

ह़ज़रते कुबैसा बिन मुह़ारिक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है उन्हों कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उन से फ़रमाया कि ऐ कुबैसा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ! माल का सुवाल करना और भीक मांगना तीन शख़्सों के इलावा किसी के लिये दुरुस्त व ह़लाल नहीं। एक तो वोह शख़्स कि उस ने किसी की ज़मानत ली हो और उस के पास माल न हो, तो उस के लिये ह़लाल है कि वोह भीक मांग कर अपनी ज़मानत की रक़म अदा करे। दूसरे वोह कि किसी आफ़त ने उस के माल को हलाक कर दिया तो उस के लिये ह़लाल है कि वोह अपने सामाने ज़िन्दगी को दुरुस्त करने के लिये ब क़द्रे ज़रूरत भीक मांग सकता है। तीसरे वोह शख़्स जो फ़ाक़ा में मुब्तला हो गया हो यहां तक कि तीन आदमी जो अ़क़्ल मन्द हों उस की क़ौम में से उठ कर येह कह दें कि यक़ीनन येह शख़्स फ़ाक़ा कशी में मुब्तला हो गया है। तो वोह शख़्स ज़िन्दगी के गुज़ारा भर ब क़द्रे ह़ाजत भीक मांग सकता है इन तीन शख़्सों के इलावा जो भीक मांगे और दूसरों से माल का सुवाल करे तो ऐ कुबैसा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ! वोह माल ह़राम है जिस को वोह खा रहा है।

(صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب من تحل لہ المسألۃ، الحدیث: ۱۰۴۴، ص۵۱۹)

ह़दीस : 2

ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है रसूलुल्लाह

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो शख़्स अपना माल बढ़ाने के लिये भीक मांगता है वोह जहन्नम का अंगारा मांग रहा है तो इस को कम मांगे या ज़ियादा येह उस को समझ लेना चाहिये ।

(صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ باب کراھۃ المسألۃ للناس، الحدیث:١٠٤١،ص٥١٨)

ह़दीस : 3

ह़ज़रते ह़कीम बिन ह़िज़ाम رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ से रिवायत है उन्हों ने कहा कि मैं ने एक मर्तबा रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से माल मांगा तो हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने मुझे माल अ़ता फ़रमा दिया । फिर मैं ने दोबारा मांगा तो फिर भी हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने मुझे माल दे दिया । और मुझ से येह फ़रमाया कि ऐ ह़कीम رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ ! येह माल सब्ज़ और मीठा है (या'नी बहुत मरग़ूब व पसन्दीदा चीज़ है) तो जो आदमी इस को अपने नफ़्स की सख़ावत के साथ लेगा, इस माल में ब–र–कत होगी और जो नफ़्स की लालच के साथ इस को लेगा उस में ब–र–कत न होगी और इस की मिसाल येह होगी कि कोई खाता रहे और आसूदा न हो और ऊपर वाला हाथ (देने वाला) नीचे वाले हाथ (लेने वाले) से बेहतर है । ह़ज़रते ह़कीम رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ का बयान है कि येह सुन कर मैं ने कह दिया कि या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! मैं उस ज़ात की क़सम खाता हूं जिस ने आप صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को नबी बना कर भेजा है कि मैं आप के बा'द किसी से ज़िन्दगी भर कुछ नहीं मांगूंगा ।

(صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب الاستعفاف عن المسألۃ، الحدیث:١٤٧٢، ج١،ص٤٩٧)

ह़दीस : 4

ह़ज़रते अबू सई़द رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि जो सुवाल करने (भीक मांगने) से बचेगा अल्लाह तआ़ला उस को बचा लेगा और जो

मालदारी ज़ाहिर करेगा अल्लाह तआ़ला उस को मालदार बना देगा और जो साबिर बनेगा अल्लाह तआ़ला उस को साबिर बना देगा और सब्र से बेहतर और वसीअ़ अ़तिय्या कोई नहीं है जो किसी को दिया गया हो।

(صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب الاستعفاف عن المسألۃ، الحدیث:١٤٦٩، ج١،ص٤٩٦)

ह़दीस : 5

ह़ज़रते सह्ल बिन अल ह़न्ज़लिय्या رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से रिवायत करते हैं कि जिस के पास इतना माल हो कि वोह सुवाल से मुस्तग़्नी हो और फिर इस के बा वुजूद भीक मांगे तो वोह जहन्नम की बहुत ज़ियादा आग मांग रहा है।

(سنن أبی داود، کتاب الزکوٰۃ، باب مایعطی من الصدقۃ...الخ، الحدیث١٦٢٩، ج٢،ص١٦٤)

ह़दीस : 6

ह़ज़रते सौबान رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि कौन है जो इस बात का ज़ामिन हो जाए कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। तो मैं उस के लिये जन्नत दिलाने का ज़ामिन हूं। येह सुन कर ह़ज़रते सौबान رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने कहा कि मैं ! या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! इस बात की ज़मानत लेता हूं। तो ह़ज़रते सौबान رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ का येह ह़ाल था कि वोह कभी किसी से कोई चीज़ नहीं मांगते थे।

(سنن ابی داود، کتاب الزکاۃ،باب کراھیۃ المسألۃ،الحدیث١٦٤٣،ج٢،ص١٧٠)

ह़ज़रते ज़ुबैर बिन अ़वाम رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से रावी हैं कि तुम में कोई अपनी रस्सी ले कर जाए और लकड़ियों का एक गठर अपनी पीठ पर लाद कर लाए और उस को बेच कर अपनी ज़ात का गुज़ारा करे येह इस से बहुत अच्छा है कि वोह लोगों से

भीक मांगे कि कोई उस को देगा और कोई मन्अ़ कर देगा।

(صحیح البخاری، کتاب الزکوۃ، باب الاستعفاف ...الخ،الحدیث:۱۴۷۱، ج۱، ص۴۹۷)

मसाइल व फ़वाइद

ख़ुलासए कलाम येह है कि बिला ज़रूरत लोगों से माल का सुवाल करना और भीक मांगना ह़राम व गुनाह है इस ज़माने में कुछ लोगों ने भीक मांगने को अपना पेशा और कमाई का ज़रीआ़ बना लिया है। ह़ालां कि वोह लोग मुस्तग़नी और ग़नी हैं। इन लोगों को मज़्कूरा बाला फ़रामीने न-बवी से इ़ब्रत व नसीह़त ह़ासिल करनी चाहिये कि वोह लोग भीक मांग मांग कर दौलत नहीं जम्अ़ कर रहे हैं बल्कि जहन्नम का अंगारा जम्अ़ कर रहे हैं। (ولا حول ولا قوۃ الا باللّٰہ العلی العظیم)

﴾71﴿ क़ारिईन व मुरीदीन के लिये ज़रूरी हिदायात

﴾1﴿ मज़्हबे अहले सुन्नत व जमाअ़त पर क़ाइम रहें जो सलफ़ सालिह़ीन और गुज़श्ता उ़-लमाए ह़-रमैने शरीफ़ैन का मज़्हब है। सुन्नियों के जितने मुख़ालिफ़ मज़ाहिब हैं, म-सलन वहाबी, देवबन्दी, राफ़िज़ी, क़ादियानी, नेचरी, वग़ैरा इन सब से जुदा रहें और सब को अपना दीनी दुश्मन और मुख़ालिफ़ जानें। न इन की बातों को सुनें न इन की सोह़बत में बैठें। इन की तक़रीरों और तह़रीरों को न सुनें न पढ़ें क्यूं कि शैत़ान को (مَعَاذَاللّٰہ) दिल में वस्वसा डालते देर नहीं लगती। आदमी को जहां माल या आबरू के बरबाद होने का अन्देशा हो वहां हरगिज़ कोई अ़क़्ल मन्द नहीं जा सकता और दीन व ईमान तो मुसल्मान की सब से ज़ियादा अ़ज़ीज़ चीज़ है। लिहाज़ा इस की मुह़ा-फ़ज़त में ह़द से ज़ियादा जिद्दो जहद और कोशिश फ़र्ज़ है। माल और दुन्या की इ़ज़्ज़त और दुन्या की ज़िन्दगी तो फ़क़त़ दुन्या ही तक मह़दूद हैं और दीनो ईमान से तो आख़िरत और हमेशगी के घर में

काम पड़ने वाला है इस लिये जान व माल और दुन्यावी इ़ज़्ज़त से बढ़ कर दीनो ईमान की हिफ़ाज़त का सामान करना बेहद ज़रूरी है।

﴾2﴿ नमाज़े पन्जगाना की पाबन्दी निहायत ज़रूरी है मर्दों को मस्जिद व जमाअ़त का इल्तिज़ाम भी वाजिब है। बे नमाज़ मुसल्मान गोया तस्वीर का आदमी है कि ज़ाहिरी सूरत इन्सान की है मगर इन्सान का काम कुछ नहीं। याद रखो कि बे नमाज़ वोही नहीं है जो कभी न पढ़े बल्कि जो एक वक़्त की भी क़स्दन नमाज़ छोड़ दे वोह बे नमाज़ है। किसी की नोकरी मुला-ज़मत ख़्वाह तिजारत वग़ैरा किसी ह़ाजत के सबब एक वक़्त की भी नमाज़ क़ज़ा कर देनी सख़्त ना शुक्री और परले सिरे की नादानी व गुनाहे कबीरा है जो जहन्नम में ले जाने वाला है। कोई आक़ा यहां तक कि काफ़िर भी अगर कोई नोकर हो तो वोह अपने मुलाज़िम को नमाज़ से बाज़ नहीं रख सकता और अगर कोई आक़ा अपने नोकर को नमाज़ से मन्अ़ करे तो ऐसी नोकरी ही क़त्अ़न ह़राम है और नमाज़ छोड़ कर कोई भी रिज़्क़ का ज़रीआ़ रोज़ी में ब-र-कत नहीं ला सकता। याद रखो कि रिज़्क़ और रोज़ी देना उसी का काम है जिस ने नमाज़ फ़र्ज़ की है। लिहाज़ा उस रज़्ज़ाक़े मुत्लक़ पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए हमेशा रिज़्क़ व रोज़ी का ज़रीआ़ ऐसी ही नोकरी और मुला-ज़मत को बनाना लाज़िम है कि जिस में ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ के फ़राइज़ को छोड़ना न पड़े, वरना सख़्त ग़-ज़बे इलाही में मुब्तला होगा।

﴾3﴿ जितनी नमाज़ें क़ज़ा हो गईं हैं सब का ऐसा ह़िसाब लगाएं कि तख़्मीने में बाक़ी न रह जाएं और उन सब को ब क़द्रे ताक़त रफ़्ता रफ़्ता जल्द अदा करें। और इस में हरगिज़ हरगिज़ काहिली न करें। क्यूं कि मौत का वक़्त मा'लूम नहीं और जब तक फ़र्ज़ ज़िम्मे पर बाक़ी होता है कोई नफ़्ल मक़्बूल नहीं होता जब चन्द नमाज़ें क़ज़ा हुई हों म-सलन सो बार की फ़ज्र क़ज़ा है तो उस क़ज़ा को पढ़ते वक़्त हर बार यूं निय्यत करें कि सब में पहली वोह फ़ज्र जो मुझ से क़जा हुई उस की निय्यत

करता हूं। इसी त़रह़ बाक़ी नमाज़ों में जो सब से पहली है उस की निय्यत करें इसी त़रह़ ज़ोहर वग़ैरा हर नमाज़ में निय्यत कर के सब नमाज़ों को पूरी कर लें याद रखो कि क़ज़ा में फ़क़त़ फ़र्ज़ों और वित्रों या'नी हर दिन और हर रात की सिर्फ़ बीस रक्अ़ात अदा की जाती हैं सुन्नतों और नफ़्लों को क़ज़ा में पढ़ना ज़रूरी नहीं है।

﴾4﴿ जितने रोज़े क़ज़ा हुए हों दूसरा र-मज़ान आने से पहले अदा कर लिये जाएं क्यूं कि मौत का वक़्त मा'लूम नहीं। लिहाज़ा फ़र्ज़ की अदाएगी में हरगिज़ हरगिज़ ताख़ीर न करें।

﴾5﴿ जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है वोह अपने मालों की ज़कात भी ज़रूर अदा करते रहें। और जितने बरसों की ज़कात न दी हो फ़ौरन ह़िसाब कर के उन सब को अदा करें। हर साल की ज़कात साल पूरा होने से पहले ही दे दिया करें। साल पूरा होने के बा'द ज़कात अदा करने में देर लगाना गुनाह है। और बेहतर त़रीक़ा येह है कि शुरूए़ साल ही से रफ़्ता रफ़्ता ज़कात देते रहें और साल पूरा होने पर ह़िसाब करें अगर पूरी अदा हो गई हो तो बेहतर है। वरना जितनी बाक़ी हो फ़ौरन दे दें और अगर कुछ ज़ियादा रक़म निकल गई हो तो उस को आइन्दा साल में मुजरा कर लें।

﴾6﴿ साह़िबे इस्तित़ाअ़त पर ह़ज भी फ़र्ज़ है अल्लाह तआ़ला ने इस की फ़र्ज़िय्यत बयान कर के फ़रमाया :

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ۝ (پ٤،آل عمرٰن:٩٧)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और जो मुन्किर हो तो अल्लाह सारे जहान से बे परवाह है।

हुज़ूर नबिय्ये अकरम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने तारिके ह़ज के बारे में फ़रमाया है कि चाहे यहूदी हो कर मरे या नसरानी हो कर। (والعیاذ باللہ تعالٰی)

﴾7﴿ श-जरा शरीफ़ में लिखी हुई हिदायात पर ज़रूर अ़मल करते रहें और रोज़ाना एक बार श-जरा शरीफ़ पढ़ कर पीराने किबार को फ़ातिहा पढ़ कर ईसाले सवाब करते रहें ان شاء اللہ تعالیٰ दीनो दुन्या की ब-र-कतें ह़ासिल होंगी।

وصلی اللّٰہ تعالی علی خیر خلقه سید نا محمد واله وصحبه اجمعین

والحمد للّٰہ رب العلمین۔ تمت بالخیر

अ़ब्दुल मुस्त़फ़ा अल आ'ज़मी عفی عنہ
बराउं शरीफ़ 9 ज़ुल ह़िज्जह सि. 1400 हि.

काश ! कि मैं दुन्या में पैदा न हुवा होता

नज़्अ़ की सख़्तियों, क़ब्र की होलनाकियों, मह़शर की दुश्वारियों और जहन्नम की ख़ौफ़नाक वादियों का तसव्वुर बांध कर ख़ौफ़े ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ से लरज़ते हुए अश्कबार आंखों से इस कलाम को पढ़िये।

काश ! कि मैं दुन्या में पैदा न हुवा होता
क़ब्रो ह़श्र का सब ग़म ख़त्म हो गया होता[1]
आह ! सल्बे ईमां का ख़ौफ़ खाए जाता है
काश ! मेरी मां ने ही मुझ को न जना[2] *होता*

---

1. अ़ल्लामा जलालुद्दीन सुयूत़ी رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه नक़्ल फ़रमाते हैं। जब इन्सान क़ब्र में दाख़िल होता है तो वोह तमाम चीज़ें उस को डराने के लिये आ जाती हैं जिन से वोह दुन्या में डरता था और अल्लाह عَزَّوَجَلَّ से न डरता था। (شرح الصدور)

ह़ज़रते सय्यिदुना मैसरह رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि अगर मौत की तकालीफ़ का एक क़त़रा तमाम आस्मान व ज़मीन वालों पर टपका दिया जाए तो सब मर जाएं लेकिन क़ियामत में एक घड़ी की तक्लीफ़ इस तक्लीफ़ से सत्तर[70] गुना ज़ाइद होगी। (ऐज़न)

इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं :

फ़िक्रे मआ़श बद बला हौले मआ़द जां गुज़ा
लाखों बला में फंसने को रूह़ बदन में आई क्यूं

2. ह़ज़रते मौला अ़ली كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم ने (इन्किसारन) फ़रमाया, काश ! मेरी मां मुझे न जनती। (المواعظ العصفوريه)

आ के न फंसा होता मैं बतौरे इन्सां काश !

काश ! मैं मदीने का ऊंट बन गया होता

ऊंट बन गया होता और ईदे क़ुरबां में

काश ! दस्ते आक़ा صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم *से नह़्र हो गया होता*

काश ! मैं मदीने का कोई दुम्बा[1] होता या

सींग वाला चितकब्रा मेंढा[2] बन गया होता

तार बन गया होता मुर्शिदी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ *के कुरते का*

मुर्शिदी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ *के सीने का बाल बन गया होता*

दो जहां की फ़िक्रों से यूं नजात मिल जाती

मैं मदीने का सचमुच कुत्ता[3] बन गया होता

---

1. ह़ज़रते सय्यिदुना फ़ारूक़े आ'ज़म رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا हालां कि क़त़्ई जन्नती हैं मगर (इन्किसारन) फ़रमाते हैं : काश ! मैं कोई दुम्बा होता मुझे ख़ूब खिला पिला कर फ़र्बा किया जाता फिर मुझे ज़ब्ह़ कर दिया जाता फिर कुछ गोश्त खा लिया जाता और कुछ सुखा लिया जाता। (ऐज़न)

2. नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ज़ब्ह़ के दिन दो मेंढे सींग वाले चितकब्रे ख़स्सी किये हुए ज़ब्ह़ फ़रमाए। (سنن ابی داود، کتاب الضحایا، باب ما یستحب من الضحایا، الحدیث: ۲۷۹۵، ج۳، ص۱۲۶) इस ह़दीसे मुबारक की रोशनी में सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के दस्ते मुबारक से ज़ब्ह़ होने का शरफ़ पाने वाले ख़ुश नसीब मेंढों पर रश्क करते हुए बे क़रार आरज़ू का इज़्हार किया गया है।

3. ह़ज़रते अ़ल्लामा जामी رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ इश्क़े रसूल صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم में >>>

काश ! ऐसा हो जाता ख़ाक बन के त़यबा की
मुस्त़फ़ा صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم *के क़दमों से मैं लिपट गया होता*

फूल बन गया होता गुलशने मदीना का
काश ! उन के सह़रा का ख़ार बन गया होता

मैं बजाए इन्सां के कोई पौदा[1] होता या
नख़्ल बन के त़यबा के बाग़ में खड़ा होता

गुलशने मदीना का काश ! होता मैं सब्ज़ा
या बत़ौरे तिनका[2] ही मैं वहां पड़ा होता

मर्ग़ज़ारे त़यबा का काश ! होता परवाना
गिर्दे शम्अ़ फिर फिर कर काश ! जल गया होता

<<< डूब कर अपनी बेताब आरज़ू का ज़िक्र कितने वालिहाना अन्दाज़ में कर रहे हैं :

سگت را کاش! جامی نام بودے   کہ آید بر زبانت گاہے گاہے

या'नी या रसूलल्लाह صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم काश ! आप صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के किसी कुत्ते का नाम जामी होता कि इस बहाने कभी कभी मेरा नाम भी आप صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ज़बाने अक़्दस पर आ जाता।

1. सय्यिदुना सिद्दीक़े अक्बर رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (इन्किसारन) फ़रमाते हैं, काश ! मैं किसी मोमिन के सीने का बाल होता। काश ! मैं दरख़्त होता जो खा लिया जाता, या काट लिया जाता, काश ! मैं सब्ज़ा होता जिसे जानवर खा जाते। (تاریخ الخلفاء)

2. सय्यिदुना फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने एक बार ज़मीन से एक तिनका उठा कर फ़रमाया, काश ! मैं भी एक तिनका होता। काश ! मैं कुछ भी न होता, काश ! मैं पैदा ही न होता। (ऐज़न)

काश ! ख़र या ख़च्चर या घोड़ा बन कर आता और

आप ने भी खूंटे से बांध कर रखा होता صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

जां कनी[1] की तक्लीफ़ें ज़ब्ह़ से हैं बढ़ कर काश !

मुर्ग़ बन के त़यबा में ज़ब्ह़ हो गया होता

आह ! कस्रते इस्यां हाए ! ख़ौफ़ दोज़ख़ का

काश ! इस जहां का मैं न बशर बना होता

शोर उठा येह महशर में खुल्द में गया अ़त्तार

गर न वोह बचाते तो नार में गया होता صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

---

1. अ़ल्लामा जलालुद्दीन सुयूती رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ नक़्ल करते हैं, "मौत दुन्या व आख़िरत की होलनाकियों में सब से ज़ियादा होलनाक है। येह आरों से चीरने, क़ैंचियों से काटने और हांडियों में उबालने से भी सख़्त तर है। अगर मुर्दा ज़िन्दा हो कर शदाइदे मौत लोगों पर ज़ाहिर कर दे तो उन की नींद उड़ जाए और सारा ऐशो आराम तल्ख़ हो जाए।" (شرح الصدور) ह़ज़रते सय्यिदुना अनस رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि मरने वाले इन्सान को फ़िरिश्ते बांध लेते हैं वरना तो वोह जंगलात में भागता फिरे। (ऐज़न)

आ़शिक़े मदीना (यहां अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ ने अज़ राहे तवाज़ोअ़ अपने आप को सगे मदीना फ़रमाया है) कहता है ब ज़ाहिर ज़ब्ह़ होने वाले जानवर को देख कर ऐसा मह़सूस होता है कि वोह बेह़द तक्लीफ़ में है मगर आह ! इन्सान की जां कनी की तक्लीफ़ें ज़ब्ह़ हो कर तड़पने वाले जानवर से हज़ारहा गुना ज़ाइद हैं। ऐ काश ! ब वक़्ते नज़्अ़ जल्वए मह़बूब صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم नसीब हो जाए तो फिर तमाम तक्लीफ़ें हेच हैं।

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या की तरफ़ से पेश कर्दा क़ाबिले मुता–लआ कुतुब

(शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ)

(1) करन्सी नोट के मसाइल (किफ़्लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिमि फ़ीह़कामि क़िरत़ासिद्दराहिम)(कुल सफ़ह़ात : 199)

(2) विलायत का आसान रास्ता (तसव्वुरे शैख़) (अल याक़ूततुल वासित़ा)(कुल सफ़ह़ात:60)

(3) ईमान की पहचान (ह़ाशिया तम्हीदुल ईमान) (कुल सफ़ह़ात:74)

(4) मुआशी तरक़्क़ी का राज़ (ह़ाशिया व तशरीह़ तदबीरे इस्लाह़ व नजात व इस्लाह़ (कुल सफ़ह़ात:41)

(5) शरीअ़त व त़रीक़त (मक़ालुल उ़रफ़ाए बि एअ़्ज़ाज़े शरए़ वल उ़लमाए) (कुल सफ़ह़ात:57)

(6) सुबूते हिलाल के त़रीक़े (त़ुरुक़ु इस्बाते हिलाल) (कुल सफ़ह़ात:63)

(7) आ'ला ह़ज़रत से सुवाल जवाब (इज़्हारुल ह़क़्क़िल जली) (कुल सफ़ह़ात:100)

(8) ईदैन में गले मिलना कैसा? (विशाहुल जीद फी तहलीलि मुआ–न–कतिल ईद) (कुल सफहात: 55)

(9) राहे खुदा عَزَّوَجَلَّ में खर्च करने के फजाइल (रद्दुल कह्ति वल वबा–इ बि दा'वतिल जीरानि व मुवासातिल फु–कराअ) (कुल सफहात: 40)

(10) वालिदैन, जौजैन और असातिजा के हुकूक (अल हुकूक लि तर्हिल उकूक) (कुल सफहात:125)

(11) दुआ के फजाइल (अह्सनुल विआ–इ लि आदाबिद्दुआ मअहू जैलुल मुद्दआ लि अह्सनुल विआअ) (कुल सफहात:140)

(शाएअ होने वाली अ–रबी कुतुब)

अज : इमामे सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना अहमद रजा खान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن

(12) किफ्लुल फकीहिल फाहिम (सफहात: 74) (13) तम्हीदुल ईमान. (कुल सफहात: 77) (14) अल इजाजातुल मय्यिनह (कुल सफहात: 62) (15) इका–मतुल कियामह (कुल सफहात:60) (16) अल फद्लुल मव्हबी (कुल सफहात:46) (17) अजलल इ'लाम (कुल सफहात: 70) (18) अज्जम–ज–मतुल क–मरिय्य (कुल सफहात: 93) (19, 20)जद्दुल मम्तारे अ़ला रद्दिल मुह्तार (अल मुजल्लिद अल अव्वल वस्सानी) (कुल सफ़्ह़ात: 570,672)

(शो'बए इस्लाही कुतुब)

(21) ख़ौफ़े ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ (कुल सफ़ह़ात:160) (22) इन्फ़िरादी कोशिश (कुल सफ़ह़ात:200)

(23) तंगदस्ती के अस्बाब (कुल सफ़ह़ात:33) (24) फ़िक्रे मदीना (कुल सफ़ह़ात:164)

(25) इम्तिह़ान की तैयारी कैसे करें (कुल सफ़ह़ात:32) (26) नमाज़ में लुक़्मा के मसाइल (कुल सफ़ह़ात:43)

(27) जन्नत की दो चाबियां (कुल सफ़ह़ात:152) (28) कामियाब उस्ताज़ कौन ? (कुल सफ़ह़ात:43)

(29) निसाबे म–दनी क़ाफ़िला (कुल सफ़ह़ात:196) (30) कामियाब त़ालिबे इल्म कौन ? (कुल सफ़ह़ात: तक़रीबन 63)

(31) फ़ैज़ाने एह्याउल उ़लूम (कुल सफ़ह़ात:325) (32) मुफ़्तिये दा'वते इस्लामी (कुल सफ़ह़ात:96)

(33) ह़क़ व बात़िल का फ़र्क़ (कुल सफ़ह़ात:50) (34) तह़क़ीक़ात (कुल सफ़ह़ात:142)

(35) अरबईन हनफ़िय्या (कुल सफ़हात:112) (36) अत्तारी जिन का गुस्ले मय्यित (कुल सफ़हात: 24)

(37) तलाक़ के आसान मसाइल (कुल सफ़हात:30) (38) तौबा की रिवायात व हिकायात (कुल सफ़हात:124)

(39) क़ब्र खुल गई (कुल सफ़हात:48) (40) आदाबे मुर्शिदे कामिल (मुकम्मल पांच हिस्से (कुल सफ़हात:275)

(41) टीवी और मूवी (कुल सफ़हात:32) (42 ता 48) फ़तावा अहले सुन्नत (सात हिस्से)

(49) क़ब्रिस्तान की चुड़ैल (कुल सफ़हात: 24) (50) ग़ौसे पाक رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के हालात (कुल सफ़हात:106)

(51) तआरुफ़े अमीरे अहले सुन्नत (कुल सफ़हात: 100) (52) रहनुमाए जद्वल बराए म-दनी क़ाफ़िलात (कुल सफ़हात: 255)

(53) दा'वते इस्लामी की जेलख़ाना जात में ख़िदमत(कुल सफ़हात:24)

(54) म-दनी कामों की तक़्सीम (कुल सफ़हात:68) (55) दा'वते इस्लामी की म-दनी बहारें (कुल सफ़हात:220)

(56) तरबिय्यते औलाद (कुल सफ़हात:187) (57) आयाते कुरआनी के अन्वार (कुल सफ़हात:62)

(58) अहादीसे मुबारका के अन्वार (कुल सफ़हात:66) (59) फैज़ाने चहल अहादीस (कुल सफ़हात:120)

(60) बद गुमानी (कुल सफ़हात:57)

(शो'बए तराजिमे कुतुब)

(61)जन्नत में ले जाने वाले आ'माल (अल मुतजरुर्रबिह फ़ी सवाबिल अ़मलिस्सालेह) (कुल सफ़हात:743)

(62) शाहराह औलिया (मिन्हाजुल आ़रिफ़ीन) (कुल सफ़हात:36)

(63) हुस्ने अख़्लाक़ (मकारिमुल अख़्लाक़) (कुल सफ़हात:74)

(64) राहे इल्म (ता'लीमुल मुतअ़ल्लिम तरीक़्तअ़ल्लुम) (कुल सफ़हात: 102)

(65) बेटे को नसीहत (अय्युहल वलद) (कुल सफ़हात:64)

(66) अद दा'वत इलल फ़िक्र (कुल सफ़हात:148)

(67) नेकियों की जज़ाएं और गुनाहों की सज़ाएं (कुर्रतुल उ़यून व मुफ़र्रिहुल क़ल्बिल महज़ून) (कुल सफ़हात : 136)

(शो'बए दर्सी कुतुब)

(67) ता'रीफ़ाते नहविय्या (कुल सफ़हात:45) (68) किताबुल अ़क़ाइद (कुल सफ़हात:64)

(69) नुज़्हतुन्नज़र शरहे नुख़्बतुल फ़िक्र (कुल सफ़हात:175) (70) अरबईने नवविय्या (कुल सफ़हात:121)

(71) निसाबुत्तज्वीद (कुल सफ़हात:79) (72) गुलदस्तए अ़क़ाइदो आ'माल (कुल सफ़हात:180)

(73) वक़ायतुन्नहव फ़ी शरहे हिदायतुन्नहव

(शो'बए तख़्रीज)

(74) अ़जाइबुल कुरआन मअ़ ग़राइबुल कुरआन (कुल सफ़हात:422)(75) जन्नती ज़ेवर (कुल सफ़हात:679)

(76 ता 81) बहारे शरीअ़त (पांच हिस्से) (82) इस्लामी ज़िन्दगी (कुल सफ़हात:170)

(83) आईनए क़ियामत (कुल सफ़हात : 108)

(84) सहाबए किराम رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم का इश्क़े रसूल صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (कुल सफ़हात:274)

(85) उम्महातुल मुअमिनीन (कुल सफ़हात:59)